लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

चतुर्थ माला

Fourth Series

Preservation Unit
6.7.92
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

खंड 3, 1967 / 1889 (शक)

Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

1353

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8 गुरुवार 1 जून, 1967/11, ज्येष्ठ 1889 (शक)

No. 8-Thursday June 1 1967 Jyaistha 11, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
211.	हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन	Haldia Barauni Pipeline	979–980
212.	हल्दिया बरौनी पाइपलाइन	Haldia Barauni Pipeline	980–984
213.	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities	984–992
अ. सू. प्रश्न S. N. Q. No.			
5.	राष्ट्रपति के चुनाव में स्टाफ कारों का प्रयोग	Use of stafff cars for Presidential Election Purposes	992–997

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

ता० प्र० संख्या S. N. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
214.	दिल्ली के लिये चौथी योजना	Fourth Plan for Delhi	997–998
215.	बड़ी सिंचाई और विद्युत योजनाएं	Major Irrigation and Power Schemes	998-999
216.	दिल्ली नगर निगम को ऋण की सुविधाएं	Credit Facilities to Delhi Municipal Corporation	999
217.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिये सहायता	Aid for Fourth Plan Projects	999–1000
218.	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants	1000
219.	गुजरात को गैस की सप्लाई	Supply of Gas to Gujarat	1001
221.	भारत सरकार के पास जमा विदेशी पूंजी	Decline in Foreign Balances	1001
222.	राज्यों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance Sought by States	1001–1002
223.	राज्यों की वार्षिक योजनाएं	Annual Plans of States	1002
224.	घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing	1002
225.	बिहार में अकालग्रस्त लोगों के लिये स्वास्थ्य योजनाएं	Health Schemes for Famine stricken People in Bihar	1003

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

227.	खाद्यान्न रखकर बैंकों द्वारा अग्रिम धन दिया जाना	Advances by Banks against Food-grains	1003-1004
228.	राज्यों में सरकारी व्यय	Public Expenditure in States	1004
229.	रुपये का अवमूल्यन	Devaluation of Rupee	1004-1005
230.	आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर का निर्धारण	Assessment of Income Tax by Income Tax Officers	1005-1006
231.	कोचीन में तापीय संयत्र	Thermal Plant at Cochin	1006
232.	हैजा	Cholera	1006-1008
233.	नेपाल द्वारा एवियेशन फ्यूल का क्रय	Purchase of Aviation Fuel by Nepal	1008
234.	दिल्ली में राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन	State Irrigation and Power Ministers' Conference at Delhi	1008
235.	बीड़ी का तम्बाकू तैयार करना	Processing of Bidi Tobacco	1009
236.	बड़ी परियोजना को अपने हाथ में लेना अथवा उनके लिए वित्त की व्यवस्था करना	Taking over or financing of major Projects	1009-1010
237.	मिट्टी के तेल तथा डीजल आयल का निर्यात	Export of Furnace Oil and Diesel Oil	1010
238.	स्ट्रेप्टोमाइसिन की कमी	Scarcity of Streptomycin	1010
239.	संयुक्त राज्य शान्ति सेना के स्वयं सेवक	US peace corps volunteers	1010-1011
240.	नई औषधियों के मूल्य	Prices of New Drugs	1011
अतारांकित प्रश्न संख्या			
U. Q. Nos.			
1087	गोरखपुर डिवीजन में आयकर वापिस किये जाने के अन्तर्गत मामले	Income Tax Refund Cases pending in Gorakhpur Division	1011-1012
1088.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Projects	1012
1089.	त्रिरोग रोधक टीका	Tripple Vaccine	1012-1013
1090.	अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिये राज सहायता	Subsidy for Relief Works in Scarcity Areas	1013-1014
1091.	गंडक परियोजना	Gandak Project	1014
1092.	रूस से सहायता	Aid from USSR	1014-1015
1093.	विदेशी गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन	Foreign Private Business Investments	1015
1094.	विकलांग बच्चे	Handicapped Children	1015-1016
1095.	मैसूर राज्य में देवदासी प्रथा का हटाया जाना	Abolition of Devadasi system in Mysore State	1016
1096.	केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड	Central Harijan Welfare Board	1016
1097.	अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये होस्टिल्स	Hostels for Scheduled Caste Girls	1017
1098.	सामान्य बीमा को सरकारी क्षेत्र में लाना	Inclusion of General Insurance in Public Sector	1017-1018

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.		Subject	पृष्ठ Pages
1099.	राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट	Overdraft by States	1018
1100.	राज्यों को दी गई सहायता	Aid given to States	1018–1019
1101.	मसूर दाल	Lathyrus Satiya	1019
1102.	बी. सी. जी. के टीके लगाने	BCG vaccination	1020–1021
1103.	सहकारी कताई मिलों के लिए ऋण	Loan to Cooperative spinning Mills	1021
1104.	संसद् में प्रश्नों के उत्तर देने पर आने वाली लागत	Cost of answering questions in Parliament	1022
1105.	पश्चिम बंगाल के उद्योगों के पास मंत्रालय के क्रयादेश	Orders of Ministries with West Bengal Industries	1022–1023
1106.	पांडिचेरी में मेडिकल कॉलेज	Medical College at Pondicherry	1023
1107.	पोस्त की खेती	Opium Cultivation	1024
1108.	अफीम का मूल्य	Price of Opium	1024–1025
1110.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में व्यापारियों तथा तकनीशियों की संख्या	Association of Businessmen and technicians in public sector undertakings	1025
1111.	काली मिर्च पर निर्यात शुल्क	Export duty on pepper	1025
1113.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा भेजे गये आंकड़े	Data supplied by National sample survey	1025–1026
1114.	बिहार में सहायता कार्यों के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for relief work in Bihar	1026
1115.	राष्ट्रीय चाँदमारी क्षेत्रों के लिये भूमि	Allotment of land for National Ranges	1026–1027
1117.	दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां	Colonies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi	1027
1118.	दिल्ली में नये मेडिकल कॉलेज	New Medical Colleges in Delhi	1027
1119.	पिथौरागढ़ तथा उत्तराखण्ड जिलों में जल विद्युत् योजनाएं	Hydel schemes in Pithoragarh and Uttrakhand Districts	1027–1028
1120.	दोहरे कराधान को रोकना	Avoidance of double taxation	1028
1121.	राजस्थान में होमियोपैथी	Homoeopathy in Rajasthan	1028–1029
1122.	रूबी इंश्योरेंस कम्पनी	Ruby Insurance Co,	1029
1123.	मैसर्स बेकर ग्रे	M/s Becker Grey	1029–1030
1124.	विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में धन भेजा जाना	Remittance by overseas Indians	1030
1125.	मद्रास में औषधियां बनाने का कारखाना	Drug Factory in Madras	1030–1031
1126.	रुद्रसागर के तेल के कुंए में आग	Fire in Rudrasagar Oil well	1031
1127.	दिल्ली के निकट उपनगर	Satellite towns near Delhi	1032
1128.	आयकर आयुक्तों का वेतन	Salaries of Income tax commissioners	1032–1033
1129.	सन लाइफ ऑफ कैनेडा द्वारा जारी की गई बीमा पालिसियां	Policies issued by Sun Life of Canada	1033

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos		Subject	पृष्ठ Pages
1130.	मद्रास नगर के लिये पीने के पानी की सप्लाई	Drinking water Supply for Madras City	1034
1131.	गुजरात पैट्रोरसायन उद्योग समूह	Gujarat Petro-chemical complex	1034
1132.	मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) एल्यूमीनियम कारपोरेशन को दी जाने वाली बिजली की दर	Rate of Electricity supplied to Aluminium Corporation in Mirzapur (U. P.)	1034–1035
1133.	उर्वरक कारखाना, कानपुर	Fertilizer Plant at Kanpur	1035
1134.	तस्कर व्यापार के मामले	Smuggling cases	1036
1135.	फिजूलखर्ची को रोकना	Curtailment of wasteful expenditure	1036
1136	उड़ीसा के लिये आय कर कमीशन सर्किल	Income Tax Commission Circle for Orissa	1036–1037
1138.	इन्दौर में जाली नोटों का पकड़ा जाना	Pak Currency Notes recovered in Indore	1037
1139.	घड़ियों का तस्कर व्यापार	Smuggling of Watches	1037–1038
1141.	दिल्ली की बृहद् योजना	Master Plan for Delhi	1038–1039
1142.	नई दिल्ली में मंत्रियों के बंगलों में धोबी	Dhobies in Ministers Bungalows in New Delhi	1039
1143.	दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति	Squatters in Delhi	1039–1040
1144.	धूम्रपान	Smoking	1040–1042
1145.	भारत का पश्चिम तट	West Coast of India	1042
1146.	भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में इंगलैंड में गोष्ठी	Seminar on India's Fourth Plan in U. K.	1044
1147.	पालम हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Exchange at Palam Airport	1044
1148.	बम्बई में तस्करी से लाई जा रही चांदी तथा काली मिर्च का पकड़ा जाना	Smuggled Silver and Pepper Unearthed in Bombay	1044–1045
1149.	मद्रास में सोने का पकड़ा जाना	Gold Unearthed in Madras	1045
1150.	दिल्ली में रिहायशी कालोनियाँ	Housing Colonies in Delhi	1045–1046
1151.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारी	LIC Employees	1046
1152.	आसाम में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	Flood control Scheme in Assam	1046–1047
1153.	एशियन विकास बैंक	Asian Development Bank	1047
1154.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था का भाग लेना	International Development Association's Participation in Public Sector Projects	1047–1048
1155.	तुंगभद्रा परियोजना	Tungabhadra Project	1048
1156.	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	1048–1049

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1157.	क्षय रोग चिकित्सा केन्द्र	T. B. Clinics	1049-1050
1158.	बरौनी में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory, Barauni	1050
1160.	तरल पैट्रोलियम गैस	Liquified Petroleum Gas	1050
1161.	उड़ीसा की योजना की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance given to Orissa for Plan executions	1050-1051
1162.	उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई योजनाएं	Irrigation proposals during Fourth Plan in Orissa	1051
1163.	उड़ीसा के लिए उत्पादन शुल्क डिवीजन	Excise Division for Orissa	1051-1052
1164.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रवेश	Admission to all India Institute of Medical Sciences	1052
1165.	दिल्ली में प्लाटों का दिया जाना	Release of Plots in Delhi	1052
1166.	केरल और लक्कादीव के बीच तलछटी	Sedimentary Basin between Kerala coast and Laccadive Islands	1052-1053
1167.	तवा सिंचाई परियोजना	Tawa Irrigation Project	1053
1168.	मंत्रियों के निजी कर्मचारियों द्वारा संसदीय कार्य	Parliamentary Work by Personal Staff of Ministers	1053
1169.	संसद् सहायकों (असिस्टेंट) को भत्ते के रूप में दी गई धनराशि	Amount paid to Parliament Assistants	1053-1054
1170.	माली	Malis	1054
1171.	निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना	Allotment of Quarters to officers and Staff of W. H. S. Ministry	1054
1173.	पारादीप के लिए उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory for Paradeep	1054-1055
1174.	समाज कल्याण	Social Welfare	1055-1056
1175.	विदेशों को भेजी गई पेंशन तथा ब्याज पर अवमूल्यन का प्रभाव	Effect of devaluation on pension and interest sent abroad	1056
1176.	सरकारी उपक्रम संगठन	Consortium of Public Sector Undertakings	1056-1057
1177.	बम्बई में विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Foreign Exchange seized in Bombay	1057
1178.	सीसे के प्रयोग से विष का फैलना	Lead Poisoning	1057-1058
1179.	पोंग बांध तथा सतलुज व्यास नदी सम्पर्क की पुनर्वास तथा नियतन समिति का पुनर्गठन	Re-Constitution of Pong Dam and Sutlej Beas link Rehabilitation and Allotment Committees	1058
1180.	हिमाचल प्रदेश के लिए पेय जल योजना	Drinking Water Schemes for Himachal Pradesh	1058-1059

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1181.	दिल्ली में वित्त मंत्रियों का सम्मेलन	Finance Ministers' Conference in Delhi	1059
1182.	केरल की सब्रीगिरी परियोजना में लगी इस्पात चिन्हांकनों (स्टाम्पिग्स) में जंग लगना	Rusting of Steel Stampings for Sabrigiri project in Kerala	1059-1060
1183.	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory Committee for Hill Areas	1060
1184.	हरियाना के लिए उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory for Haryana	1060-1061
1185.	मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory for Madhya Pradesh	1061
1186.	करेंसी नोटों पर मुद्रणालय का नाम छापा जाना	Printing of Name of Press on Currency Notes	1061
1187.	नेपाल को तेल का निर्यात	Export of oil to Nepal	1061-1062
1188.	पटना में स्टेट बैंक आफ इण्डिया का मुख्यालय	Head office of State Bank of India of Patna	1062
1189.	विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा	Release of Foreign Exchange to Students going abroad	1063
1190.	राजस्थान में तेल की खोज	Exploration of oil in Rajasthan	1064
1191.	अपर सिलेरू पावर प्रोजेक्ट	Upper Sileru Power Project	1064
1192.	डी. बी. के. रेलवे परियोजना में आदिवासियों के लिये रोजगार	Employment for Tribal People in D. B. K. Railway Project	1064
1193.	नर्मदा सागर विद्युत् परियोजना	Narmada Sagar Power Project	1065
1194.	विकलांग बच्चों के लिये शिक्षा सुविधायें	Educational Facilities for Handicapped Children	1065-106
1195.	श्री हरिदास मूंदड़ा द्वारा देय आयकर की बकाया राशि	Income Tax due from Shri Haridas Mundhra	1066
1196.	मजूरियों का स्थिरीकरण	Wage Freeze	1067
1197.	भारतीय विनियोजन केन्द्र (इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर)	Indian Investment Centre	1067
1199.	हिन्दुस्तान लेटेक्स, केरल	Hindustan Latax, Kerala	1067
1200.	बिहार में खनिज तथा धातुओं पर अकाल शुल्क	Famine Levies on Minerals and Metals in Bihar	1068
1201.	वर्धा में मेडिकल कालिज तथा अस्पताल	Medical College and Hospital at Wardha	1068
1202.	नागपुर नगर का स्तर ऊंचा करना	Upgradition of Nagpur City	1068-1069
1203.	उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व	Revenue Received from Central Excise in Orissa	1069
1204.	उप-महालेखापाल, उड़ीसा के कार्यालय का भुवनेश्वर में स्थानांतरण	Shifting of office of the Deputy Accountant General, Orissa to Bhuvaneshwar	106

ता. प्र. संख्या S. Q os.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1205.	महालेखापाल, उड़ीसा के कार्यालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Employees of Accountant General's Office, Orissa	1069–1070
1206.	कास्टिक सोडे का मूल्य	Price of Caustic Soda	1070
1207.	घट परियोजना, मैसूर	Ghata Majasor Project	1070
1208	बरौनी में पैट्रोलियम रसायन उद्योग समूह	Petro Chemical Complex at Barauni	1071–1072
1209	उड़ीसा तथा राजस्थान में गृह निर्माण ऋण	House Building advances in Orissa and Rajasthan	1072
1210.	राजस्थान तथा उड़ीसा में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	Slum Clearance in Rajasthan and Orissa	1072-1073
1211.	राजस्थान के लिए मंजूर सिंचाई तथा बिजली सम्बन्धी अनुसंधान योजनायें	Irrigation and Power Research Schemes sanctioned for Rajasthan	1073
1212.	राजस्थान सरकार की सिंचाई तथा बिजली योजनायें	Irrigation and Power Schemes of Rajasthan Government	1073
1213.	राजस्थान में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिए सहायता	Assistance for Flood Control Schemes in Rajasthan	1073–1074
1214.	उड़ीसा में आय कर अपवंचन	Evasion of Income tax in Orissa	1074
1215.	उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनायें	Irrigation schemes in U.P. and Madhya Pradesh	1074
1216.	हल्दिया में तेलशोधक एवं स्नेहक तेल कारखाना	Refinery cum lube plant at Haldia	1074-1075
1217.	कमला बांध में दरार	Breach in Kamala Embankment	1075
1218.	वित्त मंत्रालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Finance Ministry	1075
1219.	राष्ट्रीय नेताओं की समाधियां	Samadhis of National Leaders	1075–1076
1220.	पिछड़ी जातियों का उद्धार	Uplift of Backward Classes	1076
1221.	कलकत्ता में पकड़ा गया सोना और मुद्रा	Gold and Currency seized in Calcutta	1076–1077
1222.	बंगलौर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री से पकड़ी गई अफीम	Opium seized from a Passenger at Bangalore Railway Station	1077
1223.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	Central Social Welfare Board	1077–1078
1224.	नल कूपों को चलाने के लिए बिजली	Electricity for Tube-wells	1078
1225.	उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in U.P.	1078–1079
1226.	गोरखपुर उर्वरक कारखाने में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes Employees in Gorakhpur Fertilizer Factory	1079
1227.	गोरखपुर उर्वरक कारखाना,	Gorakhpur Fertilizer Factory	1079-1080
1228.	गोरखपुर उर्वरक कारखाना	Gorakhpur Fertilizer Factory	1080

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1229.	अमरीका से आयात	Imports from U.S.A.	1080
1230.	केन्द्रीय उपकरण पूल	Central Equipment Pool	1080–1081
1231.	उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य	Construction Works in U.P.	1081
1232.	स्वीडन के लिए चिकित्सक तथा गर्भरोधक उपकरण	Medical Personnel and Contraceptives for Sweden	1082
1233.	पश्चिम बंगाल में आदिम जाति लोगों का कल्याण	Welfare of Tribal People in West Bengal	1082
1234.	बुनाई की ऊन की रंगाई पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Dyeing of Knitting Wool	1082
1235.	बम्बई में अवैध सोने का पकड़ा जाना	Contraband Gold hauled at Bombay	1082-1083
1236.	साइक्लोसिरीन	Cycloserine	1083
1237.	तवा सिंचाई परियोजना	Tawa Irrigation Project	1083–1084
1238.	चण्डीगढ़ में भवनों का किराया	Rent of Buildings in Chandigarh	1084
1239.	रिहाण्ड और हीराकुंड परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लिए बिजली	Electricity for Madhya Pradesh from Rihand and Hirakud Projects	1085
1240.	हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी, मिर्जापुर और मध्य प्रदेश सरकार को दी गई बिजली की दरें	Tariff Rates for Power supplied to Hindustan Aluminium Company Mirzapur and M.P. Government	1085-1086
1241.	चेचक का टीका	Small Pox vaccine	1086
1242.	सम्पदा शुल्क	Estate Duty	1086
1243.	ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय, ओखला के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for staff of trade marks registry office, Okhla	1086–1087
1244.	बांध बनाने के लिए अनुदान	Grants for Construction of Dam	1087
1245.	जमुना पर बांध	Barrage over Jamuna	1087
1246.	मद्रास में अवनाशी नहर योजना	Avanashi Canal Scheme in Madras	1088
1247.	दिल्ली में तपेदिक के रोगी	T.B. Patients in Delhi	1088
1248.	रिहाण्ड जल परियोजना	Rihand Hydel Project	1088–1089
1249.	परिवार नियोजन के लिये प्रोत्साहन बोनस	Incentive Bonus for Family Planning	1089
1250	उर्वरक कारखानों के लिये इटली से ऋण	Italian loan for Fertilizer Factories	1089
	ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रक्रिया)	Re. Calling Attention Notices Procedure)	1090–1091
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1091–1097
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1097–1098
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	1098
	दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	1098

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
रेलवे आय व्ययक 1967-68 सामान्य चर्चा		Railway Budget-General Discussion	1099
श्री अ. दीपा		Shri A. Dipa	1099
श्री जे. के. चौधरी		Shri J.K. Choudhury	1099-1100
श्री अचल सिंह		Shri Achal Singh	1100-1101
श्री ना. स्व. शर्मा		Shri N.S. Sharma	1101
श्री शिव नारायण		Shri Sheo Narain	1101-1102
श्री कांबले		Shri Kamble	1102
श्री नम्बियार		Shri Nambiar	1102-1103
श्री गणपत सहाय		Shri Ganpat Sahai	1103-1104
श्री रणधीर सिंह		Shri Randhir Singh	1104
श्री नारायण दांडेकर		Shri N. Dandeker	1105
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा		Shrimati Tarkeshwari Sinha	1105-1106
श्री सेक्वीर		Shri Sequeira	1106
श्री सरजू पाण्डेय		Shri Sarjoo Pandey	1107-1108
श्री विश्वनाथ पाण्डेय		Shri Vishwa Nath Pandey	1108
श्री कुचेलर		Shri G. Kuchelar	1108-1109
रबड़ के आयात के बारे में आधे घण्टे की चर्चा		Half-an-hour Discussion Re. Import of Rubbar	1110
श्री अब्राहम		Shri K.M. Abraham	1110
श्री वासुदेवन नायर		Shri Vasudevan Nair	1111
श्री नायनार		Shri E.K. Nayanar	1111-1112
श्री मधु लिमये		Shri Madhu Limaye	1112
श्री श्रीधरन		Shri A. Sreedharan	1112
श्री एस्योस		Shri P.P. Esthose	1112
श्री शफी कुरैशी		Shri Shafi Qureshi	1112

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 1 जून, 1967/ज्येष्ठ 11, 1889 (शक)
Thursday, June 1, 1967/Jyaistha 11, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*.]

प्रश्न के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 211 और 212 एक साथ ले लिये जायें।

हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन

+
*211 **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री देवेन सेन : **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया–बरौनी पाइपलाइन बिछा दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र में सालानपुर और ओदल के बीच पाइपलाइन के रेखांकन को चुनौती दी गई है और कुछ खान मालिकों ने प्रतिकर की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या विवादास्पद क्षेत्र को बचाने के लिए पाइपलाइन को कोई नया मोड़ देने का विचार है और यदि हां, तो उसकी कितनी लागत होगी; और

(घ) ऐसे त्रुटिपूर्ण रेखांकन के लिए जिससे इण्डियन आयल कारपोरेशन को भारी हानि उठानी पड़ी, कौन जिम्मेदार है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। खनन कार्यों पर प्रतिबन्धों के कारण जिस हानि के होने की सम्भावना है, उसके लिये कई खान-मालिकों ने भारतीय तेल निगम से प्रतिकर मांगा है।

(ग) सरकार ने लगभग १९६ लाख रुपये की लागत पर एक अपवर्तन (डाइवर्जन) लाइन के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

(घ) इसकी जांच की जा रही है।

हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन

*212 **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स्वैल :
श्री देवेन सेन :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कार्तिक ओराओं :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९६५ में हल्दिया में बरौनी तक एक पाइप-लाइन का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाइपलाइन का अभी तक प्रयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) मई, १९६६ में हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया था। पम्पिंग केन्द्रों और दो प्रेषण केन्द्रों में से एक का कार्य भी पूरा हो चुका है। दूसरा प्रेषण केन्द्र लगभग तैयार है।

(ख) जी हां।

(ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक आदेश है कि जब तक न्यायालय में चल रही कई कार्यवाहियों का निपटान नहीं हो जाता तब तक पाइपलाइन के कार्य को रोक दिया जाय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि इस लाइन को बिछाने की देखभाल का कार्य एक करार के द्वारा बेचलस नामक एक अमरीकन फर्म को सौंपा गया था; उस करार की क्या शर्तें हैं और क्या इस फर्म ने करार की शर्तों के अनुसार काम किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : बेचलस फर्म ने केवल लाइन बिछाने के मामले में तकनीकी सलाह दी। लाइन बनाने का ठेका एक इटली की फर्म को दिया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या बेचल्स ने शर्तों के अनुसार काम किया है ? उक्त कम्पनी का कार्य पूरा हो गया है उसको भुगतान भी कर दिया गया है । अब मालूम हुआ है कि पाइपलाइन गलत स्थान पर डाली गई है । करार की शर्तों के अनुसार इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : इस सम्बन्ध में हमने विचार किया था और इस मामले की जांच के लिये एक जांच समिति नियुक्त करने का फैसला किया गया है । यह समिति इस बात की जांच करेगी कि गलती के लिये कौन जिम्मेदार है । यह समिति ठेके सम्बन्धी करार की भी जांच करेगी और यह भी तय करेगी कि ठेके की शर्तों के अनुसार गलती करने वाले को क्या दंड दिया जा सकता है । यदि बेचल्स कम्पनी इसके लिये जिम्मेदार होगी तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाये, इसका निर्णय भी यह समिति करेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि इस पाइपलाइन को डलवाने का खर्च लगभग 25 करोड़ रुपये था ? क्या यह भी सच है कि जितनी क्षमता के लिये इतनी धनराशि खर्च की गई थी, पाइपलाइन की क्षमता उससे बहुत कम थी ?

श्री रघु रामैया : हल्दिया–बरौनी पाइपलाइन पर 15.83 करोड़ रुपये लागत आई है तथा बरौनी और कानपुर के बीच वाली पाइपलाइन पर 15 करोड़ रुपये खर्च हुआ है । डिलिवरी स्टेशनों पर होने वाला खर्चा इसमें सम्मलित नहीं है । मुझे यह ज्ञात नहीं है कि पाइपलाइन की क्षमता में कोई कमी हो गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पाइपलाइन की अनुमानित क्षमता क्या थी और अब उसकी क्षमता क्या है ?

श्री अशोक मेहता : प्रारम्भ में यह विचार था कि यह पाइपलाइन इकहरी हो, परन्तु बाद में ऐसा अनुभव हुआ कि हल्दिया–बरौनी के बीच यह पाइपलाइन दुहरी होनी चाहिये । इस दूसरी लाइन को डालने का उद्देश्य यह था कि विशेष परिस्थितियों में उसकी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया जाये । अतः इस अतिरिक्त क्षमता को सामान्य क्षमता में सम्मलित करना उचित नहीं है चूंकि दूसरी पाइपलाइन को प्रयोग में लाने का खर्च बहुत अधिक होगा ।

Shri Deven Sen : May I know whether it is a fact that the Chief Mining Advisers of Central Govt. and West Bengal Govt. have advised the Indian Oil Corporation not to lay down the pipeline over the collieries with a view of safety of the pipeline and the hurdles it put in taking out the coals from mines ?

श्री रघु रामैया : यह सच है । रानीगंज कोयला खान क्षेत्र के ऊपर लाइन बिछ जाने का काम पूरा हो जाने के बाद पश्चिमी बंगाल सरकार ने इण्डियन आयल रिफाइनरीज लिमिटेड से इस बारे में विचार करने के लिए सितम्बर 1963 में कहा था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार की मंत्रणा की अवहेलना क्यों की गई और करोड़ों रुपये क्यों बर्बाद किये गये ?

श्री अशोक मेहता : जांच समिति ठीक इसी बात की जांच कर रही है ।

Shri Bibhuti Mishra : Why did the Govt. not take into accounts all these factors into consideration before laying this pipeline ?

श्री अशोक मेहता : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ कि गलती हो गई थी और इसके लिए एक जांच समिति नियुक्त कर दी गई है। यह तो ठीक है कि अभी यह पाइपलाइन काम में नहीं लाई जा रही है। परन्तु अब हमने पाइपलाइन में मोड़ देने की बात मान ली है और समझौता हो जाने पर नई पाइपलाइन के बिछने के समय तक वर्तमान पाइपलाइन का प्रयोग किया जा सकेगा।

Shri Bibhuti Mishra : The work on the said pipeline was completed in May 1965, yet the matter is still in abeyance. May I know whether Govt. is considering to penalize those who are responsible for the mistake ?

श्री अशोक मेहता : जैसे ही जांच समिति का प्रतिवेदन हमें मिलेगा, वैसे ही दोषियों के विरुद्ध हम उचित कार्यवाही करेंगे।

Shri K. N. Tiwary : May I know the time when the Govt. came to know of this mistake and when the Inquiry Committee was appointed ?

Shri Asoka Mehta : I came to know it when the matter was brought before the Court. Realignment of the pipeline will require a sum of Rs. 179 lakhs.

श्री स० चं० सामन्त : जो मामला अदालत में विचाराधीन है, उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री रघु रामैया : कोयला खान के मालिकों ने मुआवजे के लिए दावा किया और बाद में उन्होंने कलकत्ता के उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है जिस वजह से हम पाइपलाइन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : How can the Inquiry Committee function if the matter is pending in the court, because it will constitute the contempt of the court ?

श्री रघु रामैया : जांच समिति का कार्य-क्षेत्र बिल्कुल पृथक है। समिति उन परिस्थितियों का अध्ययन करेगी जिनमें पाइपलाइन बिछायी गई थी; उन आपत्तियों का अध्ययन करेगी, जो इस संबंध में किये गये थे और यह भी देखेगी कि क्या उन पर विचार किया गया या नहीं और लाइन बिछाने का काम किन परिस्थितियों में किया गया था। यह सब उच्च न्यायालय के याचिका सम्बन्धी कार्य क्षेत्र से बाहर है।

श्री स्वैल : क्या यह जांच नाम मात्र के लिये करवाई जा रही है या यह जांच निष्ठापूर्वक की जायेगी ? क्या आयल इंडिया के अधिकारियों ने खनन सलाहकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मंत्री महोदय का अनुमोदन मिल जाने पर नहीं माना था ?

श्री अशोक मेहता : भूतपूर्व महालेखा परीक्षक, श्री ए० के० राय की प्रधानता में जांच समिति नियुक्त की गई है, जिसके बारे में ऐसा सोचना ही अनुपयुक्त है। दूसरे, आपत्तियां न मानने का जहां तक सम्बन्ध है, ऐसा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अनुमति से हुआ।

इसलिये एक स्वतंत्र जांच समिति की नियुक्ति की गई है, जिससे जिम्मेदारी का निर्धारण ठीक हो सके ।

Shri Deven Sen : I would like to know whether this Inquiry Committee will look into the role played by foreign oil companies, colliery-owners, foreign consultants, and the directors of Indian Oil Corporation in connection with alignment of the pipeline.

Shri Asoka Mehta : No foreign oil firm is involved in it. It was a decision taken by the Indian Oil Corporation, the Govt. and the above mentioned two consultants jointly. For fixation of responsibilities, inquiry is being conducted.

श्री प्र० कु० घोष : इस पाइपलाइन को मोड़ देने का काम कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ? वर्ष 1965–67 के दौरान उस तेल के लाने ले जाने के लिये कितना रुपया भाड़े के रूप में खर्च किया गया है, जो तेल इस पाइपलाइन के द्वारा आना या जाना चाहिये था ?

श्री रघु रामैया : यह मामला कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय के सामने है । दूसरे, भाड़े की राशि के आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं ।

श्री रा० बरुआ : इस मामले में मुकद्दमे की कार्यवाही 1965 में शुरू हुई थी । तब से अब तक कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रघु रामैया : फरवरी 1966 में मंत्रालय ने यह सुझाव मान लिया है कि लाइन को दुबारा बिछाया जाये ।

Shri S. C. Jha : What are the steps taken by the Govt. since the Hon. Minister became in-charge of this Ministry ?

Shri Asoka Mehta : Now the matter is before the court and we want that there should be some kind of compromise between the parties. If it happens it will enable us to utilize the pipeline for the time being. Simultaneously the work of realignment will be taken up. In the meantime the inquiry is being conducted for fixing the responsibility for the mistake.

डा० रानेन सेन : क्या यह सच नहीं है कि इस गलती और बड़ी हानि के लिये पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सचिव जिम्मेदार हैं और उसको बचाने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : चूंकि इस मामले से वित्त मंत्रालय का भी सम्बन्ध है इसलिये मैं कुछ बातों का स्पष्टीकरण देता हूँ । जब यह मामला न्यायालय के सामने पहुँचा तो पाइपलाइन को पुन: बिछाने का प्रश्न सामने आया जिसके लिये लगभग दो करोड़ रुपये की स्वीकृति मांगी गई । पूरे मामले पर ध्यान देने से यह ज्ञात हुआ कि तकनीकी विशेषज्ञों ने मुख्य खनन निरीक्षक की सलाह को नहीं माना । उस समय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर नहीं दिलाया गया और स्वीकृति दे दी गई । जब यह मामला योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री के सामने आया तो इस मामले की पूरी जांच कराने का निश्चय किया गया,

ताकि जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा सके और जिम्मेदार लोगों को यथोचित दंड दिया जा सके और घाटे को, जहाँ तक हो, पूरा किया जा सके।

श्री पीलु मोदी : क्या मंत्रियों पर भी यह कानून लागू होगा ?

श्री मोरारजी देसाई : जी, हाँ।

श्री नि० रं० लास्कर : इस पाइपलाइन का अनुमोदन स्वयं मंत्रालय ने किया था, तो क्या मंत्रालय खनन विशेषज्ञों की सलाह न मानने के लिये कोई कारण बताया है ?

श्री रघु रामैया : तकनीकी सलाहकार बेचलर कार्पोरेशन और इटली की एक ठेका करने वाली फर्म ने खनन विशेषज्ञ की सलाह को नहीं माना था। खनन विशेषज्ञ का यह मत था कि 100 फुट की निचाई पर भी सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक होंगे, जबकि तकनीकी विशेषज्ञों की राय में सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक नहीं थे।

Shri S. M. Joshi : Will the Minister place the copy of the agreement entered into with the foreign firms for this work on the Table of the House ?

Shri Asoka Mehta : I can place it on the Table of the House, but it is not with me at this point of time.

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether the Inquiry Committee headed by Roy has been appointed under the Commission of Inquiries Act, so that he may call any body as witness or ask any paper to be produced before the committee for the purpose.

Shri Asoka Mehta : Shri Roy is being consulted in this respect and all will be done in the way, he will desire.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप मंत्री महोदय से यह कहने की कृपा करेंगे कि करार को वह अब नहीं तो कल सभा पटल पर रखें।

श्री अशोक मेहता : मैं अपने कार्यालय से पहले उसकी कापी लूँगा। अभी यह मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

+

*213	श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :	श्री शारदा नन्द :
	श्री ओंकार सिंह :	श्री भारत सिंह :
	श्री मणिभाई जे० पटेल :	श्री रणजीत सिंह :
	श्री ज्योतिर्मय बसु :	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
	श्री दी० चं० शर्मा :	श्री स० मो० बनर्जी :
	श्री ईश्वर रेड्डी :	डा० राम मनोहर लोहिया :
	डा० रानेन सेन :	श्री राम सेवक यादव :

श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री रामचरण :
श्री हेम राज :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री स्वैल :
श्री किंकर सिंह :
श्री कोलाई बिरुग्रा :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री नि० रं० लास्कर :
डा० कर्णी सिंह :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री पीलू मोडी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री काशी नाथ पांडे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों के दौरान अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है ;

(ख) क्या हाल ही में इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का पता लगाने के लिये एक वर्ष में एक या दो बार सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ताकि मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये समुचित कार्यवाही की जा सके; और

(घ) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये जो उपाय अब किये जा रहे हैं उनका व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 13 मई, 1967 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान अनेक खाद्य पदार्थों तथा मिल के बने कपड़े के मूल्यों में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर इसी अवधि में मिट्टी के तेल, हथकरघा कपड़े, साबुन, औषधियों, दियासलाई और टायर तथा ट्यूबों के मूल्य स्थिर रहे हैं।

(ख) और (ग) मूल्य स्थिति का निरन्तर रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है।

(घ) अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये किये गये उपायों में ये भी शामिल हैं, खाद्यान्न पर राज सहायता, सार्वजनिक प्रणाली द्वारा उसका बड़े पैमाने पर वितरण घरेलू, सप्लाई तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिये निर्यात का उदार बनाया जाना, उपभोक्ता सहकारी समितियों का विस्तार और बड़े शहरों में डिपार्टमेंटल स्टोरों का खोला जाना। बढ़ती हुई मांग को रोकने के लिये सरकार ने माली तथा मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने जो उपाय बताये हैं वे अल्पकालिक हैं और उनसे स्थिति में अधिक सुधार नहीं होगा। हम ऐसी स्थिति में फंस गये हैं कि जब भी मूल्य

बढ़ता है, हम अतिरिक्त कर लगाकर व्यय की वृद्धि को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। अत: इस समस्या के स्थायी हल के लिये क्या सरकार इस प्रश्न की जांच करने के लिये तैयार है कि खर्च में किस हद तक, कम से कम 150 करोड़ रुपये जिसकी मैं समझता हूँ गुंजाइश है, कमी की जा सकती है और खर्च में की गई इस कमी द्वारा करों में राहत दी जा सकती है और इस प्रकार कीमतों को रोका जा सकता है।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : हम अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपाय कर रहे हैं। जो दीर्घकालिक उपाय किये गये हैं उनमें कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन का विस्तार, सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में खर्च में संयम, जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या के वृद्धि दर को रोकना......(हंसी)।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप भूख से हुई मौतों को भी शामिल कर सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं नहीं समझता कि यदि हम इस पर विचार करें तो इसमें कोई हंसने वाली बात है।

अनाज, खाद्य तेलों, कपास आदि पर बैंकों द्वारा अग्रिम धन देने पर विवेकपूर्ण ऋण नियन्त्रण, वायदा व्यापार के विनियमन और लाइसेंसों और जमाखोरी विरोधी आदेशों के जारी किये जाने का भी उल्लेख किया जा सकता है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इन सब बातों के बावजूद महँगाई भत्ते में वृद्धि की जा रही है। खाद्य के मूल्य बढ़ गये हैं और बजट में भी अतिरिक्त व्यय के लिये उपबन्ध है। मैं समझता हूँ कि कीमतों पर इन सबका प्रभाव पड़ेगा। क्या सरकार अपने खर्च में 150 करोड़ रुपये की कमी करने पर विचार करेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य के लिये यह कहना आसान है कि 150 करोड़ रुपये की बचत करो। ऐसा करने के लिए इस प्रश्न की पूरी जांच करनी होगी। हम इसकी जांच कर रहे हैं और हमने 150 या 200 करोड़ रुपये की कोई सीमा नहीं रखी है। जब हम खर्च में कमी करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप छंटनी करनी पड़ती है तो माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं। आज प्रतिरक्षा के बारे में एक ध्यान आकर्षण सूचना है। तब मैं वही कहूँगा जो मुझे कहना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उदारता से 'ओवरड्राफ्ट' दिये जाते हैं, क्या सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी; यदि हाँ, तो कितनी जल्दी और यदि नहीं इसके क्या कारण हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : उदारता से ओवर ड्राफ्ट देने का एक ऐसा मामला है जिसकी जांच करना आवश्यक है। इन सब प्रश्नों की जांच की जा रही है कि बैंक ऋण का किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिये, बैंकों का प्रबन्ध किस तरीके से होना चाहिये आदि। यह सब किया जा रहा है और मुझे आशा है कि अगले तीन या चार महीनों में मैं किसी विशिष्ट

नतीजे पर पहुँच जाऊँगा। जब तक मैं किन्हीं विशिष्ट निष्कर्षों पर नहीं पहुँच जाता मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Yogendra Sharma : Since when have you been examining it ?

श्री मोरारजी देसाई : हम इसकी जांच कर रहे हैं और यह तीन या चार महीने तक चलेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : राज्य-मंत्री ने अपने उत्तर में जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय बताये हैं वे पुरानी चीजें हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरह।

श्री दी० चं० शर्मा : ऐसी बातें मत करो। इन उपायों को पिछले वर्षों में बार-बार दोहराया गया है और उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : श्रीमन्, क्या × × इसको सहन किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा बहुत वृद्ध हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : एक सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक वस्तु का निर्धारित मूल्य होना चाहिये और प्रत्येक दुकानदार विभिन्न वस्तुओं की मूल्य सूची अपनी दुकान पर टांकनी चाहिये। क्या इस सुझाव को क्रियान्वित किया जा रहा है ? यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ कि इन सब उपायों से मूल्यों में वृद्धि होगी।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : श्री दी० चं० शर्मा इस सभा के एक आदरणीय और पुराने सदस्य हैं। मैं चाहता हूँ कि माननीय महिला सदस्य द्वारा प्रयोग किये गये × × शब्दों को सभा के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : मैंने यह नहीं कहा कि वह एक— × — × हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। यह संसदीय अभिव्यक्ति नहीं है। विशेष रूप से एक वृद्ध सदस्य के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्री दी. चं. शर्मा : उस सुझाव पर क्या आपत्ति है ? जब हम उनको कोई अमल की बात कहते हैं तो वे कहते हैं कि यह एक पुराना सुझाव है।

डा० रानेन सेन : श्रीमन् जब माननीय मंत्री यह बता रहे थे कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या क्या उपाय किये हैं, तो हमने देखा कि सरकार 3 या 4 वर्षों से सभा के सामने ये ही उपाय रख रही है और कहती है कि इन उपायों

× × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Expunged as ordered by the chair.

से मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी । क्या यह सच है कि मूल्यों पर नियन्त्रण रखने और मुनाफाखोरी को रोकने के लिये सरकार काफी गम्भीर नहीं थी और यही कारण है कि मूल्यों को स्थिर नहीं रखा जा सका और यदि हां, तो सरकार ने मुनाफाखोरी को रोकने के लिये उचित कदम क्यों नहीं उठाये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार सभी संभव कार्यवाही कर रही है, परन्तु मूल्यों में वृद्धि एक मुख्य कारण खाद्य का तेजी से बढ़ना है और इसका एक मुख्य कारण पिछले दो वर्षों में सूखे का पड़ना है । मैं नहीं समझता कि यह कहना सही है कि हमारे उपायों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । बड़े पैमाने खाद्य के वितरण द्वारा ही निर्धन लोगों को किसी हद तक संतुष्ट रखा गया है ।

श्री. स. मो. बनर्जी : चूंकि सरकार को औषधियों समेत सभी अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोकने में घोर असफलता मिली है, मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक जो उपाय किये गये हैं और जो निष्फल सिद्ध हुए हैं, उनके अतिरिक्त सरकार और क्या उपाय कर रही है और क्या सरकार जमाखोरियों को सुरक्षा देने की बजाये जैसा कि अब किया जा रहा है, मूल्य स्थिरीकरण आन्दोलन का समर्थन करेगी जो कि उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो मूल्यों में वृद्धि करना चाहिये ?

श्री मोरारजी देसाई : मूल्य स्थिरीकरण आन्दोलन यदि उचित है और वे घेराव का रूप धारण नहीं करते तो निश्चय ही उनका समर्थन किया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : Has the attention of the hon. Minister been drawn to the fact that the price rise and especially of the essential commodities is due mainly to the fact that the people who should hold the price line are not bothered about it because they have enough purchasing power, if so, whether Government propose to put a ceiling on the expenditure ?

श्री मोरारजी देसाई : यह एक व्याव्हारिक सुझाव नहीं है ।

Shri Hem Raj : In view of the fact that even before the budget is presented, the prices shot up, do Government propose to evolve such measures as would check this tendency ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है कि बजट के आने से पहले ही कुछ वस्तुओं के दाम चढ़ जाते हैं. परन्तु सरकार इसके सभी संभव उपाय करती है कि करों की दर से अधिक कीमतें न बढ़ें । अब भी सरकार उस बारे में उत्पादकों से बातचीत कर रही है ।

श्री रा०. बरुआ. : चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मुनाफे और मंहगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाना चाहती है ताकि मूल्यों में वृद्धि को अधिक प्रभावशाली ढंग से रोका जा सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक व्यापक प्रश्न है और सरकार के विचाराधीन है । इस समय इसके बारे में विशिष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता ।

श्री स्वैल : माननीय राज्य मंत्री ने अभी बताया कि मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि पिछले दो वर्षों में भारी सूखा पड़ा है जिसके कारण खाद्य उत्पादन में काफी कमी

हुई है। मेरे विचार से इसका दूसरा कारण है और वह यह कि क्योंकि लोगों का अधिकांश पैसा अनाज खरीदने में लग गया है और अन्य वस्तुएं खरीदने के लिये पर्याप्त धन नहीं है और इसलिये मार्किट में मांग नहीं है। मैं समझता हूँ कि मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण देश में समूचे तौर पर उत्पादन का कम होना है। क्या सरकार जानती है कि देश में अनिश्चित राजनैतिक वातावरण और गम्भीर श्रम समस्याएं, जो कि अब घेराव और हिंसा के रूप धारण कर रही हैं, मुख्य रूप से उत्पादन में कमी के लिये जिम्मेदार हैं, यदि हां तो इस प्रकार की चीजों का अन्त करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ताकि जनता अपनी शक्ति को उत्पादन कार्यों में लगा सके ?

श्री मोरारजी देसाई : सरकार इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी कि संविधान के अन्तर्गत क्या उपाय किये जाने चाहिये और वे कितने प्रभावशाली ढंग से किये जा सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : मुझे याद है माननीय वित्त मन्त्री ने कहा था कि किसी भी कारण से वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया जायेगा।

श्री मोरारजी देसाई : उत्पादन शुल्कों के कारण।

श्री हेम बरुआ : जी हां, माननीय मंत्री ने यही कहा था, परन्तु दुर्भाग्य से कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई है। ऐसी हालत में सरकार ने मुनाफाखोरों और जमाखोरों के विरुद्ध, जो कि कीमतों के बढ़ने के लिये जिम्मेदार हैं, कड़े उपाय क्यों नहीं किये हैं जैसे कि उन लोगों के विरुद्ध अध्यादेश जारी करना ? मैं एक उदाहरण देता हूँ। मोती बाग की एक फर्म रमन गैस सर्विस ने घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिये हैं और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बर्मा शैल ने, जिसके वे एजेंट हैं, उनसे कीमत बढ़ाने के लिये कहा है। क्या मंत्री महोदय कीमतों को रोकने के लिये अध्यादेश जारी करेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : जब संसद बैठी हुई हो तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। यह संभव नहीं है, इसलिये कानून का होना आवश्यक है और कानून छः महीने से कम की अवधि में पारित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है। फिर, मैंने यह नहीं कहा है कि सभी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया जायेगा। मैंने केवल तीन श्रेणियों के बारे में कहा है, अर्थात् रेयन, नाइलोन और एल्यूमिनियम के बारे में कि इनको उत्पादन शुल्क को अपने मुनाफे में ही खपाना होगा। अन्य वस्तुओं के बारे में भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि उनके मूल्य न बढ़ें और यदि बढ़ें भी तो उन्हें गिरा दिया जावे। यदि कानन का होना आवश्यक हुआ तो हम उसे भी निश्चय ही सभा के सामने लायेंगे।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपायों के बावजूद भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं क्या सरकार विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने पर विचार कर रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : मूल्य निर्धारित करना आसान है, परन्तु उन मूल्यों पर वस्तुओं को बिकवाना सरल नहीं है। इसके लिये दूसरा तरीका अपनाना होगा।

श्री अंबा जागन : जबकि राज्य सरकारें अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों को गिराना चाहती हैं—जैसे कि चावल जिसे वे 60 या 62 पैसे प्रति किलो पर देना चाहती हैं—तो केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता करने के लिये आगे नहीं आती। इसका क्या कारण है ?

श्री मोरारजी देसाई : जो राज्य सरकारें स्वयं राज सहायता देकर मूल्यों को गिराना चाहती हैं उन्हें अपने साधनों से ऐसा करना चाहिये। उस लागत को वे भारत सरकार पर नहीं डाल सकतीं क्योंकि यदि भारत सरकार उस लागत को अपने ऊपर लेगी तो भारत सरकार को वह राज सहायता सारे देश में देनी होगी और मैं नहीं समझता कि इसकी राशि 1,000 करोड़ रु॰ से कम होगी।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जो लोग राशन वाले क्षेत्र में नहीं रहते, उन्हें अनाज की अधिक कीमत देनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय अपनाने का विचार कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : राशन की दुकानों के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से उचित मूल्य पर बेचने के लिये अनाज देती है। खुले बाजार भावों से इन दुकानों पर अनाज का भाव काफी कम होता है। उदाहरणार्थ, सरकार आयातित गेहूं का वितरण 55 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से करती है जबकि 131 केन्द्रों से उपलब्ध आंकड़े से पता चलता है कि देसी गेहूँ का खुदरा भाव 100 रुपये से 165 रुपये प्रति क्विन्टल है।

Shri Kanwarlal Gupta : It is told that short-term and long-term measures are being taken to check the rising prices. I want a guarantee from you that the prices of essential commodities will be stabilized within six months. I also want that the Govt. should not take the profit on essential commodities produced in the public sector or imported by State Trading Corporation. Can the Hon. Minister give guarantee for it ?

श्री मोरारजी देसाई : यह एक सुझाव मात्र है।

Shri Kanwar Lal Gupta : A guarantee can be given,

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी जा सकती।

Shri Sidheshwar Prasad : Is the Hon. Minister aware that the administrative machinery is also responsible to some extent for increase in the prices. Commodities are not available on fixed rates, while a large quantity of them can be had in blackmarket or by giving more price than the fixed one. What are the measures, Govt. have taken to solve this problem from administrative point of view ?

Shri K.C. Pant : In Ministry of Commerce a Civil supplies Organisation was set up in 1966 to have a constant look on prices and especially on prices of essential, commodities. It is coordinated with all the States. Wherever necessary, it can take necessary steps to improve the situation. It helps the consumer's industries to have more production and the co-operative stores to procure the industiral commodities at lower rates.

श्री ओम् मेहता : कीमतों को घटाने के तीन तरीके हैं। पहला, उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा वितरण व्यवस्था में सुधार करना और तीसरा आम उपभोग की वस्तुओं पर से अप्रत्यक्ष कर को हटाना है। कम बच्चे बनाना भी एक अन्य उपाय बताया गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि वित्त मन्त्री ने उत्पादन बढ़ाने, उचित वितरण में बाधक अनुचित व्यवस्था को समाप्त करने तथा अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : इस सम्बन्ध में हम जो भी कार्यवाही करते हैं, उसके लिये हमें लोगों का पूरा समर्थन नहीं मिलता, जिस कारण जो हम करते हैं, उसका कोई शुभ परिणाम नहीं निकलता। उत्पादन बढ़ाने के लिये योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनको क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि उत्पादन पर हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। यदि अगली फसल में मानसूनों ने हमारा साथ दिया तो हमारी अनेक समस्याएं सुलभ जायेंगी।

श्री म० य० सलीम : क्या यह सही है कि पेशेवर जमाखोरों को कुछ राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है और वे लोग मूल्यों में वृद्धि के लिये जिम्मेदार हैं। क्या सरकार ऐसे राजनीतिक दलों के विरुद्ध क्या कदम उठायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : लोकतन्त्र में दलों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

Shri George Fernandes : Alongwith the hoarding, the taxation policy of the Government is also responsible for the high trend in the prices. For example, the cost price of kerosene oil is 15 to 17 paise per litre while it is being sold at the rate of paise 50 to 55 per litre. May I know whether Govt. have prepared any such plan under which the selling price ot all essential commodities will not be more than 1 $\frac{1}{2}$ times of the cost price of them ?

Shri Morarji Desai : I am unable to understand this economic philosophy. Moreover, the reduction of taxes means the reduction in revenues of the Govt. and it will reduce employment chances with the result of increased employment.

श्री समर गुह : रेलवे के भाड़े की दरों में वृद्धि हो जाने से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा है। क्या वित्त मन्त्री ने रेलवे मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाया है ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे अपने साथी से पूर्ण सहानुभूति है कि मैं रेलवे मन्त्री की कठिनाइयों को भली भांति समझता हूं।

श्री के० एल० पटेल : (कन्नड़ में बोले)

अध्यक्ष महोदय : अब इतना समय नहीं है कि उक्त प्रश्न का पहले अनुवाद किया जाये फिर उसके उत्तर का अनुवाद किया जाये।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या अब इस नियम को कि एक सदस्य के नाम में केवल तीन तारांकित प्रश्न ही स्वीकार किये जा सकते हैं, कुछ उदार बना दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक ही सदस्य के नाम में तीन से अधिक प्रश्न स्वीकार किये जा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह नियम उन प्रश्नों पर लागू नहीं होता जो एक साथ जोड़ दिये जाते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि आप इसी प्रकार नियमों में ढील देते जायेंगे तो यह बहुत अच्छा नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस नियम में कोई ढील नही दी गई है । कई नामों को एक साथ जोड़ने का मामला बिल्कुल पृथक है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मन्त्री महोदय ने बताया कि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना आसान है, परन्तु वस्तुओं को इन्हीं दामों को बिकवाना बहुत कठिन है । इसलिये कीमतों को स्थिर करने के लिये सरकार अन्य क्या उपाय अपनायेगी ।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने यह कहा था कि कुछ अन्य उपाय अपनाने होंगे ।

राष्ट्रपति के चुनाव में स्टाफ कारों का प्रयोग

\+

*5 **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** :

क्या **संसद-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मई, 1967 को हुए राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालने के लिये कांग्रेस दल के सदस्यों को लाने के लिये संसद-कार्य विभाग की कोई गाड़ी रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर भेजी गई थी;

(ख) क्या उनके विभाग की 'लौग बुकों' में मोटरगाड़ियों का समय तथा घंटा दर्ज किया गया है और क्या मन्त्री जी 'लौग बुकों' में दर्ज प्रविष्टियों की प्रतियां सभा-पटल पर रखेंगे; और

(ग) क्या संसद-कार्य विभाग के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उस दिन कांग्रेस के कुछ संसद सदस्यों के स्वागतार्थ रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया था ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा. राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग) 6 मई 1967 को हुए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी सदस्य को लाने के लिये संसद कार्य विभाग की किसी गाड़ी का उपयोग नहीं किया गया था । तथापि, विभाग के एक अधिकारी को श्री सी. डी. गोतम को जो हड्डियां टूट जाने के कारण बीमार थे, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं दिलाने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये कहा गया था वह अधिकारी स्टाफ की गाड़ी से संसद भवन से पहले विलिंगडन अस्पताल गया और बाद में यह देखने रेलवे स्टेशन गया कि अस्वस्थ सदस्य को रेलवे स्टेशन पर चिकित्सा सम्बन्धी सहायता दी जाये । उस अधिकारी के संसद भवन से विलिंगडन अस्पताल और रेलवे स्टेशन तक जाने वापिस आने से सम्बन्धित प्रविष्टि को सभा पटल पर रख दिया गया है ।

स्टाफ कार की 'लॉग बुक' से उद्धरण

क्रम संख्या	दिनांक	समय से तक	मीटर विवरण	यात्रा मीलों में	अधिकारी का नाम तथा पद	यात्रा के स्थान	यात्रा का उद्देश्य	हस्ताक्षर
392	6-5-67	10.30 म०पू० 10.30 म०पू०	65114	5	श्री के. एन. कृष्णन, अवर सचिव (एल.)	संसद भवन से विलिंगडन अस्पताल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहां से वापिस संसद भवन	सरकारी (संसद सदस्य, श्री सी. डी. गोतम की देख भाल के लिये)	हस्ताक्षरित

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि एक अन्य कर्मचारी श्री बख्शी को भी, मतदान के लिये आने वाले कांग्रेस संसद् सदस्यों का स्वागत करने के लिये भेजा गया था ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सच नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या 6 मई को मतदान के लिये कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों को लाने के लिये कोई स्टॉफ कार पालम हवाई अड्डे पर भेजी गई थी ?

डा० राम सुभग सिंह : यह बिलकुल झूठ (white lie) है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : काला झूठ क्या है

श्री विश्वनाथन : यह असंसदीय है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : झूठ संसदीय नहीं है। इन शब्दों को उन्हें वापस लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसको ठीक कर के "यह सच नहीं है" कर दिया जायेगा

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : या तो उन्हें इन शब्दों को वापस लेना चाहिये या इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : मैं इन शब्दों को वापस लेने के लिये तैयार हूँ परन्तु उनको भी कोई ऐसी बात न कहने के लिये तैयार होना चाहिये जिसका सचाई से कोई सम्बन्ध नहीं है

Shri Madhu Limaye : No ifs and buts; does the hon. Minister withdraw it ?

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है यह सच न हो। "बिलकुल झूठ" कहने की बजाये यदि यह कह दिया जाये कि "यह सच नहीं है" तो इन शब्दों में उतना ही बल है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है आप मेरी आज्ञा का पालन करते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां

Shri Madhu Limaye : May I know the number of places to which Central Government had sent its representatives to influence the voters or to have them cast their votes in a wrong manner, on Government expense during the Presidential election ?

Dr. Ram Subhag Singh : Sir, I have great respect for the hon. Member Shri Madhu Limaye. He makes an extensive and intensive study of most complicated issues. Congress Parliamentary Chief Whip and the Minister for Parliamentary Affairs are two distinct posts. The chief Whip has his own status. The Hon. Member should proceed only on the basis of this distinction. I want to say it very categorically that not a single paisa of the

Government has been spent on the President's election nor any person was sent to any place on Government expenditure.

Shri Ram Sewak Yadav : But you might have spent much more than a paisa.

Dr. Ram Subhag Singh : We do not do what Shri Yadav's ministers do. Whatever the telephone charges will be borne by me personally.

Shri Madhu Limaye : Sir, my question has not been answered. I have not enquired what Dr, Ram Subhag Singh has spent in his personal capacity. I have rather enquired about the whole of the Government.

Dr. Ram Subhag Singh : I am speaking only about the Government.

Shri Balraj Madhok : The hon. Minister stated that he is the Chief Whip as also the Minister of Parliamentary Affairs. May I know whether the status and power, that he wields by virtue of his being a Minister, if utilised to influence the election does not amount to the misuse of official power ? He should enjoy only one of the two offices. Since the act of the Prime Minister is not deemed as a personal act, may I know whether on the same analogy whatever he has done does not amount to misuse of official power ?

Dr. Ram Subhag Singh : Shri Madhok should know that I hold the office of a Minister because I enjoy certain status in the Congress. I think that I do not enjoy my power as a minister and therefore the question of its misuse does not arise.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय सदस्य ने कहा कि कार का प्रयोग नहीं किया गया था, केवल एक अधिकारी भेजा गया था । क्या यह सच है कि कुछ कांग्रेस सदस्यों ने जो विमान द्वारा आना चाहते थे, संसद कार्य मंत्री को उसकी मुख्य सचेतक की हैसियत में एक पत्र लिखा था कि उनके लिये सवारी का प्रबन्ध किया जाये ? मैं जानना चाहता हूँ कि मतगणना के लिये कितने "वाइट ऐलीफैंट" लाये गये थे ।

डा० राम सुभग सिंह : विमान सुविधाएं देने के लिये मुझे किसी ने भी नहीं लिखा था और न ही कोई व्यक्ति "ऐलीफैंट" के रूप में इस तरीके से काम कर रहा था जिस तरीके से श्री बनर्जी कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस दल के एक सदस्य के लिये सवारी का प्रबन्ध किया गया था क्योंकि वह बीमार थे । क्या उस सदस्य ने सम्बन्धित मंत्री से सवारी के लिये कहा था इसका प्रबन्ध उनके अपने खर्चे पर ही किया गया था और यदि वह प्रतिपक्षी दल के सदस्य होते तो क्या फिर भी उनको वही सुविधाएं दी जातीं ?

डा० राम सुभग सिंह : श्री हेम बरुआ एक बार अस्पताल में बीमार थे और मैं नहीं जानता कि उनको याद है या नहीं, परन्तु मेरे एक साथी मंत्री के रूप में न केवल उनसे मिलने ही गये, अपितु उन्हें जिन पुस्तकों की आवश्यकता थी वे भी उन्होंने भेजीं । मैं स्वयं उन व्यक्तियों से मिलने के लिये गया था जिनके बारे में मुझे पता लगा कि वे अस्पताल में बीमार हैं ।

श्री हेम बरुआ : मैं आभारी हूँ । प्रधान मंत्री ने मुझे कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिये भेजी थीं ।

डा० राम सुभग सिंह : अतः माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ नहीं चाहता है। मैं तो समझता हूँ कि—यदि आप इसको ठीक नहीं समझते तो मैं विपक्ष का कहना मानने के लिये तैयार हूँ—यदि कोई संसद सदस्य बीमार हो तो हमें उससे मिलने जाना चाहिये।

श्री विश्वनाथन : माननीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी स्टॉफ कार को राष्ट्रपति के चुनाव के लिये भेजा था। हमें तो यात्रा भत्ता भी नहीं दिया गया था। हम तो अपने खर्चे पर ही आते हैं। क्या माननीय मंत्री के लिये अन्य व्यक्तियों के लिये गैर-सरकारी कार का प्रबन्ध करना संभव नहीं था। दूसरी बात यह है कि आरोप यह नहीं है कि उन्होंने दुरुपयोग किया, अपितु यह कि उन्होंने स्टॉफ कार का उपयोग किया।

डा० राम सुभग सिंह : मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि उस बीमार सदस्य को भी, जिनके शरीर पर काफी चोट लगी थी, स्टॉफ कार द्वारा नहीं ले जाया गया था। उन्होंने अपनी सवारी के लिये स्वयं प्रबन्ध किया था और मैं इतना बेईमान नहीं हूँ जितना कि सदस्य······

एक माननीय सदस्य :·········सुझा रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका अर्थ है, जितना कि माननीय सदस्य ने बताया।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने यह नहीं कहा है। उन्होंने कहा था "जैसा कि माननीय सदस्य" और वहीं पर रुक गये। उन्हें अपना वाक्य पूरा करना चाहिये था।

श्री विश्वनाथन : मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि वह इतने बेईमान नहीं हैं जितना कि माननीय सदस्य सुझा रहे हैं।

श्री विश्वनाथन : मैंने किसी बेईमानी का सुझाव नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : तो, ठीक है।

श्री कंडप्पन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री के दो पदों पर काम करने से अर्थात्, मंत्री के रूप में तथा दल के मुख्य सचेतक के रूप में भी काम करने से सदस्यों के दिमाग में तथा बाहर जनता के दिमाग में भी उलझन पैदा हो गई और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उनके अपने दल में सफेद टोपी वाले किसी भी संख्या में उपलब्ध हो सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये भिन्न-भिन्न व्यक्ति नियुक्त करने के लिये तैयार है ?

डा० राम सुभग सिंह : उनके अपने दल डी० एम० के० भी ये पदधारी मौजूद हैं।

श्री रंगा : क्या माननीय मंत्री जानकारी प्राप्त करके यह बतायेंगे कि उस 6 तारीख से 3 या 4 दिन पहले या 3 या 4 दिन बाद कितनी संसदीय समितियां बुलाई गई थीं ताकि सदस्य आसानी से आ सकें और अपना भत्ता भी ले सकें और साथ साथ अपने दल की बैठकों में भी भाग ले सकें ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा की आप जानते हैं, तीन वित्तीय समितियां हैं और कुछ अन्य समितियां हैं, स्वतन्त्र दल के एक भूतपूर्व नेता ने जो मेरे आदरणीय प्रो० रंगा के उत्तराधिकारी हैं, शायद लोक लेखा समिति की बैठक बुलाई थी, परन्तु मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है। मैं निश्चित स्थिति का पता लगा कर उसको सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री रंगा : माननीय मंत्री को बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से गलत बात कहने की आदत पड़ गई है। मैंने उनसे जानकारी इकट्ठा करने के लिये कहा था। क्या मैं यह समझूं कि केवल लोक लेखा समिति की बैठक ही बुलाई गई थी या अन्य किन्हीं समितियों की बैठक भी बुलाई गई थी? मुझे इस बारे में जानकारी चाहिये **(व्यवधान)**। पहले भी एक बार उन्होंने श्री विश्वनाथन के एक प्रश्न के उत्तर में ऐसे मूर्खतापूर्ण और आपत्तिजनक सुझाव देने की जुर्रत की थी, उनकी खराब अंग्रेजी के कारण यदि आपने उनकी रक्षा नहीं की होती तो वह कठिनाई में होता।

अध्यक्ष महोदय : लोक लेखा समिति की बैठक फिर नहीं हुई क्योंकि मेरे अध्यक्ष चुने जाने के बाद मैंने सभापति को नाम निर्दिष्ट किया था। मेरे ख्याल में लोक लेखा समिति की बैठक कुछ समय बाद हुई थी **(व्यवधान)**

श्री रंगा : मैंने केवल यह कहा था कि वह जानकारी इकट्ठी करके सभा के सामने रखने का कष्ट करें।

डा० राम सुभग सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं जानकारी दे दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री रंगा : उनका व्यवहार इतना खराब है.........

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी दे दें। मैं तो केवल सभा की समितियों के बारे में जानकारी दे रहा था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली के लिए चौथी योजना

***214. श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के लिए चौथी योजना में भारी कटौती की है;

(ख) क्या दिल्ली महानगर परिषद् ने दिल्ली में रोज़गार बढ़ाने तथा मकानों की समस्या को हल करने के हेतु दिल्ली के लिए अधिक राशि नियत करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना, पैट्रोलियम, और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) दिसम्बर, 1966 में योजना आयोग तथा उप-राज्यपाल के मध्य हुई बैठक में दिल्ली की चौथी योजना का परिव्यय 155·64 करोड रुपये स्वीकृत किया गया था, जबकि दिल्ली प्रशासन द्वारा 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़ी सिंचाई और विद्युत् योजनाएँ

***215. श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया : श्री स० मो० बनर्जी : श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत लम्बी अवधि वाली सिंचाई और बिजली की बड़ी योजनाओं को आरम्भ करने के बारे में अपनी नीति का पुर्नावलोकन किया है;

(ख) क्या सरकार ने बांधों का स्तर ऊँचा करने, टर्वा जेनेरेटरों को चालू करने और सिंचाई के लिए नालियां खोदने के काम में समन्वय लाने के लिये कुछ नये उपाय सोचे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समन्वयकारी योजना का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : भूमियों को पानी अचूक मिलता रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नदी संसाधनों का विकास किया जाना है और इस उद्देश्य के लिए बृहत् सिंचाई परियोजनाएँ (5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाएं) आवश्यक हैं । अत: अब तक जिन 500 सिंचाई परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है उनमें बृहत् परियोजनाएँ चाहे संख्या में सातवें भाग के बराबर हैं, परन्तु वे सिंचाई लाभों के तीन चौथाई से अधिक लाभ पहुंचाती हैं ।

परियोजनाओं के निर्माण की आरम्भावस्था को कम करने के लिए विशेषकर उन बृहत् परियोजनाओं को जिनकी लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक होती है जो पग उठाए जा रहे हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) परियोजनाओं को इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे उनके आंशिक रूप से निर्मित होने पर भी लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएगे ।

(2) नहरों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि आगे की पहुँचों को आरम्भ करने से पूर्व पहली पहुंचों को सभी तरह से पूरा कर दिया जाता है । इससे पहली पहुँच के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को पूरी नहर के बन जाने से पहले ही पानी मिल सकेगा ।

(3) क्षेत्रीय नालियों को बनाने के लिए पर्याप्त कार्य किये जा रहे हैं, और यदि इनके निर्माण में सरकार को भी व्यय करना पड़े तो वह करती है जिसे बाद में लाभ उठाने वालों से वसूल कर लिया जाता है ।

(4) बृहत् परियोजनाओं में निर्माण कार्य के आरम्भ होते ही आया-कट विकास कार्यक्रमों को शुरू किया जाता है ताकि जमीनें सिंचाई के लिए तैयार हों और उससे कृषि उपज शीघ्र तथा इष्टतम सुनिश्चित हो जाए।

इस प्रकार 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बृहत ताप बिजली परियोजना पर साधारणतया 6 से 7 वर्ष लगते हैं। इस अवधि को कम करने के लिये किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(1) अभिकल्प के लिए देश में उपलब्ध योग्यता का विकास।

(2) देश में ही उपकरण की रचना।

(3) प्रतिष्ठापन तकनीकों का विकास।

दिल्ली नगर निगम को ऋण की सुविधाएं

***216. श्री स्वेल :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
डा० कर्णी सिंह :
श्री किंकर सिंह :
श्री कोलाई बिरुआ :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय संभरण तथा निपटान निदेशालय ने हाल में दिल्ली नगर निगम की भाषा सम्बन्धी सुविधाएं बन्द कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख) कुछ गैर-सरकारी निकायों को "बाद में जमा" सुविधाएं दी जा रही थीं जिसके अधीन उनके लिए माल संभरण तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीदा जाता था और मुख्य वेतन तथा लेखाधिकारी द्वारा माल देने वाले को जिस दिन भुगतान कर दिया जाता था, उससे 7 दिन के अन्दर सम्बन्धित निकायों को उस माल के मूल्य का भुगतान करना होता था। नवम्बर, दिसम्बर 1966 से दिल्ली नगर निगम को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि बार बार याद दिलाने पर भी नगर निगम अपनी ओर बकाया बड़ी राशि को जमा न कर सका था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिए सहायता

***217. श्री एस० आर० दमानी :**
श्री राम किशन गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० किस्कू :
श्री श० ना० मायती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डे :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के लिए विदेशी सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों से ऋण लेने के बारे में करार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ इस प्रकार के करार किये गये हैं;

(ग) इन ऋण सम्बन्धी करारों के अन्तर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्रीमोरारजी देसाई) : (क) चौथी पंचवर्षीय आयोजना की रूपरेखा के प्रारूप में सम्मिलित कुछ प्रायोजनाओं के लिए विदेशी सरकारों और अन्य अभिकरणों (एजेन्सियों) के साथ ऋण करार किये गये हैं।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। (**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 487/67**)

उर्वरक कारखाने

*218. **श्री श्रीकान्तन नायर :** **श्री उमानाथ :**
श्री एस्थोस : **श्री प० गोपालन :**
श्री विश्व नाथ मेनन : **श्री श्रद्धाकार सूपकार :**
श्री अब्राहम : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उर्वरक उद्योग अपनी स्थापित क्षमता का केवल 55 प्रतिशत उपयोग करती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय उत्पादन लागत प्रति टन 6,000 रुपये है जबकिं सामान्य तौर पर उत्पादन लागत प्रति टन 2,500 रुपये होती है ; और

(ग) यदि हां, तो पूरी क्षमता से उत्पादन करने तथा उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 1966–67 में नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन, स्थापित क्षमता का 52.6 प्रतिशत था।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ वर्तमान कारखानों में अतिरिक्त सन्तुलन उपकरणों की स्थापना द्वारा उत्पादन में सुधार करने के लिए कदम उठाये गये हैं। नये कारखानों में, जिन्होंने हाल में उत्पादन करना शुरु कर दिया है, उत्पन्न होने वाली प्रारम्भिक रुकावटों को दूर करने के भी यत्न किये जा रहे हैं।

गुजरात को गैस की सप्लाई

*219. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने गुजरात की गैस के मूल्य के बारे में बहुत दिन से चलते आ रहे विवाद के बारे में गुजरात के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) इस विषय पर गुजरात के मुख्य मंत्री के साथ कुछ बातचीत हुई थी।

(ख) यह फैसला हुआ था कि मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाही को जारी रखा जाय।

भारत सरकार के पास जमा विदेशी पूंजी

*221. **श्री शारदा नन्द :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री हीरजी भाई :
श्री भारत सिंह :
श्री ख० प्रधानी :
श्री दामानी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जमा विदेशी पूंजी में हाल ही में भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी कमी हुई है; और

(ग) उक्त पूंजी को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

*222 **श्री प्र० के० देव :**
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आम चुनावों के बाद राज्यों ने केन्द्र से कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) अब तक कितनी राशि मन्जूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित मंत्रालयों से एकत्र की जा रही है, और मई, 1967 में जैसी स्थिति होगी, उसका विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

राज्यों की वार्षिक योजनाएं

*223. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी : श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री शारदा नन्द : श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार विभिन्न राज्यों में उन राज्यों की वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-सरकारों से हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उन राज्यों ने अपनी वार्षिक योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से अपने हिस्सा का कितना खर्च देने की सहमति व्यक्त की है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) चालू वर्ष के लिए विभिन्न राज्यों की सालाना योजना को अन्तिम रूप देने के लिए, योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार, फिलहाल विभिन्न राज्यों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : यह विचार-विमर्श 26 मई, को आरम्भ हुआ और जून, 1967 के तीसरे सप्ताह तक चलता रहेगा।

DEFICIT FINANCING

*224. **Shri Sidheshwar Prasad : Shri Ram Kishan Gupta :**
Shri Chintamani Panigrahi : Shri Rane :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that in the Chief Minister's Conference held last month in Delhi, the Central and State Governments agreed in principle that deficit budget would not be presented in future;

(b) If so, the considerations kept in view while taking this decision; and

(c) The steps being taken by the Central and State Governments respectively to give it practical shape ?

The Minister of State in The Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). It was generally agreed at the Conference of the State Chief Ministers and Finance Ministers that there should be no recourse to deficit budgets in view of the prevailing price situation. The Centre has already presented a balanced budget and the States it is hoped will also do likewise.

बिहार में अकालग्रस्त लोगों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं

*225. **डा० कर्णी सिंह :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्रीमती निर्लेप कौर : **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है और बिहार सरकार को ऐसी कार्यवाही करने की सलाह दी है जिससे अकाल की स्थिति में कुपोषण के कारण बहुत दिनों से कष्ट उठा रहे लोगों का स्वास्थ्य पुन: सामान्य हो जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हाँ।
(ख) राज्य सरकार को निम्नलिखित सलाह और सहायता दी गई:—

1. मल्टि-विटामिन टेबलेट, औषधियाँ तथा आहार अनुपूरक, बेबी फूड और अन्य पोषक सामग्री दी जा रही है और राज्य सरकार उन्हें ऐसे लोगों में बाँट रही है जिन्हें कुपोषण सम्बन्धी रोग हो सकता है।

2. भारतीय रेड-क्रास सोसाइटी, 'केअर' 'यूनिसेफ' की मदद से भोजन के विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

3. राज्य सरकार को चेचक की जमाकर सुखाई गई वैक्सीन की 8 करोड़ 62 लाख 90 हजार मात्राएं दी गई हैं।

4. हैजा-वैक्सीन की 2 करोड़ 85 लाख मात्राएं तैयार करने के लिए तथा टी. ए. बी. वैक्सीन की एक करोड़ मात्राएं तैयार करने के लिए यूनिसेफ से सामान प्राप्त हो गया है और इन वैक्सीनों का उत्पादन शुरू किया जा रहा है।

5. कुपोषण के गम्भीर मामलों के इलाज के लिए राज्य सरकार को एमिनोफुस्बिन (प्रोटीन हाइड्रोक्लाइस्टेट) की एक-एक लिटर की चार सौ बोतलें दी गई हैं।

6. पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए यूनिसेफ से ड्रिलिंग रिग, हैण्ड वाटर पम्प, वाटर टेस्टिंग किट और क्लोरिनेटिंग यूनिट प्राप्त किये गये हैं और वे राज्य सरकार को दे दिये गये हैं। इस प्रकार का और सामान भी प्राप्त किया जा रहा है।

खाद्यान्न रखकर बैंकों द्वारा अग्रिम धन दिया जाना

*227. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों ने 1966–67 के दौरान खाद्यान्न रख कर अग्रिम धन के रूप में कितना ऋण दिया है :

(ख) क्या खाद्यान्न के व्यापार में सट्टे की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विन्यामिक कृत्यों का पूर्णतया प्रयोग किया गया ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की हिदायतों का उल्लंघन करने पर किसी बैंक को दण्ड दिया गया है ; और

(घ) इस प्रकार दण्ड दिये गये बैंकों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) वर्ष 1966–67 के प्रत्येक महीने के अन्त में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनाज रख कर दिये जाने वाले ऋण की बकाया राशियों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (**पुस्तकालय में रखा गया—देखिये एल. टी. संख्या 488/67**)

(ख) रिजर्व बैंक ने खाद्यान्नों के सट्टे के व्यापार में बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण-सुविधा के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से अनाज की जमानत पर दी जाने वाली अधिकतम ऋण-राशि की मात्रा निश्चित कर दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एक भी नहीं।

राज्यों में सरकारी व्यय

***228. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मुख्य मन्त्री अपने अपने राज्यों में सरकारी व्यय कम करने के लिये सहमत हो गये हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य के सरकारी व्यय में कितने प्रतिशत कमी करने के लिये वे सहमत हुये हैं ; और

(ग) इससे राज्यों के सरकारी व्यय में केन्द्रीय सरकार का कितना भाग कम करने में सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा वित्त मन्त्रियों के हाल के सम्मेलन में यह बात सामान्य रूप से मान ली गई है कि घाटे के बजटों और अधिविकर्षों (ओवरड्राफ्टस) का आश्रय न लिया जाये। इसका अर्थ यह है कि सरकारी व्यय को उपलब्ध संसाधनों तक ही सीमित रखा जाये और यदि खर्च को पूरा करने के लिये संसाधन उपलब्ध हैं तो खर्च में कमी करने की आवश्यकता नहीं है।

रुपये का अवमूल्यन

***229. श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री राम किशन गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कू :
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री अब्दुल ग़नी दार :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव के बारे में कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार रुपये की साख सुदृढ़ करने के लिये कोई उपाय करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) भारतीय-अर्थव्यवस्था पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका कोई निश्चित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी देश की आर्थिक स्थिति पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 1966-67 के आर्थिक सर्वेक्षण में जो सभा पटल पर रखा जा चुका है, अर्थव्यवस्था की नवीनतम स्थिति दी हुई है। अर्थव्यवस्था अनेक बातों से प्रभावित होता है और इसी वजह से अकेले अवमूल्यन के प्रभाव को अलग से देखना कठिन होता है। निर्यात की मात्रा निर्यात करने वाली वस्तुओं की बहुतायत पर निर्भर करती है और सूखे की वजह से निर्यात के योग्य वस्तुओं के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा है। सर्वोपरि बात यह है कि हमारी वस्तुओं की विदेशों में मांग घट गयी है और कुछ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के दाम गिर गये हैं। ब्याज का भुगतान भी बढ़ता जा रहा है। अन्य बातों के साथ साथ प्रतिकूल कृषि मौसम से आन्तरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) रुपये के मूल्य को दृढ़ रखने के लिये पूरी अर्थव्यवस्था को दृढ़ करना होगा और इसके लिये उत्पादिता को बढ़ाना होगा। सरकार सदा ऐसी नीति अपनाने का प्रयास करती है, जिससे इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

ASSESSMENT OF INCOME-TAX BY INCOME-TAX OFFICERS.

***230. Shri Rabi Ray :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Madhu Limaye :
Shri S. M. Joshi :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government have received complaints that the Income-tax Officers ask a large number of people, whose income is not liable to income-tax, to submit detailed returns in respect of all the years in order to increase the number of cases disposed of by them and to complete their monthly quota of cases ;

(b) Whether it is a fact that the efficiency of Income-tax Officers is judged on the basis of the number of cases disposed of by them and that the assessment has been categorised in five categories ; and

(c) If so, whether Government have taken any steps to change such s andards in the Income-tax Department which cause unrealistic heavy work load and give chances of deception ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) The efficiency of an ncome-tax Officer is judged by a number of factors, the quantity of work being only one of them. The main test is the quality of work, e.g. tax evasion detected and soundness of assessments made.

The cases have been put in five categories depending, mainly, on the income involved, for purposes of evaluating the quantity of work, as a higher income case requires more time than a smaller income case.

(c)The standards laid down for disposal by Income-tax officers are reviewed from time to time by the Central Board of Direct Taxes in consultation with the Commissioners of Income-tax. The standards laid down are based on a realistic estimate of the work an officer can do in a year.

कोचीन में तापीय संयंत्र

*231. **श्री एस्थोस** : **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री नी० श्री कांतन नायर : **श्री जनार्दनन** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में प्रस्तावित तापीय संयंत्र अब किस प्रक्रम पर है ;

(ख) इसे शीघ्र आरम्भ करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) प्रस्तावित संयंत्र की बिजली पैदा करने की क्षमता कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) कोचीन के निकट 30 मैगावाट के ताप बिजली घर की स्थापना के लिए मई, 1966 में कोचीन तेल शोधक कारखाने के लगभग 40,000 टन ईन्धन तेल के प्रयोग पर आधारित एक स्कीम स्वीकार की गई थी। बाद में पेट्रोल तथा रसायन मंत्रालय ने सूचना दी कि पैट्रोल पदार्थों की मांग सम्बन्धी पूर्व-सूचनाओं तथा उपलब्ध स्थानीय उपज के पुनरावलोकन के परिणामस्वरूप यह संभव होगा कि ईन्धन तेल की सप्लाई एक बृहत्तर बिजली संयंत्र के लिए की जा सकेगी। अत: केरल में बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए 30 मैगावाट की बजाय 50 मैगावाट की क्षमता के उत्पादन यूनिट के प्रतिष्ठापन का निश्चय किया गया है। योजना आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है। योजना आयोग ने सितम्बर, 1966 में केरल सरकार से कहा था कि वे पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजें। यह रिपोर्ट मार्च, 1967 में आई थी और अब यह परीक्षाधीन है। उत्पादन संयंत्र और साजसामान की प्राप्ति के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

CHOLERA

***232 Shri S. C. Samanta :**
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Chintamani Panigrahi :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri K. Pradhani :
Shri Heerji Bhai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai .
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the reasons for abnormal rise in the cases of cholera and other infectious diseases in the end of the last year and also in the beginning of the current year;

(b) the names of States which are badly affected by these diseases and the number of deaths occurred as a result thereof;

(c) the steps taken to check the spread of these diseases; and

(d) whether the State Government have asked for a special help from the Centre to check these diseases and if so, the steps taken to meet their demands ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a) There has been no abnormal rise in the incidence of cholera at the end of last year and the beginning of the current year except an outbreak of the disease in the Andaman and Nicobar Islands where the infection was carried from the mainland. The disease was brought under control soon after it was reported.

However, a rise in smallpox cases has occurred which may be attributed to :

(i) possible cyclicity of the disease every 5 to 7 years, the expected cycle being 1967-68;

(ii) seasonal behaviour of the disease which generally shows high incidence during the months November to April;

(iii) floating and migratory sections of the population escaping vaccination; and

(iv) ignorance which hinders prompt reporting of the disease and acceptance of vaccination.

Some cases of human plague were reported from Himachal Pradesh and Dengue in Jabalpur (Madhya Pradesh).

(b) The States especially affected by small-pox and the number of deaths are given below :--

SL. No.	Name of the State	No. of deaths due to small-pox during October, '66 to April, 1967.
1,	Maharashtra	2941*
2.	Bihar	1864*
3.	Uttar Pradesh	1136*

*Figures are provisional.

(c) Intensive vaccination and revaccination campaigns against small-pox have been undertaken. Additional field staff has been employed for this purpose in some States. Continuous publicity under the National Small-pox Eradication Programme in the last few years has helped in the reporting of a large number of small-pox cases. Efforts to vaccinate those sections of the population, which have been left out so far, have also been intensified.

Investigations were carried out by the National Institute of Communicable Diseases to check the spread of plague and dengue. Mass inoculations against plague were carried out in the affected areas to protect the population. The affected and neighbouring villages were sprayed with insecticides.

With regard to dengue in Jabalpur, the control measures recommended have been instituted by the local health authorities to avoid recurrence of Similar episodes in future.

(d) Special help was requested by the State Governments with regard to the control of plague and dengue. The National Institute of Communicable Diseases immediately investigated and assisted in instituting effective control measures.

नेपाल द्वारा एवियेशन फ्यूल का क्रय

*233. **श्री आत्म दास :**
श्री हेम राज :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल ने भारत से एवियेशन फ्यूल खरीदना **बन्द कर** दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कितनी हानि होने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ने भारत से एवियेशन फ्यूल खरीदने के लिये नेपाल **सरकार को** कुछ और रियायतों की पेशकश की है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री **अशोक मेहता**) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में राज्यों के सिचाई और विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

*234 **श्री हेमराज :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामकिशन गुप्त :
श्री डी० एन० देब :
डा० रानेन सेन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के सिचाई और विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन हाल ही में दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई और क्या निष्कर्ष निकाले गये; और

(ग) उनको किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 489/67**]

बीड़ी का तम्बाकू तैयार करना

***235 श्री देवेन सेन :**
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को झज्जा की टोबैको व्येरहाउस लाइसेंसीस एसोसियेशन की ओर से बीड़ी का तम्बाकू तैयार करने तथा माल गोदामों में तम्बाकू पर से धूल हटाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या पटना के उत्पादन शुल्क कलक्टर ने इसको अलग न करने का आदेश जारी किया है और समस्त तम्बाकू पर जिसमें धूल भी सम्मलित है कर लगाने का आदेश दिया है;

(ग क्या इस प्रकार के आदेश देश के अन्य कलक्टरों द्वारा भी दिये गये हैं;

(घ) क्या इस आदेश के परिणाम-स्वरूप बिहार में तैयार की गई बीड़ी की बिक्री तथा उसकी किस्म पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कलक्टर को अपने आदेश वापिस लेने का निदेश देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) जी हां। कुछ समाहर्ता-कार्यालयों में।

(घ) बीड़ी बनाने के काम आने वाली तैयार तम्बाकू पर से धूल हटाने के लिए उसे माल गोदामों में फिर से तैयार करने के काम पर रोक लगाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ङ) समाहर्ता ने अब अपने आदेशों में संशोधन कर दिया है और बीड़ी-तम्बाकू पर से धूल हटाने के लिए उसे गोदामों में फिर से तैयार करने की अनुमति दे दी है।

बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेना अथवा उनके लिए वित्त की व्यवस्था करना

***236 श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री स० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई
श्री काशी नाथ पाण्डेय :
श्री रामकिशन गुप्त :

क्या **सिचाई और विद्युत मंत्री** 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़ी परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने अथवा उनके लिये वित्त की व्यवस्था करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) कुछ चुनी हुई बृहत् परियोजनाओं के लिये केन्द्र 100% निर्धारित ऋण सहायता दे रहा है। चौथी योजना में निर्धारित केन्द्रीय सहायता के लिए अन्य परियोजनाओं को किस आधार पर चुना जाए, इसके सिद्धान्तों पर विचार हो रहा है।

भट्टी के तेल तथा डीजल आयल का निर्यात

*237 **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** :
श्री काशी नाथ पाण्डेय :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन का विचार थाईलैंड स्थित अमरीका की एक कम्पनी को 100,000 टन भट्टी का तेल तथा उतनी ही मात्रा में हाई स्पीड डीजल आयल निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हो जायेगी ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हां। 1,70,000 मीटरी टन हाई स्पीड डीजल आयल के निर्यात करने का प्रस्ताव है।

(ख) लगभग 2·88 करोड़ रुपये।

स्ट्रेप्टोमाइसिन की कमी

*238 **डा० म० संतोषम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में स्ट्रेप्टोमाइसिन बिल्कुल नहीं मिलती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

संयुक्त राज्य शान्ति सेना के स्वयं सेवक

*239 **श्री काशी नाथ पाण्डेय** :
श्री बाबू राव पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने हाल में यह प्रार्थना की है कि अमरीको शांति सेना के स्वयं सेवकों को वापिस बुलाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो किस राज्य ने, इसके क्या कारण हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने हाल ही में भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वह उस राज्य में काम करने वाले अमरीकी शान्ति सेना के कुछ स्वयंसेवकों को, अर्थात् मुर्गीपालन के विकास के क्षेत्र में काम करने वाले 28 स्वयंसेवकों को वापस बुलाने का प्रबन्ध करे। इस बात का पता लगा लिया गया है कि राज्य सरकार इन स्वयंसेवकों की सेवाओं को बहुत लाभदायक नहीं समझती। इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

***240 श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई औषधियों के मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) औषध मूल्य (प्रदर्शन एवं नियन्त्रण) आदेश 1966 के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई औषध-निर्माता, आयातक या वितरक कोई ऐसी नई औषधि न तो बेच सकता है और न ही अपनी मूल्य सूची में शामिल कर सकता है, जो उसने 30 जून 1966 को अपने प्रकाशित मूल्य सूची में शामिल नहीं की थी; जब तक उस नई औषधि का मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाता है।

... तुलनात्मक उत्पादों के मूल्यों, लागत-ढांचा आदि का विचार करने के बाद निर्माताओं आदि से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर नई औषधियों के मूल्यों की स्वीकृति दी जाती है। नई औषधियों के मूल्यों की जल्दी स्वीकृति देने के उपाय विचाराधीन हैं।

गोरखपुर डिवीजन में आयकर वापिस किये जाने के अनिर्णीत मामले

1087 श्री रणजीत सिंह :
श्री बेणीशंकर शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर डिवीजन में इस समय आयकर वापिस किये जाने के कितने मामले अनिर्णीत हैं; और

(ख) इन मामलों में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना आयकर आयुक्त से मंगवाई गई है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1088 **श्री बाबूराव पटेल** :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के नाम क्या है और उन पर 31 मार्च, 1967 तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) इन सभी परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कितनी पूंजी लगी है;

(ग) इन सभी परिजोयनाओं का निर्धारित उत्पादन लक्ष्य क्या है और उनमें कमी कितनी है;

(घ) कमी के कारण क्या हैं;

(ङ) हानि के कारण क्या हैं; और

(च) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगातार हानि के कारणों की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिए सरकार का कोई समिति नियुक्त करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) मांगी गयी सूचना केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य-चालन की वार्षिक रिपोर्ट में दी गयी है। 1964-65 की वार्षिक रिपोर्ट 24 मार्च, 1966 को सभा की मेज पर रख दी गयी थी। 1965-66 की वार्षिक रिपोर्ट जल्दी ही चालू सत्र में प्रस्तुत कर दी जायगी। प्रतिष्ठानों के 1966-67 के हिसाब-किताब की जांच वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 6 महीने के अन्दर की जानी है। उसके बाद ही लाभ और हानि के आंकड़े मिल सकेंगे।

(च) : जी, नहीं। प्रत्येक प्रतिष्ठान के कार्य-चालन की समीक्षा बराबर की जाती है और प्रत्येक मामले में समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

त्रिरोग-रोधक टीका

1089 **श्री बाबूराव पटेल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने बच्चों को त्रिरोग-रोधक टीका लगाया गया है;

(ख) त्रिरोग-रोधक टीका लगाने से कितने बच्चों की मृत्यु हुई है;

(ग) इससे क्या अन्य व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा बाद में क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं;

(घ) कितने बच्चों को अन्य व्याधियां तथा बाद में अन्य बुरे प्रभाव हुए;

(ङ) किन शहरों तथा कारखानों में त्रिरोग-रोधक टीका तैयार किया जाता है;

(च) प्रति इंजेक्शन लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या है;

(छ) क्या देश में उत्पादन के अतिरिक्त इस त्रिरोग-रोधक टीके का आयात भी करना पड़ता है; और

(ज) यदि हां, तो अन्य कौन से देश यह टीका तैयार करते हैं तथा इसके आयात पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिये राज-सहायता

1090. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न अभावग्रस्त राज्यों में सहायता कार्यों के लिये राज-सहायता देती है;

(ख) सरकार ने 1965-66 और 1966-67 में कितनी राज-सहायता प्रदान की थी; और

(ग) उक्त अवधि में गुजरात राज्य को कितनी राज-सहायता दी गई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1965–66 में सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिये कोई राज-सहायता नहीं दी उस वर्ष केवल ऋण के रूप में सहायता दी गई थी। वर्ष 1966-67 में इस प्रयोजन के लिये दी गई राज सहायता का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

राज्य			(रुपये करोड़ों में) राशि
1. आन्ध्र प्रदेश	–	–	0.50
2. बिहार	–	–	2.00
3. गुजरात	–	–	0.53
4. मध्य प्रदेश	–	–	1.48
5. महाराष्ट्र	–	–	3.50
6. मैसूर	–	–	0.75
7. उड़ीसा	–	–	2.59
8. राजस्थान	–	–	2.78
		योग	14.13

(ग) वर्ष 1965–66 और 1966–67 के दौरान गुजरात राज्य को दी गई राज-सहायता की राशि 0·53 करोड़ रुपये थी।

गंडक परियोजना

1091 श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
डा० रानेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंडक परियोजना का निर्माण-कार्य अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था,

(ख) इसके कार्य को तेज़ी से और शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस परियोजना के लिये 1967 – 68 के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) परियोजना 1962 में स्वीकार की गई थी। शुरू में बराज के जून, 1967 तक पूरा होने की सम्भावना थी। परन्तु 1966 की शुरू शुरू की अचानक बाढ़ों ने काफर बांध को हानि पहुँचाई और मई, 1966 में तीव्र तूफान से निर्माण बस्ती और बिजली के प्रतिष्ठापन-कार्य उखड गए। इन से जो धक्का पहुँचा उसके कारण बराज का अब जून 1968 म पूरा हाना अनुचित है।

(ख) परियोजना कार्य की प्रगति का समय समय पर अवलोकन किया जा रहा है और उस पर पूरी निगरानी रखा जा रही है। सीमेंट, इस्पात आदि की प्राप्ति में आनेवाली कठिनाईयों पर अब काबू पा लिया गया है। ख्याल है कि निर्माण कार्य अनुसूचि के अनुसार चलेगा

(ग) इस परियोजना के लिए केन्द्रीय बजट में 13 करोड़ रुपये की राशि शामिल की गई है।

रूस से सहायता

1092 **श्री देश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत को रूस से अब तक कितना ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) उन ऋणों पर कितना व्याज दिया जाता है; और

(ग) मूल तथा व्याज के रूप में अब तक कुल कितनी राशि दी गयी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ ने अब तक कुल 12253.6 लाख रुपये मूल्य के आठ ऋण दिये हैं।

(ख) 2½ प्रतिशत वार्षिक।

(ग) 31 मार्च, 1967 तक मूलधन और ब्याज के रूप में जो रकमें चुकायी गयीं वे क्रमशः 1233·3 लाख रूबल और 452.6 लाख रूबल हैं।

विदेशी गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन

1093. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री 31 मार्च, 1967 को भारत में लगी विदेशी गैर-सरकारी पूँजी की देशवार कुल राशि दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : लोक-सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत में किस देश की कितनी पूंजी मार्च 1965 के अन्त में व्यवसाय में लगी हुई थी। वास्तविक निवेशों की यह सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष सर्वेक्षण करके इकट्ठी की गयी है और यही सब से ताजी सूचना है। 1965–66 और 1966–67 में स्वीकृत किये गये विदेशी निवेशों के देशवार आंकड़े भी इस विवरण में शामिल कर दिये गये हैं

विवरण

(करोड़ों रुपयों में)

देश का नाम	मार्च, 1965 के अन्त में	1965–66	1966–67
कनाडा	10.5	–	–
फ्रांस	19.7	0.9	0.6
जर्मनी (पश्चिमी)	24.5	2.5	1.5
इटली	4.2	10.6	1.0
जापान	13.6	1.4	2.8
स्विट्जरलैण्ड	18.1	0.1	0.1
स्वीडन	8.1	–	0.4
ब्रिटेन	529.3	13·5	4.8
संयुक्त राज्य अमरीका	193.2	12.[illegible]	16.0
अन्य देश	104.6	3.8	11.5
जोड़	935.8	35.5	38.7

विकलांग बच्चे

1094. श्री शिव चन्द्र झा : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांग बच्चों, विशेष रूप से बहरे और गूंगे के बारे में वर्तमान आंकड़े क्या हैं;

(ख) देश में विकलांग बच्चों के लिये कितने स्कूल है; और

(ग) उन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) भरोसे योग्य आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। तो भी, मोटा अनुमान है कि संख्या इस प्रकार होगी:—

1. नेत्रहीन : 43.9 लाख*
2. बधिर : 10 से 15 लाख *
3. अस्थि-विकलांग : 40 से 50 लाख *
4. कमज़ोर मस्तिष्क के बच्चे : 15 से 20 लाख

(ख) विभाग के पास जो जानकारी है उसके अनुसार नेत्रहीनों के लिये 117, बधिरों के लिये 73, अस्थि-विकलांगों के लिये 24, तथा कमजोर मस्तिष्क वालों के लिये 51 स्कूल और संस्थान हैं।

(ग) यह जानकारी प्राप्त नहीं है।

मैसूर राज्य में देवदासी प्रथा का हटाया जाना

1095. श्री सिद्‌दय्या : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के विभिन्न जिलों में प्रचलित देवदासी प्रथा का अध्ययन करने के लिये किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन ने कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस प्रथा को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड

1096. श्री सिद्‌दय्या : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड की अवधि समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका पुनर्गठन किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हरिजन कल्याण के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की अवधि 31 मार्च, 1967 को समाप्त हो गई।

(ख) बोर्ड के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है।

*बच्चे इस आबादी का एक बड़ा अंश होंगे।

अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये हौस्टिल्स

1097. श्री सिद्दय्या : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये हौस्टिल की इमारतें बनाने के लिये प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) उक्त अवधि में उनमें से प्रत्येक ने कितने हौस्टिल बनाये और कितनी राशि खर्च की ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

(रुपये, लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटित राशि	खर्च की गई राशि वास्तविक/प्रत्याशित	हास्टिल संख्या
1. असम	0.54	0.54	2
2. बिहार	0.14	0.14	1
3. गुजरात	0.60	0 60	4
4. केरल	0.20	0.10	1
5. महाराष्ट्र	0·45	0.45	1
6. उड़ीसा	0.15	0.15	1
7. राजस्थान	0.45	0.45	3
8. पश्चिम बंगाल	1.99	1.71	10
योग	4.52	4.14	23

सामान्य बीमा को सरकारी क्षेत्र में लाना

1098. श्री डी० एन० देब :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा को सरकारी क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय सरकारी क्षेत्र में सामान्य बीमा का कितना कारोबार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में सामान्य बीमे का कारोबार भारत के जीवन बीमा निगम तथा उसकी दो सहायक कम्पनियों अर्थात् दि ओरियेंटल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड तथा दि इण्डियन मरकेन्टाइल एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इन तीन बीमा कम्पनियों द्वारा किये गये आग के, समुद्री तथा विविध, तीनों तरह के बीमे में सीधे ही प्राप्त होने वाले सकल प्रीमियम के आंकड़े तथा प्रीमियम की शुद्ध आय के आंकड़े निम्नलिखित

(लाख रुपया में)

		आग	समुद्री	विविध	जोड़
: (क)	बीमों से सीधे ही प्राप्त				
	प्रीमियम की सकल आय	310	265	637	1,212
	प्रीमियम की शुद्ध आय	426	250	622	1,298

नोट : भारत के जीवन बीमा निगम के आंकड़े 31 मार्च 1966 को समाप्त वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में हैं तथा अन्य दो बीमा कम्पनियों के आंकड़े कलेण्डर वर्ष 1965 के सम्बन्ध में हैं।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

1099 **श्री सामयान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1967 तक विभिन्न राज्यों ने भारत के रिजर्व बैंक से कुल कितनी राशि के ओवरड्राफ्ट निकाले और इस बारे में अद्यतम स्थिति क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : रिजर्व बैंक और राज्यों के बीच ऋणदाता और ऋणी का सम्बन्ध होने के नाते उनके बीच हुए ऐसे सौदों को प्रकाश में नहीं लाया जा सकता।

राज्यों को ओवरड्राफ्ट के लिए सहायता

1100. श्री [illegible] : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान तथा 1966-67 में राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से निकाली गई जमा से अधिक राशि को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी थी; और

(ख) क्या इनमें से कोई राशि वसूल की गई थी अथवा वसूल की जा सकने वाली हो

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त-मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) तीसरी योजना-काल तथा वर्ष 1966–67 के दौरान रिजर्व बैंक से लिये गये ओवरड्राफ्टों की राशि को चुकाने के लिए राज्यों को निम्नलिखित राशि दी गई थी :—

	(रुपये, करोड़ों में)	
राज्य	तीसरी योजना में दी गई राशि	वर्ष 1966–67 में दी गई राशि
आन्ध्र-प्रदेश	55·25	70·05
आसाम	49·50	8·70
बिहार	20·00	1·95
केरल	43·22	–
मद्रास	8·00	–
मध्य प्रदेश	23·50	12·25
मैसूर	11·00	15·65
उड़ीसा	16·50	12·70
पंजाब	4·00	–
राजस्थान	53·75	27·95
पश्चिमी बंगाल	1·00	–
योग	285·72	149·25

2. तीसरी योजना काल में दी गई सहायता की राशि में से गत वर्ष तक लगभग 218 करोड़ रुपये वसूल किये गये थे तथा वर्ष 1966–67 में दी गई सहायता राशि में से 41·25 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी।

3. पहली तथा दूसरी योजना काल से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है।

मसूर दाल

1101. श्री बाबूराव पटेल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मसूर की दाल से देश की जनता पर होने वाले कुप्रभाव के बारे में जानकारी है; और

(ख) जिन राज्यों में मसूर की दाल की उपज होती है उनमें अधरंग के कितने मामले हुए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डॉ० श्री चन्द्रशेखर) : (क) "लैथीरस सैटीवस" को हिन्दी में केसरी या खिसारी दाल कहते हैं, मसूर दाल नहीं। अधिक मात्रा में केसरी दाल खाने से लेथीरिज्म अर्थात् निचले अंगों का पक्षाघात हो जाता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बी० सी० जी० के टीके लगाना

1102. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक वर्षवार बी० सी० जी० के कितने टीके लगाये गये हैं;

(ख) बी० सी० जी० का टीका लगाये जाने के बाद होने वाले प्रभावों से कितने लोग प्रभावित हुए;

(ग) बी० सी० जी० का टीका लगाने के बाद या उसी समय क्या-क्या प्रभाव होते हैं;

(घ) बी० सी० जी० का टीका लगाने से अब तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ङ) इस प्रकार मृत्यु होने के कारण क्या हैं; और

(च) बी० सी० जी० का टीका लगाने के बाद होने वाले प्रभावों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित विवरण मे दी गई है ।

विवरण

1949 से अप्रैल 1967 तक लगाये गये बी० सी० जी० के टीकों का वर्षवार विवरण ।

वर्ष	बी० सी० जी० वैक्सीन (लाखों में)
1949	1.76
1950	6.35
1951	11.77
1952	21.46
1953	38.57
1954	65.55
1955	80 42
1956	63.90
1957	62·56
1958	70.07
1959	66.25
1960	69.07
1961	68.68
1962	60.97
1963	63.35
1964	62.61
1965	73.71
1966	95.41
1967 (जनवरी से अप्रेल तक)	26.86
योग	1009.32

(जनवरी से अप्रैल 1967 तक के आंकड़े अन्तिम हैं ।)

(ख) और (ग) किसी बड़े कष्ट की शिकायत नहीं मिली है। केवल 2–3 प्रतिशत घटनाओं में, टीका लगाए जाने वाले स्थान पर जखम के भरने में देरी, किलायड के हो जाने, जखम का अनपेक्षित रूप से बड़ा हो जाने तथा टीका लगे स्थान के पास वाली ग्रन्थि के बढ़ जाने की शिकायतें आईं। और ये प्रतिक्रियाएं बाद में धीरे-धीरे समाप्त हो गईं।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) कोई विशेष उपाय आवश्यक नहीं है। वैक्सीन गुणकारी तैयार की जाये इसके लिए उचित देखरेख करने तथा टीका लगाने के अच्छे तकनीकों पर बल दिया जाता है।

सहकारी कताई मिलों के लिए ऋण

1103. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सहकारी कताई मिलों को बड़ी राशि का ऋण (ब्लाक कैपिटल लोन) देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को इस दृष्टि से सहायता देने का है ताकि वह उन सहकारी कताई मिलों को जिन्हें 1964 तथा 1965 में लाइसेंस दिये गये थे और जिन्होंने इस प्रत्याशा में कि निगम उन्हें ऋण मंजूर करेगा अपनी परियोजनाओं को कार्य-रूप देना आरम्भ कर दिया है, बड़ी राशि का ऋण दे सके; और

(घ) सहकारी कताई मिलों के विकास में सहायता देने के लिये और क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूती वस्त्र उद्योग के सहकारी क्षेत्र से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों पर विचार किये जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन दूसरे प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के द्वारा निगम से बहुत सहायता मांगी जाने के कारण साधनों के सम्बन्ध में जो बहुत ही कठिन स्थिति पैदा हो गयी है उसे देखते हुए निगम को नये प्रार्थनापत्रों की जांच के काम की गति धीमी करनी पड़ी है। फिर भी सरकार निगम को उसके सम्पूर्ण कार्यों के लिए यथासम्भव धन देने का प्रयत्न करेगी।

(घ) हथकरघा उद्योग के विकास के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के वर्तमान स्वरूप के अनुसार, केन्द्रीय सरकार राज्यों को सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी

में भाग लेने के लिए ऋण दे सकती है। इस प्रकार की सहायता सहकारी कताई मिलों की चुकता शेयर पूंजी का अधिक से अधिक 51 प्रतिशत भाग ही हो सकती है। शेयर पूंजी में राज्यों का हिस्सा 51 प्रतिशत तक होने के अतिरिक्त हथकरघा सहकारी समितियों और अन्य सहकारी समितियों के व्यक्तिगत सदस्यों और सहकारी कताई मिलों के मजदूरों को भी, शेयर के कुल मूल्य के 25 प्रतिशत तक की रकम ऋण-सहायता के रूप में इस उद्देश्य से दी जाती है कि वे कताई मिल के शेयर-मालिक बन सकें।

सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी में राज्यों का हिस्सा 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 से 80 प्रतिशत तक करने के प्रश्न पर भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय में विचार किया जा रहा है।

संसद में प्रश्नों के उत्तर देने पर आने वाली लागत

***1104. श्री दामानी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर कितना व्यय होता है; और

(ख) क्या गत दस वर्षों में प्रश्नों के उत्तर देने पर आने वाली लागत बढ़ गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला श्रम प्रश्न के स्वरूप के साथ बदलता रहता है। प्रश्न का उत्तर देने में जो औसत व्यय होता है उसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है और इस प्रकार का अध्ययन कठिन भी होगा। 1959 में इसी प्रकार के विषय पर एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि प्रश्न का उत्तर देने में मोटे तौर पर 60 रुपये खर्च आता है।

(ख) वेतनों और अतिरिक्त समय भत्ते में सामान्य वृद्धि की तथा उत्तर की प्रतियों की संख्या तथा अनुवाद के काम को दृष्टि में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है।

पश्चिमी बंगाल के उद्योगों के पास मन्त्रालयों के क्रयादेश

1105. डा० रानेन सेन : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों द्वारा पश्चिमी बंगाल के भारतीय इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, मैटल बाक्स लिमिटेड, ब्रेथ वेट कूलटी आयरन वर्क्स तथा अन्य इंजीनियरी कारखानों को पहले की तुलना में कम क्रयादेश दिये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) मांग करने वाले अपनी आवश्यकता का अनुमान लगाकर अपनी मांगों का ब्यौरा सम्भरण और पूर्ति महानिदेशालय को भेज देते हैं। यह महानिदेशालय निविदाएं (टेन्डर) आमंत्रित करता है। इन

फर्मों को क्रयादेश दे दिये जाते हैं, जिनके द्वारा लिखे गये मूल्य कम से कम होते हैं और जो एक निश्चित दिनांक तक विशिष्ट विवरणों के अनुरूप ठीक किस्म का माल भेजने की पेशकश करती हैं। विभिन्न फर्मों को अलग अलग दिये गये क्रयादेशों के आंकड़े पृथक् रूप से उपलब्ध नहीं हैं। खरीदारी बहुत ही किफायतदारी से और सरकारी सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। अतः पश्चिमी बंगाल को उपरोक्त उद्योगों को कम क्रयादेश देने का कोई विशेष कारण नहीं है।

पाण्डिचेरी में मेडिकल कालेज

1106. श्री सम्बन्धन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाण्डिचेरी स्थित मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर और अतिरिक्त प्रोफेसर हैं; और

(ख) ये प्रोफेसर कब और किस तरीके से नियुक्त किये गये थे।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) प्राध्यापकों और अतिरिक्त प्राध्यापकों की संख्या क्रमशः 12 और 2 है।

(ख)

पद नाम	नियुक्ति तिथि	नियुक्त विधि (भर्ती द्वारा)
प्राध्यापक, शरीर रचना शास्त्र	30–4–1959	संघ लोक सेवा आयोग
प्राध्यापक, शरीर क्रिया शास्त्र	26–3–1959	संघ लोक सेवा आयोग
प्राध्यापक, औषध गुण धर्म शास्त्र	26–9–1961	संघ लोक सेवा आयोग
प्राध्यापक, निरोधी एवं सामाजिक चिकित्सा शास्त्र	5–7–1962	संघ लोक सेवा आयोग
प्राध्यापक, चिकित्सा शास्त्र (यूनिट 1)	31–7–1965	संघ लोक सेवा आयोग
प्राध्यापक, शल्य शास्त्र	16–10–1965	संघ लोक सेवा आयोग
प्राध्यापक, धात्री एवं स्त्री रोग शास्त्र	6–4–1965	संघ लोक सेवा आयोग
प्राध्यापक, धात्रि एवं स्त्री रोग शास्त्र	6–4–1965	संघ लोक सेवा आयोग
प्राध्यापक, बाल चिकित्सा शास्त्र	27–3–1967	विभागीय पदोन्नति समिति।
प्राध्यापक, शालाक्य (कान, नाक, गला)	17–4–1967	विभागीय पदोन्नति समिति।
प्राध्यापक, जीव रसायन शास्त्र	26–7–1962	संघ लोक सेवा आयोग
प्राध्यापक, जीव शास्त्र	7–11–1962	संघ लोक सेवा आयोग
अतिरिक्त प्राध्यापक, चिकित्सा शास्त्र (यूनिट 2)	29–3–1966	संघ लोक सेवा आयोग
अतिरिक्त प्राध्यापक, शल्य शास्त्र	14–1–1967	संघ लोक सेवा आयोग

OPIUM CULTIVATION

1107. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Maharaj Singh Bharti ;
Shri George Fernandes :
Shri Molahu Prasad :
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government make profit or suffer loss from the opium cultivation; and

(b) if it makes profit, the amount of profit made in the year 1966-67 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai:)

(a) and (b) Opium is cultivated by private parties under licence from Government. The question of Government making profit or suffering loss on account of cultivation does not, therefore, arise. Government, however, purchase raw opium from the cultivators and sell opium and alkaloids manufactured from opium. The profit and loss on account of these transactions are as under;

		Rs.
1963-64	Profits	4,79,963
1964-65	,,	10,388
1965-66	Losses	5,70,653

Audited accounts for the year 1966-67 are not yet available.

PRICE OF OPIUM

1108 Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Maharaj Singh Bharti :
Shri George Fernandes :
Shri Molahu Prasad :
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the quantity of smuggled opium seized in the whole of country from 1965-66 to 1966-67;

(b) whether it is a fact that one of the causes of smuggling of opium is low prices paid to farmers for opium; and

(c) if so, whether an increase in the price of opium to be paid to the farmers is under consideration ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) The quantities of smuggled opium seized in the country during the calendar years 1965, 1966 and upto 27th May, 1967 are as under ;

Year	Quantity seized (Kgs.)
1965	5,228
1966	7,945
1967 (upto 27 th May)	507

(b) Price of illicit opium sold clandestinely is very much higher than the price fixed and paid by Government to the farmers for licit opium procured and this disparity in prices provides incentive for smuggling.

(c) Price paid to cultivators is fixed every year after taking into account the parity price in respect of other agricultural produce and so also the price at which Government can sell opium in foreign markets. Any substantial increase in price is, therefore, not practica ble; even if attempted, it cannot keep pace with the price at which smugglers exchange the produce illicitly. The price will, as usual, be reviewed in July-August, 1967 before the commencement of the next season.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में व्यापारियों तथा तकनीशियनों की संख्या

1110. श्री वासानी :

श्री कार्तिक ओरांव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुभवी व्यापारियों तथा तकनीशियनों के अपने-अपने क्षेत्र में व्यापार सम्बन्धी अनुभव का लाभ उठाने के लिये उन्हें सरकारी क्षेत्र से सम्बद्ध करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकारी प्रतिष्ठानों के निदेशकों और उच्च प्रबन्ध अधिकारियों के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए, जो सरकार द्वारा की जाती हैं, सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र सहित सभी स्रोतों से मिलने वाले योग्य व्यक्तियों को लेती है । इसलिए इस सम्बन्ध में किसी नये प्रस्ताव पर विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

काली मिर्च पर निर्यात शुल्क

1111. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्की किस्म की काली मिर्च पर निर्यात शुल्क घटाने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर विचार किये जाने के कारण काली मिर्च की हल्की किस्मों पर, जो "हल्की काली मिर्च" तथा "छोटी काली मिर्च" के नामों से जानी जाती है, निर्यात शुल्क की दर, वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 8 – सीमा शुल्क दिनांक 3 फरवरी 1967 के द्वारा, 1.25 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर क्रमशः 90 पैसे प्रति किलोग्राम और 50 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गयी थी ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा भेजे गये आंकड़े

1113. श्री के० अनिरुधन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री उमानाथ :**

श्री अब्राहम : **श्री एरथोस :**

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा दिये गये आंकड़ों का योजना आयोग द्वारा बहुत कम लाभ उठाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं । योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करता आ रहा है । आंकड़ों के उपयोग के उदाहरण देते हुए एक टिप्पणी संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 490/67**] .0111

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में सहायता कार्यों के लिए वित्तीय सहायता

1114. श्री धीरेन्द्र कुमार शाह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को 30 करोड़ रुपये की अकाल सहायता निधि का आश्वासन दिया गया था;

(ख) क्या वर्तमान गैर-कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को पहले मन्त्रिमण्डल द्वारा खर्च किये जा चुके धन के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इतनी बड़ी सहायता-राशि के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । तथापि राज्य सरकार को यह आश्वासन दिया गया था कि राहत-कार्यों के लिये अधिकाधिक वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्रों के लिये भूमि

***1115. डा० कर्णी सिंह** :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था असैनिक रॉइफल प्रशिक्षण तथा निशानेबाजी को बढ़ावा देने के हेतु चांदमारी क्षेत्रों को बनाने के लिए सरकार से दिल्ली में भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में कई वर्षों से अनुरोध करती आ रही है; और

(ख) इस संस्था को अब तक भूमि न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने सितम्बर, 1962 में नेशनल राइफल एसोसियेशन को अपर रिज रोड पर जो कि दिल्ली की मास्टर प्लान के अंतर्गत 'हरा' क्षेत्र (ग्रीन एरिया) है, लगभग 95 एकड़ भूमि आवंटित कर दी थी । क्योंकि एसोसियेशन ने इस भूमि पर इमारत बनाना चाहा था, जिसे कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी जा सकती, अतएव जनवरी, 1965 में यह आवंटन रद्द कर दिया गया ।

किन्तु एसोसियेशन इसे निःशुल्क चाहती थी जिसेकि स्वीकार नहीं किया जा सका। बाद में स्वयं एसोसियेशन ने इस स्थान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके अनुसार यह शहर से बहुत दूर था।

अभी हाल ही में दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति से नेशनल राइफल एसोसियेशन आफ इण्डिया के द्वारा अरबन राइफल रेंज की स्थापना के लिए यमुना नदी के पार 'हरे क्षेत्र'' (ग्रीन एरिया) में लगभग 10 एकड़ भूमि का और चुनाव किया है। यह स्थान एसोसियेशन को 25 अप्रैल, 1967 को प्रस्तावित किया गया था तथा वे इसे देखना चाहते हैं।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बस्तियाँ

1117. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये बस्तियाँ बनाने के बारे मे कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसा कोई सुझाव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में नये मेडिकल कालेज

1118. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में कुछ और मेडिकल कालेज खोलने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) दिल्ली में नया मेडिकल कॉलेज खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

HYDEL SCHEMES IN PITHORAGARH AND UTTRAKHAND DISTRICTS.

1119. Shri Mohan Swarup Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state. :

(a) whether it is a fact that the question of implementation of four hydel schemes in District Pithoragarh has been referred to the Central Government;

(b) if so, the time by which they are likely to be sanctioned and implemented;

(c) whether twenty other schemes of this nature are also under consideration of the Central Government for implementation in Uttrakhand area during the Fourth Five Year Plan period; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The proposal for implementation of one micro hydel scheme at Dharsula (200 KW) in the Pithoragarh District has been received recently.

(b) The schemes will be approved for implementation after it is technically cleared.

(c) and (d) No other micro hydel scheme in the Uttarkhand area is under consideration of the Central Government at present.

दोहरे कराधान को रोकना

1120. श्री म० सुदर्शनम् :

श्री वासानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरे काराधान को रोकने के लिये वर्ष 1966-67 में भारत तथा अन्य देशों के बीच कोई करार हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1966-67 में आय पर दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और यूनान के बीच एक व्यापक करार हुआ था। भारत द्वारा बहुत से दूसरे देशों के साथ किये गये ऐसे ही करारों में निहित सिद्धान्तों पर ही यह करार आधारित है। संक्षेप में कहा जाय तो इसमें यह व्यवस्था है कि जिस देश में आमदनी उत्पन्न होती है मूलत: वही देश उस आमदनी पर कर लगाने का हकदार होगा और जिस देश में करदाता निवास करता है वह ऐसी आमदनी पर कर नहीं लगाएगा, हालांकि वह देश करदाता की दूसरी आमदनी पर कर की दर निर्धारित करने के लिए उस आमदनी को हिसाब में ले सकता है। भारत में यह करार कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 तथा बाद के वर्षों के सम्बन्ध में लागू होगा।

HOMOEOPATHY IN RAJASTHAN

1121. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state ;

(a) whether Government are aware of a Bill drafted by Rajasthan Government in which provision has been made to bring Homoepathy at par with the other systems of medicine; and

(b) if so, whether Government propose to bring in any Central legislation in the matter ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a) The information has been called for from the Government of Rajasthan and will be placed on the table of the Sabha in due course.

(b) There is a proposal to establish a Central Council of Indian Systems of Medicine including Homoeopathy. A Committee is being set up to go into the details of the draft legislation for establishing the proposed Council.

रूबी इंश्योरेंस कम्पनी

1122. श्री मधु लिमये : श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री स० मो० बनर्जी : डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वित्त मंत्री 24 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2247 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आयकर अधिकारियों को रूबी इंश्योरेंस कम्पनी की आय का निर्धारण करते समय इस बात का कोई प्रमाण मिला है कि वह बिड़ला ग्रुप से सम्बन्धित है;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा बिड़ला ग्रुप के इंश्योरेंस कार्य में कमीशन का विनियोग अनियमित ढंग से किया गया है; और

(ग) यदि हां तो लागू विभिन्न विधियों के अन्तर्गत कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स बेकर ग्रे

1123. श्री मधु लिमये : श्री स० मो० बनर्जी : श्री राम मनोहर लोहिया : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने कम मूल्य के बीजक बनाने तथा विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के मामले में दिये गये न्याय-निर्णय के विरुद्ध मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी की निर्यात करने वाली कम्पनी मैसर्स बेकर ग्रे, द्वारा दायर की गई अपील पर अपना निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां तो क्या बोर्ड ने जर्माने/ दण्ड को कम किया/ बढ़ाया/ बहाल रखा; और–

(ग) फर्म से अन्त में कितना जुर्माना वसूल किया गया अथवा वसूल किया जाना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। 3 नवम्बर 1966 के प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित अपील का फैसला बोर्ड द्वारा 13 मार्च 1967 को किया गया था।

(ख) 20 लाख रुपये का दण्ड घटा कर 10 लाख रुपये कर दिया गया।

(ग) 10 लाख रुपये के दण्ड की रकम पूरी पूरी वसूल की जा चुकी है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में धन भेजा जाना

1124. **श्री मधु लिमये :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों—(ब्रिटेन तथा अन्य देशों में) द्वारा भारत को धन भेजे जाने के तुलनात्मक आंकड़े इस बीच इकट्ठे कर लिये गये हैं ;

(ख) अनधिकृत सौदे करने वाले लोगों/फर्मों, जो सरकार को मूल्यवान विदेशी मुद्रा से वंचित करते हैं, द्वारा क्या तरीके/कार्य प्रणाली अपनाई जाती है ; और

(ग) ऐसी जालसाजियों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भुगतान-शेष के उपलब्ध आंकड़ों से पृथक से इस प्रकार की जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं है कि ब्रिटेन तथा अन्य देशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों ने भारत को कितना धन भेजा है।

(ख) आयात के मामले में अधिक बीजक बनाना, निर्यात के मामले में कम बीजक बनाना तथा अनधिकृत सौदों के वित्त–पोषण के लिये प्रतिकर भुगतान करने आदि के तरीके आम रूप से अपनाये जाते हैं।

(ग) सीमा शुल्क अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय तथा रिजर्व बैंक इस पर निरन्तर निगरानी रख रहे हैं और तत्सम्बन्धी विनियमों के उल्लंघन सम्बन्धी जानकारी मिलते ही आगे जांच शुरू हो जाती है।

DRUG FACTORY IN MADRAS

1125. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been finalised to establish a factory in Madras for the production of medicines for cancer, gastro enteritis and eye diseases;

(b) if so, the terms of the agreement; and

(c) when the factory is likely to be established ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrashekhar) : (a) to (c) A Visiting Russian delegation had exploratory discussions on the possibility of establishing a factory at Madras to produce drugs for the treatment of cancer, gastric ulcer and eye diseases. The matter will be considered as and when a firm offer is received from the Russian authorities.

रुद्रसागर के तेल के कुएं में आग

1126. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुद्रसागर के तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिये गत जनवरी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पोर्ट केनिंग कारखाने से भारी मात्रा में बारीटिस पाउडर मंगाया गया था ;

(ख) इस कार्य के लिये रेल के कितने माल डिब्बों की मांग की गई ;

(ग) कितने माल डिब्बे उपलब्ध किये गये और पोर्ट केनिंग के शिवसागर के लिये वस्तुतः कितने माल डिब्बों के अन्दर बारीटिस पाउडर लादकर भेजा गया ;

(घ) इसके लिये भाड़े के रूप में कुल कितनी राशि दी गई तथा कुल कितने मूल्य का बारीटिस पाउडर भेजा गया ; और

(ङ) क्या माल के भेजने में आवश्यकता से अधिक देरी हुई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां ।

(ख) 15 ।

(ग) वस्तुतः 5 माल डिब्बे उपलब्ध और प्रेषित किये गये ।

(घ) (i) भाडे के रूप म अदा का गइ धन राशि रुपये 45,885.60

(ii) बेराइटिस पाउडर का मूल्य रुपये 13,716.00

(ङ) जी नहीं ।

दिल्ली के निकट उपनगर

1127. श्री अब्दुल गनी दार : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बल्लभगढ़ और गाजियाबाद का उपनगरों के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उपनगरों के विकास से सम्बन्धित योजना का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली में जनसंख्या के भार को कम करने के उद्देश्य से, नरेला, गाजियाबाद, लोनी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत तथा पलवल को परिधि नगरों (रिंग टाउन्स) के रूप में विकसित करने का विचार है।

(ख) नरेला के अतिरिक्त इन नगरों का विकास सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। गाजियाबाद, लोनी, फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ की विकास-योजनायें (डवलपमेंट प्लान्स) राज्य सरकारों के द्वारा प्रकाशित किये जा चुके हैं। नरेला के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समन्वयात्मक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च-शक्ति-संपन्न बोर्ड (हाई-पावर्ड बोर्ड) की स्थापना भी की गयी है।

आयकर आयुक्तों का वेतन

1128. श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर आयुक्तों का वेतन हाल में बढ़ाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयकर विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। 1 जून 1965 में आयकर आयुक्तों के वेतन मान को रु० 1800–100–2000 से संशोधित करके रु० 1800–100–2000–125–2250 कर दिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) आयकर आयुक्तों द्वारा उठायी जाने वाली अधिक बड़ी जिम्मेदारियों को देखते हुए तथा उनके वेतन मानों को सरकार के अधीनस्थ अन्य विभागों में दूसरे ऐसे ही मूल्यांक पदों के वेतन मानों के बराबर लाने के लिए वृद्धि की गयी थी। निम्नतर कर्मचारियों के वेतन मान, दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किये गये थे तथा ये वेतन-मान सरकार के अधीनस्थ अन्य विभागों में दूसरे ऐसे ही पदों के वेतन-मानों के समान हैं।

सन लाइफ आफ कैनेडा द्वारा जारी की गई बीमा पालिसियां

1129. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन लाइफ ऑफ कैनेडा द्वारा जारी की गई पालिसियां संख्या 57039 से लेकर 3154134 तक में उस मुद्रा के बारे में शर्त है, जिसमें उन पालिसियों की राशि का भुगतान किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि पालिसियों में दी गई शर्तों के अन्तर्गत दावों का भुगतान किया जाये तो जीवन बीमा निगम को बीमे की नियत राशि से बहुत अधिक राशि देनी पड़ेगी।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और ख : "सन लाइफ आफ कनाडा" ने 1932 के मध्य तक भारत में बीमे की पालिसियां जारी कीं, जिनमें एक वाक्य खंड निम्न प्रकार से होता था :—

"इसके अन्तर्गत देय अथवा प्राप्य सभी रकमों की अदायगी भारत में कानूनी तौर पर प्रचलित वर्तमान भार एवं शुद्धता वाली मुद्रा में.........शहर में स्थित कम्पनी के कार्यालय में की जायगी।"

(ग) जीवन बीमा निगम ने उपर्युक्त वाक्य खण्ड पर कानूनी सलाह ली है। इस सलाह के अनुसार निगम पालिसी में व्यक्त रकम से अधिक कुछ भी देने के लिये बाध्य नहीं है। एतदनुसार जीवन निगम के गठन के पश्चात, अदायगी योग्य हुई पालिसी की निगम ने उसके अंकित मूल्य से अधिक रकम की अदायगी नहीं की है। पालिसियों पर अंकित मूल्य से अधिक रकम की अदायगी केवल एक मामले में की गई थी, किन्तु वह भी दावा की गई अधिक रकम की पूर्ण सीमा से काफी कम थी और ऐसा सन लाइफ आफ कनाडा से परामर्श करके उन पालिसियों के बारे में किया गया था जो पहिले ही अदायगी-योग्य हो चुकी थी।

मद्रास नगर के लिये पीने के पानी की सप्लाई

1130. श्री सेझियान : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास नगर को पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये यथा समय अनुसूची तैयार की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) (क) और (ग) भागों में मांगी गई सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जहां तक भाग (ख) का सम्बन्ध है, चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात पैट्रो–रसायन उद्योग समूह

1131. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के आकार को काफी सीमा तक कम करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) : गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के आकार में कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) एल्यूमीनियम कारपोरेशन को दी जाने वाली बिजली के दर

1132. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिर्जापुर जिले में बिड़ला समवाय समूह की एल्युमीनियम कारपोरेशन को जिस दर पर बिजली दी जाती है वह दर उस क्षेत्र के किसानों को जिस दर पर बिजली दी जाती है उससे बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समान दर पर बिजली देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) एल्युमीनियम निगम तथा कृषकों/किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरों में विभिन्नता का कारण यह है कि निगम रिहन्द बिजली केन्द्र के 132 के० वी० खम्बों से ही 90–95 प्रतिशत उच्च भार अनुपात पर अपनी समस्त बिजली सीधे लेता है किन्तु कृषकों/किसानों को बिजली 15 से 20 प्रतिशत के निम्न भार अनुपात पर तथा 400 KV वोल्टता पर दी जाती है। निम्न वोल्टता पर बिजली देने के लिये उच्च वोल्टता के पारेषण, वितरण स्टेप-डौन उपकेन्द्र निम्न वोल्टता वितरण आदि पर अतिरिक्त पूंजी लगानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त आम तौर पर एल्युमीनियम जैसे अधिक बिजली की खपत करने वाले उद्योगों के लिये बिजली की दर थोड़ी रखी जाती है। इसी कारण कृषकों। किसानों के लिए बिजली की दर अधिक है।

(ग) सब प्रकार के उपभोक्ताओं के लिये एक ही दर पर बिजली सप्लाई करना संभव नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि दरों की पद्धति जहां तक हो सके एक जैसी हो।

उर्वरक कारखाना, कानपुर

1133. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 2 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में इस बीच उर्वरक कारखाना स्थापित किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं।

(ख) परियोजना की स्थापना के लिए लाइसेन्स केवल मार्च, 1966 में जारी किया गया और पार्टी अभी परियोजना की अर्थ-व्यवस्था के लिए भारतीय वित्त निगम से बातचीत कर रही है।

(ग) जी हां, 1970–71 में इसके द्वारा उत्पादन शुरू होने की आशा ।

SMUGGLING CASES

1134 **Shri Onkar Singh : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Miuister of **Finance** be please to refer to the reply given to Unstarted Question No. 137 on the 30th March, 1967 and state.

(a) whether the Central Bureau of Investigation has completed its enquiry into the cases of smuggling; and

(b) if so, the action taken against the accused persons ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. (b) Does not arise.

फिजूलखर्ची को रोकना

1135. **श्री प्र० के० देव : श्री क० प्र० सिंह देव ;**
श्री डी० एन० देव : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री हुकमचन्द कछवाय : श्री शिव चन्द्र झा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजूलखर्ची को रोकने के लिए हाल में कोई कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन उपायों से कितनी बचत होने की आशा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकारी व्यय में मितव्ययिता के प्रश्न पर सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है और मितव्ययिता के लिये समय-समय पर अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें यात्रा भत्ता, प्रासंगिक खर्चे, स्टाफ कार, निर्माण-कार्य व्यय आदि के सम्बन्ध में किये गये उपाय भी शामिल हैं ।

1966 में वरिष्ठ सचिवों की एक समिति द्वारा 1966-67 की बजट व्यवस्था में मितव्ययिता के प्रश्न पर विचार किया था और 97 करोड़ रुपये की बचत की गई थी । व्यय में, विशेषतया अनुत्पादक किस्म के व्यय में, कटौती की सम्भावनाओं पर सरकार फिर से विचार कर रही है । इस प्रक्रिया में, अनावश्यक अथवा परस्पर व्यापी कार्यों को छोड़ने तथा कार्य-विधि को उन्नत एवं युक्ति-युक्त बनाने पर भी विचार किया जायगा ।

(ग) चूंकि मितव्ययिता के नवीनतम प्रयास अभी पूरे नहीं हुए हैं अतः, सम्भावित बचत के बारे में इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

उड़ीसा के लिए आय-कर कमीशन सर्किल

1136. **श्री प्र० के० देव : श्री डी० एन० देव :**
श्री के० पी० सिंह देव : श्री चिन्तामणि पाणीग्रही :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक पृथक आय-कर कमीशन सर्किल खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) आसाम, राजस्थान और केरल की तुलना में उड़ीसा में आयकर से कितनी राशि प्राप्त हुई और आय-कर के कुल कितने मामले पकड़े गए ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव की 1964 में जाँच की गई थी तथा यह निर्णय किया गया था कि तत्कालीन राजस्व की रकम तथा काम की मात्रा इतनी नहीं थी कि उड़ीसा में आयकर आयुक्त के कार्य-क्षेत्र का अलग से निर्माण उचित कहा जा सके। इस मामले की पिछले वर्ष फिर से समीक्षा की गयी थी। तब यह निश्चय किया गया था कि सभी प्रकार के प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए अधिक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करना जरूरी है, विशेषतः इसलिए अधिक राजस्व देने की क्षमता रखने वाले अन्य केन्द्रों की ओर पहले ध्यान देने की आवश्यकता थी।

	आयकर तथा निगमकर से अन्तिम शुद्ध वसूलियाँ (लाख रुपयों में)	निपटान के लिए मामलों की संख्या
उड़ीसा	5,26	60,466
असम	4,94	1,18,683
राजस्थान	5,31	1,79,257
केरल	10,05	79,404

FAKE CURRENCY NOTES RECOVERED IN INDORE

1138. Shri Y. S. Kushwah : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state : (a) whether it is a fact that fake Currency notes worth about Rs. 1 lakhs have been recovered in raids on four banks in Indore during the second week of April, 1967;

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken in this connection and the nature of the action taken; and

(c) the nature of other incriminate documents seised in those raids ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) No such raid has been undertaken by, and no such case is under the investigation of any agency of the Government of India.

घड़ियों का तस्कर व्यापार

1139, **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घड़ियों के तस्कर व्यापार में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो घड़ियों का तस्कर व्यापार रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) घड़ियों के चोरी-छिपे भारत में लाये जाने के मामले होते ही रहते हैं। किन्तु उपलब्ध सूचना के आधार पर यह कहना सम्भव नहीं है कि घड़ियों का तस्कर व्यापार बढ़ता जा रहा है।

(ख) सही अर्थों में, यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, माल के चोरी छिपे लाये जाने को जिसमें घड़ियों का चोरी छिपे लाया जाना भी शामिल है, रोकने के लिए किये गये महत्वपूर्ण उपायों का विवरण-पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

तस्कर व्यापार को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं उनमें व्यवस्थित रूप से सूचना इकट्ठी करना तथा उस पर आगे कार्यवाही करना, सन्दिग्ध जहाजों तथा हवाई जहाजों की खाना तलाशी, समुद्रतट तथा भू-सीमा के पार करने योग्य स्थानों की गश्त तथा उपयुक्त मामलों में सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन भारी दण्ड लगाने के साथ साथ मुकदमे भी चलाना और विभागीय न्याय-निर्णयों में अवैध माल की जब्ती शामिल है। कानून-व्यवस्था क्षेत्र में, सीमा-शुल्क अधिनियम में अब यह व्यवस्था की गयी है कि जिन मामलों में पकड़े गये माल का मूल्य बाजार भाव पर एक लाख रुपये से अधिक हो, उनमें मुकदमा चला कर कैद की अधिक कड़ी सजा दी जाय। जिन मामलों में सोना, हीरे तथा घड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, उनके सम्बन्ध में सीमा-शुल्क अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गयी है कि माल के चोरी-छिपे नहीं लाया गया होने का सबूत देने का दायित्व उन लोगों पर होगा जिनके पास से माल पकड़ा जायेगा।

दिल्ली की बृहद् योजना

1141. **डा० कर्णी सिंह :**
श्री कँवर लाल गुप्त :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री रणजीत सिंह :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये तैयार की गई 20 वर्षीय बृहद् योजना में कुछ परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है और इस महानगर की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कितने नये मकानों का निर्माण किया जायेगा :

(ग) पानी और बिजली की बढ़ती हुई मांग किस प्रकार पूरी की जायेगी ; और

(घ) समस्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित धन कहां से जुटाया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : दिल्ली के मास्टर प्लान में कोई मूलभूत परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है किन्तु जब

कभी आवश्यकता पड़ती है तो समय समय पर दिल्ली डवलपमेंट एक्ट, 1957 में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार तरमीमों पर विचार किया जाता है तथा उन्हें अनुमोदित कर दिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मास्टर प्लान सम्बन्धित विभिन्न अधिकरणों के द्वारा या तो योजित निधियों (प्लान फन्डस) से अथवा अन्य सामान्य स्रोतों से क्रियान्वित किया जा रहा है।

नई दिल्ली में मंत्रियों के बंगलों में धोबी

1142. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ मंत्रियों के बंगलों में रहने वाले धोबियों द्वारा खर्च की गई बिजली तथा पानी के बिल का भुगतान सरकारी राशि से किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बंगले कौन-कौन से हैं ; और

(ग) इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मंत्रियों के बंगलों से संलग्न नौकरों के कुछ क्वार्टरों में धोबी रह रहे हैं। 1 अप्रैल 1967 से यह निर्णय किया गया है कि मंत्रियों के बंगलों से संलग्न नौकरों के क्वार्टरों में उपयुक्त बिजली तथा पानी के प्रभार को गैर-सरकारी खर्चा समझा जायेगा तथा 2,400 रुपये प्रति वर्ष की स्वैच्छिक निःशुल्क सीमा के नामे समायोजित किया जायेगा।

(ख) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति

1143. श्री बलराज मधोक :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में इस समय सरकारी भूमि पर श्रेणीवार तथा कुल कितने व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए हैं ; और

(ख) अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों को स्थायी रूप से पुनः बसाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) :

जून-जुलाई, 1960 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 50,000 परिवार दिल्ली में सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर अनधिवास कर रहे थे। इन परिवारों में ये शामिल थे:—

(i) बाहर से आये हुए मजदूर ;

(ii) सरकारी कर्मचारी तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारी ; और

(iii) अन्य।

बस्तियों के अनुसार उनका विभाजन उपलब्ध नहीं है। इन परिवारों को वैकल्पिक वास देने के लिए झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना बनाई है। (i) तथा (ii) श्रेणी के अनधिवासियों को 25 वर्ग गज की कैम्पिंग साइट दी जायेगी तथा जो (iii) श्रेणी में है उनको 80 वर्ग गज के प्लाट अथवा टेनमैन्ट दिये जायेंगे। अभी तक 22,000 परिवारों को नई बस्तियों में जो कि इस प्रयोजन के लिए विकासित की गयी हैं, वैकल्पिक स्थान दिया जा चुका है।

अनधिवासियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। यद्यपि जून-जुलाई, 1960 के बाद कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय यह संख्या 50,000 तथा 55,000 परिवारों के बीच है।

धूम्रपान

1144. श्री बाबूराव पटेल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में दी गई इस वैज्ञानिक खोज की जानकारी है कि धूम्रपान से निश्चित रूप से गले तथा आंतों में कसर हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो जनता के स्वास्थ्य के हितार्थ देश में धूम्रपान को बन्द करने या उसे कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) धूम्रपान तथा गले के कैंसर में निश्चित रूप से परस्पर कोई संबंध सिद्ध नहीं हुआ है हालांकि ऐसा होने की काफी संभावना है।

आंतों के कैंसर का धूम्रपान से कोई संबंध नहीं।

(ख) और (ग) धूम्रपान कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:—

(1) धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा क्रिया-कलापों के अन्तर्गत धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों का प्रचार करना एक ठोस कदम है। यह कार्य केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा तथा राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है और बातों के साथ-साथ भारत सरकार ने कैंसर के खतरे और उसका यथासमय पता लगाने के लिए निम्नलिखित प्रकाशनों में विशेषतया इन तथ्यों पर प्रकाश डाला है:—

1. धूम्रपान तथा कैंसर
2. काश कि मैंने धूम्रपान आरम्भ न किया होता।

3. स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के मासिक बुलेटिन 'स्वस्थ हिन्दी' में इस विषय पर लेख। जुलाई 1966 में 'भारत में कैंसर-'धूम्रपान से स्वास्थ्य हानि' पर स्वस्थ हिन्द का एक विशेष ग्रंक निकाला गया।

4. कैंसर

(2) देश में कैंसर निरोधी अभियान के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय ने निम्नलिखित फिल्मों का निर्माण किया:—

1. एक सैल से (फ्राम वन सैल)
2. कुसंड
3. प्राब्लम ग्राफ अर्ली डायग्नोसिस
4. सेव दीज लाइव्ज

(3) निम्नलिखित राज्यों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों ने बच्चों द्वारा धूम्रपान करने के विरोध में कानून बना दिये हैं:—

1. केरल	2. पश्चिमी बंगाल
3. जम्मू व कश्मीर	4. पंजाब
5. उत्तर प्रदेश	6. मध्य प्रदेश
7. असम	8. मैसूर
9. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10. मणिपुर
11. हिमाचल प्रदेश	

(4) निम्नलिखित राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों ने सिनेमा घरों, थियेटरों, सभा भवनों तथा मनोरंजन के अन्य स्थानों में और बसों में धूम्रपान निषेध कर दिया हैं:—

1. पंजाब	2. मैसूर
3. उत्तर प्रदेश	4. पश्चिमी बंगाल
5. मद्रास	6. आन्ध्र प्रदेश
7. राजस्थान	8. जम्मू व कश्मीर
9. महाराष्ट्र	10. केरल
11. गुजरात	12. बिहार
13. दिल्ली	14. हिमाचल प्रदेश
15. मणिपुर	

(5) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों को रेडियो से प्रसारित करने तथा टेलिविजन पर दिखाने के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय के रेडियो सेल ने आकाशवाणी और टेलिविजन केन्द्र के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया है। आकाशवाणी ने "रेडियो–डाक्टर" नामक वार्ताओं की एक नयी वार्तामाला आरम्भ की हैं। जिसके अन्तर्गत पहली वार्ता 5 अप्रैल 1966 को "फेफड़ों के रोग" पर दी गई। इस लोकप्रिय वार्ता द्वारा

यह बतलाया गया कि धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर हो सकता है जैसा कि भारत तथा विदेशों में हुए अनुसंधान अध्ययनों से ज्ञात होता है।

भारत का पश्चिम तट

1145. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तस्कर व्यापारियों के उन गिरोहों की जानकारी है जो फारस की खाड़ी और बम्बई के बीच प्रतिदिन मोटर लांच जहाज चला रहे हैं ; और

(ख) क्या फारस की खाड़ी और भारत के पश्चिम तट के बीच हो रहे तस्कर व्यापार को समाप्त करने के लिये सरकार का कोई कठोर कदम उठाने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को पता है कि तस्करों के गिरोह चोरी छिपे रूप में वस्तुएं लाने ले जाने के लिए फारस की खाड़ी, के देशों तथा बम्बई सहित पश्चिम तट के बीच चलने वाले अरब ढोओं, मशीन लांचों, मछलियां पकड़ने वाले जलयानों आदि का उपयोग करते हैं। लेकिन फारस की खाड़ी और बम्बई के बीच इस अभिप्राय से रोजाना चलने वाले मोटर लांच के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) इस प्रकार चोरी छिपे माल लाने लेजाने को रोकने के लिए, सीमा-शुल्क अधिकारी तथा विभिन्न क्षेत्र संगठनों के तस्कर विरोधी कार्यों का समन्वय करने वाले राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय द्वारा हर संभव उपाय किये जा रहे हैं। समुद्री गश्त में और कड़ाई करने के उपायों पर भी सरकार विचार कर रही है।

भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में इंग्लैंड में गोष्ठी

***1146. श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 के प्रथम सप्ताह में भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में इंगलैंड में, ब्राइटन में कोई गोष्ठी हुई थी ;

(ख) इस गोष्ठी में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले लोग तथा इसके संयोजक कौन थे ; और

(ग) गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकले और ये निष्कर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार सहायक होंगे ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) ब्राइटन के पास सुसेक्स में, 31 मार्च से 3 अप्रैल 1967 तक, भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में एक गोष्ठी हुई थी।

(ख) सुसेक्स विश्वविद्यालय, विकास अध्ययनों के संस्थान और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के राजकीय संस्थान, लंदन ने संयुक्त रूप से गोष्ठी का संचालन किया। इसमें 25–30 व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें से 6 भारतीय थे। भाग लेने वालों में मुख्यतः ऐसा प्रमुख अर्थशास्त्री तथा समाज वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत के बारे में जानकारी है, तथा इसमें दिलचस्पी लेते हैं। इस गोष्ठी में भाग लेने वालों की सूची नीचे दी जाती है।

(ग) गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति भारत की समस्याओं की जानकारी रखते हैं तथा उनमें दिलचस्पी देते हैं, उनकी सहानुभूति प्राप्त की जा सके। गोष्ठी का उद्देश्य किसी भी प्रकार के औपचारिक निष्कर्षों पर पहुंचना नहीं था। प्रस्ताव किया गया कि गोष्ठी की पृष्ठभूमि के लिए जो सामग्री तैयार की गई थी, उसे गोष्ठी में हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित किया जाय। इसमें भूमिका जोड़कर कालान्तर में इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया जाय। गोष्ठी के विचार-विमर्श के कुछ मतों को न्यूस्टेटस्मैन ने अपने 28 अप्रैल 1967 के संस्करण में "भारत" कम बेहूदगी, अधिक सहायता: शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किया। इस स्तम्भ के लेखक माइकल लिपटन हैं। जिन्होंने गोष्ठी में भी सक्रिय भाग लिया।

सूची

1. प्रो० टी० वालोंग, प्रधान मंत्री का कार्यालय, इंग्लैंड।
2. प्रो० एन० कालडोर, खजाना, इंग्लैंड।
3. प्रो० आसटिन रोबिसन, कैम्ब्रिज।
4. श्री कोलिन क्लार्क, आक्सफोर्ड।
5. श्री राबर्ट नील्ड. खजाना, इंग्लैंड।
6. श्री पी० पी० स्ट्रीटन, सुसेक्स विश्वविद्यालय, इंग्लैंड।
7. डा० डी० पोकोक, सुसेक्स विश्वविद्यालय।
8. डा० जे० एम० हीले, कीले विश्वविद्यालय।
9. डा० पी० ए० आर० लायर्ड, लंदन स्कूल आफ इकनोमिक्स।
10. डा० डेविड ओवन्स, लंदन स्कूल आफ इकनोमिक्स।
11. डा० जे० मिरलीज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय।
12. प्रो० एस० वेल्स, सैलफोर्ड विश्वविद्यालय।
13. श्री माइकल लिपटन, सुसेक्स विश्वविद्यालय।
14. श्री मौरिस जिंकिन, लिबर ब्रदर्स, लंदन।
15. श्री एन्ड्रू शोनफील्ड, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों का राजकीय संस्थान।
16. श्री प्री० डेनियल, पैरिस।
17. श्री आर० केसन, विदेश विकास विभाग।
18. श्री होपकिन्स, विदेश विकास विभाग।
19. श्री जोहनव्हाइट, विदेश विकास।

भारतीय भागीदार

1. श्री पीताम्बर पन्त, योजना आयोग ।
2. डा० के० एन० राज, दिल्ली स्कूल आफ इक्नोमिक्स ।
3. श्री वी० के० रामास्वामी, वित्त मन्त्रालय ।
4. डा० धर्म कुमार, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ।
5. श्री अशोक पारिख, सुसेक्स विश्वविद्यालय ।
6. श्री के० सुब्रमनियम, लंदन स्कूल आफ इक्नोमिक्स ।

पालम हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

***1147. श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 फरवरी, 1967 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पालम में आय-कर अधिकारियों ने 3.6 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा पकड़ी है ।

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यह धन कहां से लाया गया था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पालम हवाई अड्डे पर 13 फरवरी 1967 को इस प्रकार का कोई माल नहीं पकड़ा गया । लेकिन, 13 जनवरी 1967 को सीमाशुल्क अधिकारियों ने पालम हवाई अड्डे पर एक यात्री के पास से 3·6 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा पकड़ी ।

(ख) मामले की सीमाशुल्क और आयकर दोनों विभागों द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) रुपया यात्री द्वारा बम्बई से लाया गया था ।

Smuggled Silver and Pepper Unearthed in Bombay

1148 Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Ram Singh Ayarwal

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Customs authorities in Bombay had unearthed silver and black pepper worth Rs. 1 lakh from two mechanised Arab boats sailing in the sea near Shtvari in the first week of January, 1967;

(b) if so, from where these were brought; and

(c) the action taken and the number of persons against whom it has been taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) On 11-1-67 the Bombay Customs authorities seized various good including black pepper, tea

and silver ingots of the total value of about Rs. 86,000/- from two mechanised boats "MSV Alfi" and "MSV Mubarki" in Sewri area of Bombay for attempted smuggling of these goods out of India.

(b) These goods are reported to have been supplied by two firms of Bombay.

(c) The 'Nakhuda' (Master) and one crew member of "Alfi", the 'Nakhuda' of "Mubarki" and two local persons were arrested and prosecuted. The 'Nakhuda' of "Alfi" has since been discharged by the Court, Prosecution against the remaining persons is pending.

As a result of departmental adjudication, the offending goods valued at about Rs. 82, 000/—have been confiscated absolutely and the remaining goods released. Both the mechanised boats- 'Alfi' and 'Mubarki' have also been confiscated but have been allowed to be redeemed on payment of a fine of Rs. 15,000/—and Rs. 14,000/—respectively in lieu of confiscation.

Personal penalty of Rs. 10,000 on the 'Nakhuda of "Mubarki" and Rs. 500/—on one crew member of "Alfi" has also been imposed. Departmental case against the two local persons is still pending.

All fines and penalties imposed, so far, have been realized.

GOLD UNEARTHED IN MADRAS

1149. Shri Ram Singh Ayarwal:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Will the minister of Finance be pleased to state:

(a) Whether it is a faet that the Central Customs authorities had unearthed 10,000 tolas of gold worth Rs, 17·5 lakhs in Madras in January, 1967;

(b) if so, from where this gold was brought; and

(c) the number of persons against whom the action has been taken and the nature thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai)
(a) On 6th January, 1967 the Central Excise officers seized 10,000 tolas of gold valued at Rs,9,84,200/—at the international rate, in Madras.

(b) It is not known from where this gold was brought to Madras but the gold bars bear "Johnson Matthey, London" markings.

(c) Five persons were arrested and subsequently released on bail. The ease is at present under departmental adjudication.

दिल्ली में रिहायशी कालोनियां

***1150 श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वीकृति न दिये जाने के कारण दिल्ली के हजारों नागरिकों की बड़ी धनराशि प्रस्तावित रिहायशी कालोनियों में अवरुद्ध पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य आय वर्ग के बहुत से लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) : कदाचित माननीय सदस्य दिल्ली में, पिछले कुछ वर्षों में बनी अनधिकृत बस्तियों का संदर्भ दे रहे हैं। यह निर्णय किया गया है कि उन बस्तियों को जो कि दिल्ली के लिए मास्टर प्लान के आदर्श (पेटर्न) भूमि-उपयोग का उल्लंघन नहीं करतीं, तथा जो उचित ले आउट/सर्विस प्लान में ठीक से बैठ सकती हैं तथा जहां मास्टर प्लान के लागू होने (अर्थात् 1 सितम्बर, 1962) से पूर्व पर्याप्त निर्माण हो चुका है, नियमित कर दिया जाये।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी

***1151 श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय (फील्ड) कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम के मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के समान मानने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय (फील्ड) कर्मचारी विशेषकर विकास अधिकारी काफी लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जीवन बीमा निगम के प्रधानकार्यालय तथा अन्य कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों को श्रेणी I, III और IV में विभक्त किया गया है। तीनों श्रेणियों की शर्तों में एकरूपता नहीं है, विशेषतः श्रेणी I की शर्तें अन्य दो श्रेणियों की शर्तों से भिन्न हैं। निगम के क्षेत्र कर्मचारी को द्वितीय श्रेणी अफसरों की पद-संज्ञा दी जाती है। इन लोगों ने बहुत सी माँगें पेश की थी जिनमें श्रेणी III IV के कर्मचारियों को मिलने वाली कुछ सेवा-शर्तें पाने के बारे में भी प्रस्ताव थे।

(ख) क्षेत्र अधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 26 नवम्बर से लेकर 24 दिसम्बर 1966 तक की अवधि में कोई नया कारोबार नहीं करने का अभियान चलाया था। यह आन्दोलन अब वापस ले लिया गया है।

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा भारत के बीमा क्षेत्र-कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ के साथ उनकी मांगों के बारे में समझौते की बातचीत की जा रही है।

आसाम में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

***1152 डा० रानेन सेन**
श्री वेदव्रत बरुआ :
क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 के लिए राज्यों में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये आसाम सरकार ने अधिक अनुदानों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी, हां ।

(ख) 1966–67 के दौरान असम में बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के लिए पहले 2.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रबन्ध था। असम सरकार से अतिरिक्त सहायता के प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात 3.50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई। 1967–68 के लिए राज्य सरकार ने वार्षिक योजना विचार-विमर्श के आधार पर इस वर्ष के दौरान बाढ़ नियन्त्रण के लिए 2.2 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया। पिछले कुछ दिनों में एक प्रार्थना आई थी कि 1967–68 के लिए केन्द्रीय सहायता को बढ़ा दिया जाए। इस पर विचार किया जा रहा है।

एशियन विकास बैंक

*1153 डा० रामेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियन विकास बैंक में इस समय कितनी न्यास निधि जमा है;

(ख) किन किन देशों ने इस निधि में अंशदान दिया है; और

(ग) इन निधियों का प्रयोजन क्या है और इनका वितरण कैसे किया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) : एशियाई विकास बैंक के पास इस समय कोई न्यास निधि (ट्रस्ट फण्ड) नहीं है। लेकिन बैंक के निदेशक बोर्ड ने, प्रादेशिक सदस्य-देशों के कृषि-विकास के लिए बैंक के तत्वावधान में एक विशेष निधि का निर्माण करने के विचार को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। निधि में अंशदान देने वाले देशों, अंशदान की रकमों, निधि की कुल रकम और निधि से रकमों का वितरण करने की कार्य प्रणाली आदि का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था का भाग लेना

*1154 श्री मं० रं० कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस शर्त पर धन लगाना मान लिया है कि संस्था को उनमें प्रभावी रूप से भाग लेने दिया जायेगा; और

(ख) संस्था के सहयोग से सरकारी क्षेत्र की कितनी परियोजनाओं को बनाये जाने की अनुमति दी गयी है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (इण्टर नेशनल डेवलपमेण्ट असोसियेशन) सिचाई, बिजली, दूर-संचार, सड़कों, राजपथों आदि जैसी सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों का वित्त-प्रबन्ध करती रही है। संस्था ने वित्त-प्रबन्ध की यह शर्त नहीं रखी है कि उसे प्रायोजनाओं आदि में प्रभावी रूप से भाग लेने दिया जाय।

(ख) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने अब तक इन चौदह प्रायोजनाओं के लिए धन दिया है :—

(1) राजपथों का निर्माण और सुधार
(2) उत्तर प्रदेश में नल कूपों से सिंचाई
(3) शत्रुंजी सिंचाई
(4) सालन्दी सिंचाई
(5) पंजाब जल निकासी और बाढ़ नियन्त्रण
(6) दुर्गापुर बिजली विस्तार (दामोदर घाटी निगम)
(7) सौन सिंचाई
(8) पूर्णा सिंचाई
(9) कोयना बिजली, दौर–11
(10) बम्बई बन्दरगाह प्रायोजना
(11) कोठागुडम बिजली प्रायोजना, दौर–1
(12) व्यास उपकरण प्रायोजना
(13) रेलें (तीन ऋण)
(14) दूर–संचार (दो ऋण)

तुंगभद्रा परियोजना

***1155 श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा परियोजना की उच्च-स्तरीय नहर द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले के अलूर तालुके में किन किन गांवों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी;

(ख) प्रत्येक गांव में कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी; और

(ग) किन किन ग्रामों में और कितनी मात्रा में अगली फसल के लिये पानी का प्रबन्ध किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) अल्लूर तालुक में आयाकट का स्थान अब तक तय नहीं हो पाया है । इस लिये राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि जिन गांवों में सिंचाई की जायेगी उनका पता लगाना इस समय सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत सेवक समाज

***1156 श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से भारत

सेवक समाज को दिये जाने वाले अनुदानों का सत्यापन करने के लिये लोक सहकार समन्वय समिति की एक उप–समिति बनाई है;

(ख) 1965–66 तथा 1966–67 के दौरान प्रत्येक मंत्रालय ने भारत सेवक समाज को कितनी कितनी राशि दी है तथा किस-किस काम के लिये दी है ?

(ग) क्या इस आशय के कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि भारत सेवक समाज की निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या भारत सेवक समाज द्वारा किये जाने वाले काम का मूल्यांकन करने के लिये कोई व्यवस्था है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा भारत सेवक समाज को जो अनुदान दिये जाते हैं, उनका जनसहयोग समन्वय समिति की उप-समिति द्वारा समय समय पर पर्यवेक्षण किया जाता है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 491/67]

(ग) और (घ) : भारत सेवक समाज द्वारा, सरकार के अनुदान की शर्तों का उल्लंघन करने के बारे में योजना आयोग को कुछ शिकायतें मिली थी। परन्तु इन्हें साबित नहीं किया जा सका।

(ङ) भारत सेवक समाज के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए अलग से कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है। परन्तु भारत सेवक समाज द्वारा भारत सरकार की ओर से जो योजना कार्यक्रम शुरू किये जाते हैं उनका मूल्यांकन समय समय पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा अन्य तदर्थ समितियों द्वारा किया जाता है।

क्षय रोग चिकित्सा केन्द्र

***1157 श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक जिले में एक एक क्षय रोग अस्पताल खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्र शेखर) :

(क) जी हां।

(ख) रोगियों के घरों पर ही नैदानिक उपचार तथा निरोधी सुविधायें देने के काम को प्रारम्भ करने के लिये राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक टी० बी० क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है। जिला टी० बी० क्लीनिकों की देख रेख तथा

मार्ग-दर्शन के अधीन जिलों को विभिन्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध सेवाओं के साथ इन सुविधाओं को मिलाकर इनका विस्तार करने का भी प्रस्ताव है जिससे रोगियों को ये सुविधायें अपने घर के निकट से निकट स्थान पर प्राप्त हो सकें।

FERTILIZER FACTORY, BARAUNI

1158. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) when the construction work of fertilizer factory proposed to be established at Barauni will commence; and

(b) when the factory will start the production of fertilizers?

The Minister of State in The Ministry of Petroleum And Chemicals And of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b) According to the tentative time Schedule presently drawn, the construction of Barauni Project will start early next year and the factory is likely to go into production by the beginning of 1971. This will depend upon the availability of land latest by October this year and satisfactory foreign exchange arrangement and approval of suppliers credit contracts by December this year.

तरल पैट्रोलियम गैस

1160. **श्री काशीनाथ पांडे**
श्री न० प्र० यादव :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिलेन्डर न मिलने के कारण देश के सभी महत्वपूर्ण नगरों में तरल पैट्रोलियम गैस प्रयोग में लाई नहीं जा सकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां, तरल पैट्रोलियम गैस के सिलेन्डर बनाने के लिये उपयुक्त इस्पात की कमी के कारण।

(ख) सिलेन्डर बनाने के लिये उपयुक्त देशीय इस्पात के उत्पादन को विकसित करने के कदम उठाये गये हैं। तब तक, 1,200 मीटरी टन ऐसा इस्पात आयात किया जा रहा है।

उड़ीसा को योजना की क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सहायता

1161. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को 1967-68 में योजना को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी जानी है,

(ख) 1967-68 की अपनी वार्षिक योजना के लिये वित्त की व्यवस्था करने के हेतु उड़ीसा सरकार ने कितनी राशि जुटाने की योजना बनाई है,

(ग) 1967–68 की अपनी वार्षिक योजना को चलाने के लिये राज्य सरकार ने किन–किन साधनों से तथा कितना-कितना वित्त जुटाने का संकेत दिया है;

(घ) क्या यह राशि अपने मूल अनुमान से कम बैठती है;

(ङ) यदि हां तो कितनी कम है;

(च) 1967–68 की उड़ीसा सरकार की मूल योजना पर कितनी राशि खर्च होनी थी; और

(छ) 1967–68 की पुनरीक्षित योजना पर कितनी राशि खर्च होनी है ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (छ) : योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार, उड़ीसा की 1967–68 की सालाना योजना के परिव्यय के बारे में विस्तार से, राज्य की राजधानी में 2, 3 और 4 जून, 1967 को राज्य सरकार से विचार-विनिमय करेंगे।

उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई योजनाएं

1162. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं बनाई हैं;

(ख) इन योजनाओं पर कितना खर्च होने का अनुमान है;

(ग) कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित करने के लिये स्वीकार कर ली गई हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं से क्या लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में संतत व नई तथा बृहत् व मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 41·65 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा था। ब्यौरे अभी तैयार नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा की चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उड़ीसा के लिए उत्पादन-शुल्क डिवीजन

1163. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के लिये एक पृथक उत्पादन-शुल्क डिवीजन बनाने का है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा का एक पृथक राज्य बनने के बाद भी पिछले तीस वर्षों से उड़ीसा के लिये एक पृथक उत्पादन-शुल्क कार्यालय नहीं बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उड़ीसा पहले से ही केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का एक अलग प्रभाग है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रवेश

1164. श्री कृष्णमूर्ति : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रवेश के मामले में मद्रास राज्य को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) (क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एम० बी० बी० एस० तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला योग्यतानुसार अखिल भारतीय आधार पर दिया जाता है । दाखिले के लिये भारत के किसी भी राज्य अथवा प्रदेश के लिये कोई सीट आरक्षित नहीं की जाती । किन्तु एम० बी० बी० एस० कोर्स में 5 सीटें विदेशी छात्रों के लिये तथा 10 सीटें अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के छात्रों के लिये आरक्षित की जाती हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में प्लाटों का दिया जाना

1165. श्री मा० स्व० शर्मा : श्री शारदा नन्द :
श्री श्री गोपाल साबू : श्री बृज भूषणलाल :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अर्जित भूमि को प्लाट होल्डरों अथवा भवन निर्माण सहकारी समितियों को देने का हाल ही में निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितनी भूमि दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल और लक्कादीव के बीच तलछटी

1166. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस आयोग ने केरल तट तथा लक्कादीव द्वीप समूह के बीच तलछटी का पता लगाया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई खुदाई की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तवा सिंचाई परियोजना

1167. श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में तवा सिंचाई परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था करने के हेतु कोई अतिरिक्त धन दिया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो कितना ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रियों के निजी कर्मचारियों द्वारा संसदीय कार्य

1168. श्री राम चरण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि बचत की दृष्टि से संसद् सम्बन्धी कार्य संसद सहायकों के स्थान पर सम्बन्धित मंत्रियों से सम्बद्ध निजी कर्मचारियों से कराया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान तथा मंत्री वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार की व्यवस्था मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारी-वर्ग की संख्या बढ़ाये बिना संभव नहीं होगी और इस प्रकार इससे कोई मितव्ययिता नहीं होगी।

संसद सहायकों (असिस्टेंट) को भत्ते के रूप में दी गई धनराशि

1169. श्री राम चरण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1965-66 और 1966-67 में मंत्रालयों में काम करने वाले संसद सहायकों को भत्ते के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) क्या यह भत्ता विभिन्न मंत्रालयों में समयापरि भत्ते के लिए नियत की गई धनराशि में से दिया जा रहा है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) भत्ते तथा मानदेय; लेखा-शीर्ष के अन्तर्गत किये गये निर्धारण में से यह भत्ता दिया जा रहा है।

MALIS

1170, Shri Ram Charan : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government Malis (Gardeners) work in the quarters on ground floor occupied by officers and staff working in his Ministry and its attached and subordinate offices in Delhi;

(b) if so, whether it is permissible; and

(c) if not, the action taken to stop this practice ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply : (Shri Iqbal Singh)

(a) and (b) It is the duty of the Central Public Works Department Malis to maintain the gardens and lawns attached to all Government quarters. No special arrangement exists for the officers and staff of the Ministry of Works, Housing and Supply.

(c) Does not arise.

ALLOTMENT OF QUARTERS TO OFFICERS AND STAFF OF W.H.S. MINISTRY

1171. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Works Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officers and staff working in his Ministry and its attached and Subordinate Offices in Delhi have better located residential quarters in comparison to those of other Ministries and Offices; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

पारादीप के लिए उर्वरक कारखाना

1173. श्री श्रद्धाकार सुपकार :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री नि० र० लास्कर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के किसी प्रस्ताव का सरकार को पता है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या ब्रिटिश इण्डिया डेवेलपमेंट कारपोरेशन नामक संस्था के प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में हाल में उड़ीसा आये थे; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियाँ क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) पारादीप में गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये अभी तक कोई पक्का प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) उनके विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो रही है ।

समाज कल्याण

1174. **श्री एस्थोस :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार समाज कल्याण के लिये कितना धन नियत किया गया था; और

(ख) उसी अवधि में कितना लक्ष्य पूरा हुआ है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) तीसरी योजना में समाज कल्याण शीर्ष के अन्तर्गत राज्यवार वित्तीय आबंटन नीचे दिया जाता है :—

राज्य	रुपये लाखों में
आन्ध्र प्रदेश	83·09
असम	19·15
बिहार	35·24
गुजरात	38·11
जम्मू और काश्मीर	13·69
केरल	39·37
मध्य प्रदेश	70·00
मद्रास	51·63
महाराष्ट्र	100·54
मैसूर	30·04
उड़ीसा	15·55
पंजाब	74·30
राजस्थान	40·00
उत्तर प्रदेश	74·65
पश्चिम बंगाल	440·10
योग :	1125·46

दिल्ली	73·65
हिमाचल प्रदेश	17·00
मनीपुर	4·09
पांडिचेरी	7·32
त्रिपुरा	10·73
अंडमान और निकोबार	0·10
कुल योग :	1238·30*

(ख) राज्यवार लक्ष्यपूर्ति सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

EFFECT OF DEVALUATION ON PENSION AND INTEREST SENT ABROAD

1175. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to state the extent of increase in terms of Rupees that has taken place as a result of devaluation of rupee last year in the amount being sent to foreign countries in the form of Pension and Interest ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The increase in the rupee equivalent of the interest payable by Government on Foreign loans on account of the devaluation of the rupee was Rs. 34.09 crores in 1966-67 and will be of the order of Rs. 45 crores in 1967-68. In this connection attention is invited to the reply in the Lok Sabha to Starred Question No. 83 on 25th May, 1967.

Where pensions are fixed in terms of rupees and are payable abroad, there will be no increase in the rupee value of the payment, due to devaluation; remittances are just being made at the official exchange rate existing from time to time. Where pensions are expressed in sterling or for which a minimum rate for conversion into foreign exchange is assured the rupee value of the payment will be affected by the devaluation. The liability for most of the pensions payable abroad which were in issue on the 31st March, 1955, was transferred to the U.K. Government by payment of the capitalised value thereof. Devaluation of the rupee has no effect on such transferred pensions. Only certain remaining types of pensions made abroad would, therefore, be relevant for the calculation of the increased rupee value resulting from devaluation. The information in this regard will be collected and placed on the table of the House.

सरकारी उपक्रम संगठन

1176. **श्री स्वैल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का एक संगठन स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) इस संगठन का क्षेत्र क्या होगा और उसके कार्य क्या होंगे; और

(ग) ऐसे संगठन से औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सम्बद्ध सरकारी प्रतिष्ठानों के संघ स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रारम्भिक छानबीन की जा रही है।

*इसमें केन्द्रीय सहायता की राशि भी शामिल है।

इन्हें स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि इस्पात के कारखानों और बिजली घरों के लिए उपकरण मुहैया किये जायं और उनके अन्य कामों को हाथ में लिया जाय ताकि औद्योगिक क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

बम्बई में विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

1177. श्री राम किशन गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वी० के० मोदक :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री बेदब्रत बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क विभाग के निरोधक तथा समुद्री डिवीजन के अधिकारियों ने बम्बई में 30 अप्रैल, 1967 को अत्यधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी थी

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी चीजें पकड़ी गईं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 30 अप्रैल 1967 को बम्बई में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा के निम्नलिखित प्रपत्र पकड़े:—

(i) 2,996–0–6 पौण्ड मूल्य के ब्रिटिश पोस्टल आर्डर

(ii) 30,100–0–0 पौण्ड मूल्य के यात्री चैक

(iii) 15,900–9–7 पौण्ड मूल्य के बैंक ड्राफ्ट

(iv) 41,000,00 डालर के अमरीकी यात्री चैक

(v) 14,001,09 डालर के अमरीकी बैंक ड्राफ्ट

पकड़े गये विदेशी मुद्रा के प्रपत्रों का, विनिमय की सरकारी दर पर, मूल्य लगभग 14,41,430 रुपये है।

(ग) पकड़े गये विदेशी मुद्रा के प्रपत्र सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन जब्त कर लिये गये हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

सीसे के प्रयोग से विष का फैलना

1178. श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बाबू राव पटेल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार के कारखानों के चिकित्सा निरीक्षक डा० डी०पी० बनर्जी के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कारखानों में सीसे के प्रयोग से विष फैलने तथा अन्य रोगों के हो जाने की घटनाओं में चिन्ताजनक वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या पूर्वोपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) बिहार फैक्ट्रीज इन्सपेक्टोरेट तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा 27 व 28 अप्रैल 1967 को जमशेदपुर में "कारखानों में सीसे के प्रयोग से विष फैलने के सम्बन्ध में आयोजित सम्मेलन में डा० डी० पी० बनर्जी ने बतलाया था कि ऐसी विभिन्न प्रणालियों में जिनमें सीसे का प्रयोग होता है सीसे से फैलने वाले विष की मात्रा भारतीय कारखानों में काफी अधिक है तथापि केन्द्रीय श्रम संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन से सीसे से विष फैलने के किसी क्लिनिकी मामले का पता नहीं चला, यद्यपि कर्मचारियों को सीसे के बड़े बड़े ठठोरों के पास रह कर काम करना पड़ा।

(ख) इस सम्बन्ध में फैक्ट्रीज अधिनियम तथा नियमों में आवश्यक उपबन्ध पहले ही से मौजूद हैं तथा इस बात के लिए कड़ी तथा अनवरत सतर्कता रखी जाती है कि कारखानेदार और कर्मचारी इन नियमों का पालन करें। इसके अतिरिक्त उद्योगों में सीसे तथा अन्य विषैले तत्वों से हो जाने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों तथा बचाव के उपाय बरतने की आवश्यकता के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए समय समय पर गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इन गोष्ठियों या सम्मेलनों में दिये गये सुझावों पर पूरा पूरा अमल किया जाता है।

पोंग बांध तथा सतलुज व्यास नदी सम्पर्क की पुनर्वास तथा नियतन समिति का पुनर्गठन

1179 श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध और सतलुज व्यास नदी सम्पर्क की पुनर्वास तथा नियतन समितियों का पुनर्गठन करने के लिए विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनका पुनर्गठन कब तक हो जायेगा तथा उनकी बैठकें कब होंगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) इन समितियों के पुनर्गठन और इनकी बैठकों के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के लिये पेय जल योजनाएँ

1180. श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिये हिमाचल प्रदेश ने पेय जल सम्बन्धी कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें प्रस्तुत की हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित तथा मंजूर किया गया है;

(ख) इन पर कितनी राशि खर्च होगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कितना व्यय वहन करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) 1967–68 में केन्द्रीय सरकार ने अब तक सोलन टाउन जल पूर्ति योजना नामक एक ही जलपूर्ति योजना अनुमोदित एवं मंजूर की है ।

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत 33·79 लाख रुपये है ।

(ग) राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत चलायी गयी नगर जलपूर्ति योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता सौ प्रतिशत तक ऋण के रूप में दी जाती है । जहां तक विधान मण्डलों वाले संघ क्षेत्रों का सम्बन्ध है उनके लिये भारत सरकार एक स्थूल रकम की ही व्यवस्था कर देती है और वह रकम कैसे कैसे बांटा जाये इसका निर्णय उन पर ही छोड़ देती है । 1967–68 के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने जलपूर्ति योजनाओं के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की है :

जल पूर्ति एवं सफाई योजनाएँ	रकम
सार्वजनिक निर्माण विभाग	32,00,000 रु०
विकास विभाग	3,00,000 रु०
कुल (योजना)	35,00,000 रु०

दिल्ली में वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

1181. श्री वासुदेव नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हुये वित्त मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी ; और

(ख) सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किये गये थे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई :

(एक) चौथी योजना के लिये संसाधन ।

(दो) वर्ष 1967–68 की राज्यों की वार्षिक योजना के लिये संसाधन।

(तीन) राज्यों की बजट सम्बन्धी स्थिति ।

(चार) राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट ।

(पांच) सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता ।

(ख) यद्यपि घाटे की अर्थव्यवस्था तथा ओवरड्राफ्टों का आश्रय न लेने के सम्बन्ध में सब एक मत थे परन्तु निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया ।

केरल की सबरीगिरी परियोजना में लगी इस्पात चिह्नांकनों (स्टांपिंग्स) में जंग लगना

1182. श्री वासुदेव नायर :
श्री जनार्दनन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की सब्रीगिरी परियोजना के लिये अमरीका से आयात किये गये इस्पात के चिह्नांकनों (स्टाम्पिंग्स) में जंग लग जाने के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) केरल इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हानि कितनी हुई और इसके लिए कौन उत्तरदायी है । इसका पता लगाने के लिये वितीय मंत्रालय के साथ सलाह करके जांच रिपोर्ट की परीक्षा की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति

1183. **श्री हेमराज** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति बनाई थी ।

(ख) क्या यह सच है कि वह समिति अब समाप्त कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुनः यह समिति नियुक्त करने का विचार है और क्या इस आशय का कोई अभ्यावेदन भी आया है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ङ) : अप्रैल, 1964 में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय पर्वतीय विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया था । परन्तु 1965 में चौथी योजना अवधि में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की समस्याओं को राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप-समिति द्वारा अपने हाथ में लेने पर इस समिति को समाप्त कर दिया गया । राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन समस्याओं पर विस्तार से जांच-पड़ताल करने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया । इस जांच-पड़ताल के प्रतिफलों के आधार पर मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये, जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं क्षेत्रों में भेज दिया गया । इस सूचना को प्रेषित करते समय राज्य सरकारों से यह भी निवेदन किया गया कि अपनी चौथी योजना के प्रस्तावों को तैयार करते समय वे इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखें ।

हरियाना के लिए उर्वरक कारखाना

1184. **श्री रणधीर सिंह** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हरियाना के किसी स्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब तक चालू हो जायेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पूर्व स्थापित क्षमता और विकसित हो रही क्षमता से मांग के पूरा हो जाने की आशा है ।

मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना

1185. श्री आत्मदास : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यह कारखाना कब तक स्थापित किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग) : भारतीय उर्वरक निगम को कहा गया है कि वह प्रतिदिन 600 मीटरी टन अमोनिया और 1000 मीटरी टन यूरिया के आधार पर कोरबा परियोजना की पहली रिपोर्ट को फिर से तैयार करें और संयन्त्र की आवश्यकताओं के लिए अच्छे कोयले की प्राप्ति को दृष्टि में रखते हुए स्थान की स्थिति के प्रश्न पर पुनः विचार करें। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

PRINTING OF NAME OF PRESS ON CURRENCY NOTES

1186. Shri Atam Das : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government are considering to print the name of the press on the currency notes of Rupees 100 and 1000 denominations as was the practice before 1947;

(b) If so, whether this would have any effect on the movement of unaccounted money; and

(c) Whether this will result in the disclosure of unaccounted and concealed money ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir, It has not been the practice at any time to print the name of the Press on the Currency and Bank Notes. Nor are Government considering any such proposal.

(b) and (c) Government do not consider that such a course would have the effects mentioned.

नेपाल को तेल का निर्यात

1187. श्री हेमराज : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 तथा 1965–66 में नेपाल को कितना तेल निर्यात किया गया ; और

(ख) 1966-67 में कितना तेल निर्यात करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क)	वर्ष	निर्यातित उत्पादकों की मात्रा (मीटरी टन)
	1964-65	39,510
	1965-66	37,490

(ख) 45,180 मीटरी टन ।

पटना में स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया का मुख्यालय

1188. श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कोई प्रस्ताव किया है अथवा स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया कर्मचारी संघ की पटना शाखा ने कोई सुझाव दिया है कि बिहार राज्य के लिये पटना में पृथक मुख्य कार्यालय खोला जाये ;

(ख) क्या अहमदाबाद, हैदराबाद और कानपुर आदि में ऐसे पृथक मुख्य कार्यालय खोले गये हैं ;

(ग) इन शाखाओं का मुख्य कार्यालय के रूप में गठन करते समय से पहले प्रतिवर्ष क्या लाभ था तथा पटना शाखा का गत वर्ष का क्या लाभ था ;

(घ) उनके बारे में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार स्टेट बैंक को पटना में मुख्य कार्यालय खोलने के बारे में आदेश देने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पटना में भारतीय राज्य बैंक का स्थानीय मुख्य कार्यालय खोलने के लिए बिहार सरकार या भारतीय राज्य बैंक कर्मचारी संघ ने कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) कानपुर और अहमदाबाद के स्थानीय मुख्य कार्यालय 1964 में खोले गये थे और 1963 का उनका लाभ क्रमशः 23.60 लाख रुपया और 17.47 लाख रुपया था । हैदराबाद का स्थानीय मुख्य कार्यालय 1965 में खोला गया था और 1964 में उसे 9.07 लाख रुपये का लाभ हुआ था । पटना-स्थित शाखा को 1965 में 19.06 लाख रुपये का लाभ हुआ था । लाभ के ये लगभग आंकड़े अनुमान के आधार पर दिये गये हैं ।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ङ) जी, नहीं । भारतीय राज्य बैंक ने, प्रशासनिक बातों का विचार करके, पटना में प्रादेशिक कार्यालय खोलने का फैसला किया है ।

विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा

1189. श्री फ० गो० सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया में 1967–68 के शिक्षा वर्ष में उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा देने के सम्बन्ध में नियमों में परिवर्तन कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें नियमों में किये गये परिवर्तन और उनके कारण दिये गये हैं ।

विवरण

परिवर्तन	कारण
(एक) अब केवल उन विद्यार्थियों को विदेशों में इंजिनियरी की उपाधि लेने के लिये विदेशी मुद्रा दी जायेगी, जो भारत के किसी विश्व-विद्यालय से इंजिनियरी उपाधि 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों सहित या विज्ञान स्नातक की उपाधि 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों सहित प्राप्त किये हुये होंगे। ये नियम सभी दाखला लेने वालों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे विश्वविद्यालय या संस्था कोई भी क्यों न हो।	भारत में इंजिनियरी के अध्ययन सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि हो जाने के कारण, यह आवश्यक समझा गया कि तकनीकी विषयों के सम्बन्ध में भी एक कम से कम अंकों का प्रतिबंध लगा दिया जाये ।
(दो) स्नातक और स्नातकपूर्व ऐसे विद्यार्थियों को, जिन्होंने मैट्रिक या हायर सेकेंन्डरी की परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किये थे, विशेष तकनीकी विषयों में डिप्लोमा कोर्स करने के लिये विदेशी-मुद्रा दी जायेगी ।	पहले यह सुविधा केवल कुछ विशिष्ट संस्थाओं तक ही सीमित थी जबकि अब यह सुविधा सभी संस्थाओं में उपलब्ध होगी ।
(तीन) अब से आगे जी. सी. इ. (उच्च स्तर) समेत प्रारम्भिक पाठ्यक्रमों के लिये विदेशी मुद्रा नहीं दी जायेगी ।	चूंकि तकनीकी विषयों के अध्ययन के लिये अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी गई है, इसलिये ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये विदेशी मुद्रा देने की आवश्यकता नहीं रही है ।
(चार) ब्रिटेन और इस महाद्वीप के अन्य स्थानों पर जाने वाले विद्यार्थियों को अब जीवन-निर्वाह तथा फीस के खर्च के लिये 600 पौंड प्रति वर्ष दिया जायेगा ।	चूंकि ब्रिटेन में जीवन-निर्वाह का खर्च बढ़ गया है ।

EXPLORATION OF OIL IN RAJASTHAN

1190. **Shri P.L. Barupal** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) Whether the exploration of Oil in Pungal area of Bikaner district and in Jaisalmer District of Rajasthan has been carried out;

(b) If so, the results thereof;

(c) Whether any Refinery is proposed to be set up in these places; and

(d) If so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Yes, Sir,

(b) In a well drilled at Manhera Tibba, indications of the presence of gas were obtained.

(c) No.

(d) Does not arise.

अपर सिलेरू पावर प्रोजेक्ट

1191. **श्री मि० सु० मूर्ति** : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर सिलेरू पावर प्रोजेक्ट के लिये आवश्यक मशीनरी तथा अन्य उपकरण मंगा लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी ह जायगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां

(ख) प्रथम उत्पादन यूनिट के अगस्त, 1967 में चालू होने की संभावना है और दूसरे यूनिट के दिसम्बर 1967 में। तथा यह परियोजना चालू वर्ष के दौ यगी।

डी० बी० के० रेलवे परियोजना में आदिवासियों के

1192. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** :
श्री गया चरण दीक्षित :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि डी० बी० के० रेलवे लाइन के निर्माण तथा मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की बेलाडिला लोह अभरक खान में बहुत कम आदिवासियों को काम पर लगाया गया है;

(ख) यदि हां तो आदिवासियों को अधिक संख्या में काम पर न लगाने के क्या कारण हैं और

(ग) इसका उपचार करने के लिये क्या उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही हैं और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

नर्मदा सागर विद्युत् परियोजना

1193. श्री नीति राज सिंह चौधरी :
श्री जी० सी० दीक्षित :
श्री बाबूराव पटेल :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा सागर (पुनासा) विद्युत् परियोजना के निर्माण के बारे में रूस ने कुछ प्रस्ताव पेश किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को भारत-रूस व्यापार करार में सम्मिलित करने की सिफारिश की है,

(घ) नर्मदा घाटी के विकास के बारे में अन्तर्राज्यिक विवाद का निपटारा होने तक नर्मदा सागर परियोजना को भारत-रूस व्यापार करार में सम्मिलित करने में, विशेषकर जब कि इससे समय की बचत होती है, यदि कोई कठिनाई है, तो वह क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसको भारत-रूस व्यापार करार में सम्मिलित करने के बारे में अन्तिम निर्णय मध्य प्रदेश सरकार को कब तक बता दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) सूचना मिली है कि वी/ओ इनर्जी-मच-एक्सपोर्ट आफ यू० एस० एस० आर ने मध्यप्रदेश की सरकार को नर्मदा सागर (पुनासा) परियोजना के लिए मशीनरी और साज-सामान देने की इच्छा प्रकट की है।

(ग) जी, हां

(घ) और (ङ) किसी भी परियोजना के निमित्त विदेशी सहायता के लिए प्रार्थना तब की जाती है कि जब यह तकनीकी आधार पर स्वीकार कर ली जाती है और योजना में इसके कार्यान्वन के लिए आवश्यक धन का बन्दोबस्त कर दिया जाता है। नर्मदा सागर बिजली परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट की मध्यप्रदेश सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

विकलांग बच्चों के लिये शिक्षा सुविधायें

1194. श्री शिवचन्द्र झा : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली तीन योजनाओं के दौरान विकलांग बच्चों, विशेष रूप से बहरे और गूंगे को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिये कोई व्यवस्था की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) विकलांग छात्रों को तीन योजनाओं में छात्रवृत्तियां इस प्रकार दी गई :—

योजना	नेत्रहीन	बहरे	अस्थि-विकलांग
प्रथम	20	——	——
द्वितीय	185	246	228
तृतीय	435	400	942
	640	646	1170

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थान स्थापित किये गये :—

1. नेत्रहीन बालकों के लिये मॉडल स्कूल, देहरादून ।
यह एक माध्यमिक स्कूल है और 70 लड़के व लड़कियों को मुफ्त भोजन, निवास स्थान कपड़े और शिक्षा प्रदान की जाती है ।

2. कमजोर मस्तिष्क के बच्चों का माडल स्कूल, नई दिल्ली—
यह स्कूल लगभग 111 कमजोर मस्तिष्क के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करता है ।

3. वयस्क बधिरों का प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद—
यह केन्द्र लगभग 60 बधिर विद्यार्थियों को इंजीनियरी और गैर–इंजीनियरिंग व्यवसायों सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

4. नेत्रहीनों के लिये राष्ट्रीय पुस्तकालय, देहरादून ।
यह पुस्तकालय देश भर के लगभग 600 ब्रेल पाठकों के पढ़ने के लिये पुस्तकें निःशुल्क भेजता है ।

श्री हरिदास मूंदड़ा द्वारा आयकर की बकाया राशि

1195. श्री प्र० कु० घोष :
श्री कार्तिक ओरांओं :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री हरि दास मूँदड़ा की ओर अब कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इसे वसूल करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 3,12,29,131 रुपये

(ख) बकाया रकम की वसूली के लिए, अधिनियम में दिये गये सभी सम्भव उपाय किये गये हैं । इनमें सभी ज्ञात परिसम्पत्तियों का परिग्रहण भी शामिल है । कई परिसम्पत्तियों के मामले में परिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मुकदमे दायर किये गये हैं । अदालतों में चल रहे दावों का सरकार द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है और बकाया रकम की शीघ्र वसूली के लिए पूरी कोशिश की जा रही है ।

मजूरियों का स्थिरीकरण

1196. **श्री कं० हलदर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान राजनैतिक वातावरण में सरकार मजूरियों का स्थिरीकरण करने के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य-स्थिरता बनाये रखने के लिये क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) खाद्य वस्तुओं के मूल्य किस स्तर पर स्थिर किये जायेंगे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार इस बात को वांछनीय समझती है कि वर्तमान स्थिति में मजूरी में वृद्धि करने से बचा जाये।

(ख) और (ग) सरकार इस बात को भी मानती है कि यदि मजूरी में वृद्धि पर रोक लगानी है तो इसके साथ ही बढ़ते हुये मूल्यों को रोकना भी आवश्यक है। बजट, ऋण सम्बन्धी तथा अन्य नीतियों को इसी आधार पर बनाया गया है।

भारतीय विनियोजन केन्द्र (इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर)

1197. **श्री शशि रंजन** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विनियोजन केन्द्र के स्थान पर विदेशी विनियोजन बोर्ड बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और दोनों में क्या अन्तर है; और

(ग) यह परिवर्तन कब से होगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

* हिन्दुस्तान लैटेक्स, केरल

1199. **श्री श्रीधरण** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स, केरल में उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं

(ख) त्रिवेन्द्रम में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की फैक्टरी 1968 की तीसरी तिमाही तक उत्पादन शुरू कर देगी, ऐसी सम्भावना है।

बिहार में खनिज तथा धातुओं पर अकाल-शुल्क

1200. श्री प्र० कु० घोष :
श्री कार्तिक ओरांव :
श्री काशी नाथ पांडे :

क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने खनिजों तथा धातुओं पर 'अकाल-शुल्क' का अधिभार लागू करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्धा में मेडिकल कालेज तथा अस्पताल

1201. **श्री देवराव पाटिल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवाग्राम में गांधीजी की स्मृति को अमर बनाने के लिये वर्धा में एक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर मेडिकल कालेज तथा अस्पताल के किस तिथि को आरम्भ होने तथा पूर्ण होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, सेवाग्राम वर्धा के समीप सेवाग्राम में एक मेडिकल कालेज खोलने की सोच रही है । इस कार्य के लिए सोसाइटी को अधिक सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

नागपुर नगर का स्तर ऊंचा करना

1202. **श्री देवराव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा महाराष्ट्र सरकार की मांग है कि नागपुर नगर का स्तर ऊंचा किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नगर का स्तर ऊंचा करने का कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। नगर निवास पूर्ति भत्ते और मकान किराया भत्ते के निमित्त नागपुर शहर को उच्चत्तर बी- I श्रेणी में रखने के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। वर्तमान कसौटी के अनुसार नागपुर शहर के मामले में उच्चत्तर वर्गीकरण की शर्तें पूरी नहीं होती हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व

1203. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966-67 में उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : रकम लगभग 19,48,88,000 रुपये हैं।

उप महालेखापाल, उड़ीसा के कार्यालय का भुवनेश्वर में स्थानांतरण

1204. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-महालेखापाल, उड़ीसा के पुरी स्थित कार्यालय को पूर्ण रूप से हटा कर भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय में ले जाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन से सेक्सन अब भी पुरी में काम कर रहे हैं; और

(ग) उनको भुवनेश्वर नहीं ले जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

महालेखापाल, उड़ीसा के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

1205. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखापाल, उड़ीसा के कर्मचारियों के नवनिर्मित क्वार्टर कर्मचारियों के रहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ;

(ख) क्या इस कार्यालय के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या की तुलना में ये क्वार्टर अपर्याप्त हैं ; और

(ग) यदि हां, तो महालेखापाल, उड़ीसा के कार्यालय के सभी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आशा है कि भुवनेश्वर में इस समय बनाये जा रहे क्वार्टर सितम्बर 1967 तक तैयार हो जायेंगे।

(ख) और (ग) : निवास के लिए क्वार्टरों के निर्माण का काम क्रमयुक्त कार्यक्रम के अनुसार चालू है। वर्तमान निर्माण-कार्य पूरा हो जाने पर अन्य 256 क्वार्टरों के निर्माण का काम हाथ में लेने की योजना है।

कास्टिक सोडे का मूल्य

1206. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कास्टिक सोडे के मूल्यों में वृद्धि हो गई है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री रघु रमैया) : (क) जी हां। अक्टूबर 1966 से कास्टिक सोडे की विभिन्न किस्मों के कारखाने पर मूल्य, 64 रूपये प्रति मीटरी टन तक बढ़ गया है।

(ख) कास्टिक सोडे के मूल्य पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। उद्योग ने बताया है कि उत्पादन-लागत की वृद्धि मूल्य में वृद्धि का कारण है।

(ग) सरकार ने टैरिफ कमीशन को कास्टिक सोडे के लागत ढांचे की जांच करने और सही विक्रय मूल्यों की सिफारिश करने को कहा है। कमीशन के रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

घट परियोजना, मैसूर

1207. श्री मु० न० नाघनूर : क्या सिंचाई **और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के बेलगाम जिले में गोकाक तालुक में गाराप्रभा परियोजना कब आरम्भ की गई थी ;

(ख) अब तक सिंचाई की कितनी क्षमता बनाई गई है और कितनी क्षमता का विकास हुआ है ;

(ग) पानी सप्लाई करने की अवधि कितनी है ;

(घ) कब जलाशय बनाने का विचार है और वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ;

(ड़) इस परियोजना की लागत कितनी है ; और

(च) इस परियोजना के लिए वार्षिक खर्च के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है और चौथी पंच वर्षीय योजना की पूर्णावधि के लिए कितनी राशि नियत है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) घट-प्रभा परियोजना 1949 में शुरू हुई थी।

(ख) तीसरी योजना के अन्त तक 91,500 एकड़ सिंचाई शक्यता उत्पन्न की गई।

(ग) जब तक हिडकल संचय जलाशय बन नहीं जाता है तब तक वाम तट नहर चरण-1 केवल एक बरसाती नहर है।

(घ) परियोजना में परिकल्पित जलाशय निर्मित्त हो रहा है और परियोजना का निर्माण पाँचवी पंच वर्षीय योजना में अनुसूचित है।

(ड़) परियोजना की अनुमित लागत 1894 लाख रुपये हैं।

(च) मैसूर राज्य ने 1966-67 में इस परियोजना के लिए 46 लाख रुपये की पूँजी का प्रबन्ध किया। राज्य सरकार ने चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के लिए 1806 लाख रुपये का और 1967–68 के लिए 453 लाख रुपये के प्रबन्ध का प्रस्ताव रखा था। चतुर्थ योजना तथा 1967–68 का व्यय अभी तक तय नहीं हुआ है।

बरौनी में पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह

1208. श्री कामेश्वर सिंह
श्री श्रीधरण

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी में पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख) : बरौनी में बैंजीन और जाइलीनज के निष्कासन से सम्बन्धित एरोमैटिक्स परियोजना की एक सम्भाव्य अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है। यद्यपि इस रिपोर्ट में परियोजना के प्रथम चरण को 1971 तक पूरा करना है; किन्तु यह हो सकता है कि कार्यान्विति में देरी हो जाए क्योंकि परियोजना के साथ जुड़े हुए अनु-प्रवाह यूनिटों का ठीक ढंग से आयोजन करना पड़ेगा। यह अनुमान है कि परियोजना का प्रथम चरण 1972 में कार्य करना शुरू कर देगा।

मेसर्स ऐटलान्टिक रिचफील्ड कम्पनी को बरौनी में एक वैक्स क्रेकिंग यूनिट की स्थापना के लिए एक आशय पत्र दिया गया है परन्तु इसकी प्रगति शोधनशाला के लूब आयल प्लांट से नरम

मोम के मिलने पर और उसके किस्म पर निर्भर है। भारतीय तेल निगम ने पार्टी को अभी मोम के अपेक्षित नमूनों को नहीं भेजा है। नरम मोम के नमूने के प्राप्त होने एवं विश्लेषण के बाद ही आगे प्रगति हो सकती है।

उड़ीसा तथा राजस्थान में गृह-निर्माण-ऋण

1209. श्री घुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ओर से गृह-निर्माण ऋण के लिये अब तक पृथक-पृथक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :

(ख) सरकार ने कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये हैं; और

(ग) अब तक उन्हें कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)

(क)	राजस्थान	—	96
	उड़ीसा	—	159
(ख)	राजस्थान	—	69
	उड़ीसा	—	132
(ग)	राजस्थान	—	6,76,166 रुपये
	उड़ीसा	—	9,41,255 रुपये।

राजस्थान तथा उड़ीसा में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

1210. श्री घुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीर जी भाई :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में राजस्थान तथा उड़ीसा को गंदी बस्तियां हटाने के लिये क्रमशः कुल कितना धन दिया गया; और

(ख) वर्ष 1967-68 मे उक्त प्रयोजन के लिये राजस्थान तथा उड़ीसा को अलग अलग कितना धन देने का प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री इकबाल सिंह) : (क) क्योंकि इन दो राज्य सरकारों ने 1966-67 के दौरान गंदी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत किये गये खर्चे की कोई रिपोर्ट नहीं दी थी अतएव इन्हें उस वर्ष के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी।

(ख) राजस्थान सरकार ने 1967-68 के दौरान योजना के अन्तर्गत कोई व्यवस्था नहीं की है। अतएव वे इस वर्ष के लिए किसी भी केन्द्रीय आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं

होंगे। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, फिलहाल इस वर्ष के लिए 15 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रस्तावित है।

राजस्थान के लिए मंजूर सिंचाई तथा बिजली सम्बन्धी अनुसंधान योजनायें

1211. श्री घुलेश्वर मीना : श्री हीर जी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ल० प्रधानी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड ने राजस्थान में 1967-68 के दौरान कोई अनुसंधान योजनाएं मंजूर की अथवा मंजूर करने का सुझाव दिया।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) बिजली की समस्याओं से सम्बद्ध आधारिक तथा मूलभूत अनुसंधान स्कीम के अन्तर्गत 1967-68 वर्ष के दौरान राजस्थान को बिजली की निम्नलिखित समस्याओं को अलाट करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय जल तथा बिजली बोर्ड की सलाह से काफी विचार हो रहा है:—

(1) कलुषित तथा औद्योगिक वातावरण में मलिनता को पृथक करने के अथवा
(2) पारेषण पथ अवष्टम्भ अभिकल्प?
(3) उपरि पथों पर तडित का प्रभाव।
(4) उपरिपथों की कम्पन समस्याएं।

राजस्थान सरकार की सिंचाई तथा बिजली योजनायें

1212. श्री घुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ल० प्रधानी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार की कितनी सिंचाई और बिजली की योजनायें केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिये रुकी हुई हैं, उनमें लगने वाले धन तथा उनसे होने वाले लाभ का ब्योरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 492/67]

राजस्थान में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिए सहायता

1213. श्री घुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ल० प्रधानी :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को बाढ़ नियन्त्रण के लिये 1966-67 के दौरान कितनी सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) उन योजनाओं के क्या नाम हैं जिनको सहायता दी गई?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) राजस्थान सरकार को 1966-67 में स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिये दिये गये ऋणों की कुल राशि 1,31,34,000 रुपये हैं।

(ख) उपर्युक्त राशि में से 1,08,34,000 रुपये का ऋण घग्घर बाढ़ नियंत्रण स्कीम के लिये निर्धारित सहायता के रूप में दिया गया था। बाकी राशि योजना में शामिल अन्य सारी स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण स्कीमों पर लगाने के लिये स्वीकार की गई थी।

उड़ीसा में आय कर अपवचन

1214. श्री ल० प्रधानी : श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में इस समय कर अपवचन के कितने मामले निर्णयाधीन हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 15-5-1967 को 223.

उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश में सिंचाई योजनायें

1215 श्री ल० प्रधानी : श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका: श्री हीरजी भाई :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 700 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की राज्य-सरकारों द्वारा निर्मित सिंचाई की परियोजनाओं को, जो योजना आयोग के विचाराधीन थीं, अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया में तेलशोधक एवं स्नेहक तेल कारखाना

1216. श्री ल० प्रधानी : श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या पेट्रोल और रसायन मन्त्री 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 701 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या इस बीच में हल्दिया में एक तेल शोधक एवं स्नेहक तेल कारखाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कमला बांध में दरार

1217. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि बाबू बढ़ी के उत्तर में कमला बांध के पूर्वी किनारे में लगभग दो मील लम्बी एक स्थायी दरार छोड़ दी गई है जिसके कारण दसियों गांवों की हजारों एकड़ भूमि की फसल प्रति वर्ष बर्बाद हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो बांध की यह लम्बी दरार कब तक बन्द की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बालान, सोनी और घौरी नदियों के जल को कमला में मिलने देने के लिये कमला के पूर्वी तटबन्ध में मकुआ से बारही तक लगभग 6 मील की लम्बाई में तटबन्ध का निर्माण जानबूझ कर नहीं किया गया है ।

(ख) इस खाली जगह को भरने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसे तो कमला नदी पर तटबन्ध बनाते समय तकनीकी आधार पर जानबूझ कर खाली रखा गया था ।

वित्त मन्त्रालय का पुनर्गठन

1218. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उनका विचार अपने मन्त्रालय का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित पुनर्गठन के परिणामस्वरूप व्यय में कितनी बचत होने तथा कितनी कार्य कुशलता बढ़ने की आशा है ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) : समन्वय विभाग को समाप्त करने और वित्त मन्त्रालय के काम को वर्तमान चार सचिवों की अपेक्षा तीन सचिवों के अधीन वितरित करने का निर्णय किया गया है । दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में भी कमी की जायेगी । विषयों का पुनर्वर्गीकरण काम के आधार पर होगा इसलिए आशा की जाती है कि ऐसा करने से कार्य कुशलता बढ़ेगी । 1967-68 के शेष भाग में दो लाख रुपये से अधिक रकम की बचत होने की आशा है ।

Samadhis of National Leaders

1219. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to erect Samadhis of Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Bhagat Singh and Shri Chandra Shekhar Azad, the heroes of the Freedom Struggle;

(b) if so, the places proposed to be selected for the Samadhis and the time by which they would be erected; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) : Presumably, the member has in mind the erection of statues of leaders. Government do not initiate proposals for the erection of statues at public expense. Such proposals have to be sponsored by municipal bodies, non-Government organisations or individuals who have to bear all expenses in this regard. All proposals for statues in Delhi are first considered by a committee set up by Government who decide individual cases in the light of the committee's recommendations.

A proposal for the erection of a statue of Netaji Subhas Chandra Bose has been received from one Bharatiya Navyuwak Sangh but without any offer of finances. The Indian Revolutionaries Association, Allahabad have offered to pay for the erection or a statue of Sardar Bhagat Singh in the compound of the Parliament House. These proposals are still under the conside ation of Government. No proposal regarding a statue of Shri Chandrasekhar Azad has been received.

Uplift of Backward Classes

1220. **Shri Y.S. Kushwah** : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government have stopped financial aid to all the States for the uplift of the Backward Classes;

(b) If so, whether Government have reserved some posts in services and fixed some quota or percentage in small industries for the backward classes in place of the financial assistance; and

(c) If so, the details thereof ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise. Reservation of posts in services for Backward Classes is continuing as before.

कलकता में पकड़ा गया सोना और मुद्रा

1221. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता सीमा शुल्क विभाग ने 19 अप्रैल, 1967 को नगर (कलकत्ता) के बड़ा बाजार स्थित एक दुकान से लगभग 60,000 रुपये का सोना तथा 50 000 रुपये के नोट पकड़े थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है,

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 19-4-1967 को कलकत्ता सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कलकत्ता की मनोहरदास स्ट्रीट में एक दुकान की तलाशी ली तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाव से लगभग 19,682 रुपये (बाजार भाव से लगभग 40,000 रुपये) मूल्य का सोना और 51,076 रुपये मूल्य के भारतीय करेंसी नोट पकड़े ।

(ख) इस सम्बन्ध में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे तथा उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें पांच-पांच हजार रुपये की जमानत पर छोड़ दिया है। विभागीय न्याय-निर्णय के उद्देश्य से जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

बंगलोर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री से पकड़ी गई अफीम

1222. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलोर में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने 21 अप्रैल, 1967 को लखनऊ से सिकन्दराबाद-बंगलौर एक्सप्रेस द्वारा बंगलौर पहुंचने वाले एक यात्री से 6.000 ग्राम अफीम पकड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) ; (क) सूचना सही है, सिवाय इसके कि पकड़ी गई अफीम की मात्रा 6300 ग्राम है।

(ख) 22 अप्रैल 1967 को यह मामला रेलवे पुलिस बंगलौर को सौंप दिया गया था और 27 अप्रैल 1967 को, अभियुक्त को अफ़ीम अधिनियम की धारा 9 (क) और (ख) के अन्तर्गत अदालत द्वारा अपराधी ठहराया गया तथा उस पर प्रत्येक अपराध के लिये 500 रुपये जुर्माना किया गया और जुर्माना अदा न करने की हालत में प्रत्येक अपराध के लिये एक महीने की साधारण कैद की सजा दी गई, जो कि एक के बाद एक भुगतनी होगी। पकड़ी गई अफीम जब्त कर ली गई है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

1223. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री आर० के० सिन्हा :**
श्री राम किशन गुप्त : **श्रीमती सावित्री श्याम :**

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को धर्मार्थ समवाय के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे समाज कल्याण कार्य को तेज करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां ! विकल्पों में से एक यह भी सुझाव है कि समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को एक धमार्थ समवाय में बदल दिया जाय।

(ख) विचाराधीन सुझाव की मोटी रूपरेखाएं सदन के पटल पर रख दी गई हैं। [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 493/67]

(ग) बोर्ड के लिये कानूनी दृष्टि से एक दर्जा तय करने से समाज कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वन में सुधार आने की आशा है। दिन-प्रति-दिन के कार्य में बोर्ड को अधिक स्वायत्तता

मिल जायेगी तथा नये विचारों और परियोजनाओं सम्बन्धी प्रयोगों के लिये स्वाधीन होगा। बहुत से स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सक्रिय सहकार्य भी प्राप्त होगा। कानूनी दर्जा या स्थिति मिल जाने से जनता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी।

Electricity For Tube Wells

1224. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased tostate :

(a) the percentage quantity of electricity being supplied for running tube-wells and pumping sets at present in the country;

(b) whether in view of new seeds, manure and methods of cultivation, Government have made an assessment of the maximum requirement of tube-wells in the country and the kilowatts of electricity required for running them;

(c) if so, whether Government have drawn up any long term Master Plan under which all the tube-wells likely to be installed in the country would be energised; and

(d) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) No separate figures in respect of energy consumed for running tube-wells and pumping sets are available. However, about 6.9% of the total energy sold in the country during 1965-66 was utilized for agricultural purposes.

(b) The Fourth Five Year Plan envisages construction of :

(i) About 5,000 additional State tube-wells, of which about 4,000 may be run with electricity;

(ii) About one lakh private tube-wells of which about 50,000 may be worked with electricity; and

(iii) Installation of about 8 lakh pump-sets on dugwells and streams etc.

Energisation of these tube-wells/pump-sets will be covered mostly under the rural electrification programme. Adequate quantum of power would be available for the purpose in most of the States.

(c) No precise Plan for construction of tube-wells/installation of pumping sets beyond the period of the Fourth Five Year Plan has been worked out. Surveys and investigation for ground water, however, are being intensified during the Fourth Plan and the further development programme would be based on the results of these surveys and also to some extent on the performance during the Fourth Plan.

(d) Does not arise.

Rural Electrification in U.P.

1225. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the total assistance given to Uttar Pradesh Government for rural electrification and energisation of tube-wells during the last three years; and

(b) the number of villages and tube-wells supplied with electricity, with that assistance ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) The total Central loan assistance given to the Government of Uttar Pradesh for this purpose during the last three years is given below year-wise:—

Year		Central loan assistance
1964–65	..	Rs. 265.00 lakhs
1965–66	..	Rs. 591.79 „
1966–67	..	Rs. 1529.97 „
	Total	Rs. 2336.76 lakhs

(b) The Government of Uttar Pradesh, who were consulted in the matter, have furnished the following information:—

Number of Localities Electrified		Number of Private Tube-wells and Pumping Sets Energised
1964–65	2152	(Not available). However 4,554 private tube-wells were energised up to 31.3.65.
1965–66	671	4729
1966–67	110	19619
Total :	2,933	28,902

Scheduled Castes Employees In Gorakhpur Fertilizer Factory

1226. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the number of Class I, Class II, Class III and Class IV employees at present in the Gorakhpur Fertilizer Factory; and

(b) the number of Scheduled Castes employees among the above categories separately ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b) The required information is as follows :—

Class of post	Total No. of employees	No. of Scheduled Castes employees
I	95	Nil
II	41	1
III	653	8
IV	366	38
	Total : 1155	47

Gorakhpur Fertilizer Factory

1227. Dr. Mahadeva Prasad :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the progress made so far in the construction of the fertilizer factory, Gorakhpur; and

(b) that total amount spent so far ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) The Project is in an advanced stage of

construction both in regard to civil work and erection of plant and machinery. The Project is expected to be completed by November/December, 1967.

(b) The actual expenditure incurred on the Project upto the end of March, 1967 was Rs. 25.05 crores and commitments entered into but undischarged Rs. 5.32 crores.

Gorakhpur Fertilizer Factory

1228. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the total number of persons working in the Gorakhpur Fertilizer Factory at present;

(b) the number of persons out of them belonging to the Eastern Districts of Uttar Pradesh; and

(c) the number of workers to be employed by the time the factory goes into production ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) :

(a) 1428	Regular workers.
324	Daily-rated workers.
(b) 863	Regular workers.
312	Daily-rated workers
(c) About 1800	Regular workers.

अमरीका से आयात

1229. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक आयात को, विशेषकर अमरीका से, उदार बनाने के लिये जोर देता रहा है;

(ख) क्या आयात को उदार बनाने के परिणाम अब तक भारत के लिये सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसे रद्द करने का है।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। (ख) और (ग) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को आयातित कच्चे माल और मशीनी पूर्जों की मिलने वाली मात्रा में सुधार हो जाने से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा उर्वरकों, कीटनाशकदवाइयों के आयात को उदार बनाने से कृषि-कार्यों में सहायता मिली है। उदार आयात नीति लाभों पर ध्यान देते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि भारतीय हितों की रक्षा का ध्यान रखते हुए इस नीति को जारी रखा जाये। इस आशय का उल्लेख 25 मई के बजट भाषण के 21 वें पैरे में किया जा चुका है।

केन्द्रीय उपकरण पूल

1230. **श्री मती ज्योत्सिना चन्दा :**

श्री काशी नाथ पाण्डेय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार एक केन्द्रीय उपकरण पूल बनाया जा सके जिसमें विदेशी सहायता के अन्तर्गत उपकरण मंगाये जा सकें और परियोजना अधिकारियों को उपकरण 'न लाभ न हानि' आधार पर दिए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है और इस पर क्या लागत आएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु०ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) : स्कीम की मुख्य बात जैसी कि अस्थाई रूप से तय हुई है यह है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में स्थापित होने वाले केन्द्रीय सामग्री भण्डार के लिये मृदवाही तथा निर्माण सामग्री उपलब्ध की जाय जिसे राज्यों। सिंचाई परियोजनाओं को उधार पर दिया जाए। आवश्यकतानुसार उपस्कर एक योजना की जरूरत के पूरा होने के बाद दूसरे राज्य । परियोजना को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। लेकिन यह भण्डार उन परियोजनाओं की आवश्यकता पूर्ति नहीं करेगाजो किसी विदेशी ऋण के साथ संबद्ध हों। केन्द्रीय सामग्री भण्डार के लेखें को व्यापारिक आधार पर रखा जाएगा और इस योजना को इस ढंग से चलाया जाएगा जिससे इसे न तो कोई लाभ हो और न ही कोई हानि। किसी राज्य के कार्यक्रम की जांच उसे सामग्री उधार देते समय होगी, ताकि एक परियोजना के पूर्ण होने पर उपस्कर उसी राज्य की परियोजना को या दूसरे राज्य की अन्य परियोजना को आवश्यकतानुसार भेजा जा सके। प्रत्येक राज्य में स्थानीय और केन्द्रीय वर्कशापों द्वारा मशीनों को ठीक ठीक रखने, मरम्मत तथा पुनर्नवन के लिये उचित सुविधाएं दी जायेगी।

योजना के प्रचालन पर पांच साल में लगभग 55·43 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें आरंभिक फालतू पुर्जों और सामान के लिए 26.24 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है।

भण्डार की स्थापना का उद्देश्य यह है कि सिंचाई परियोजनाओं पर मृद्वाही और निर्माण मशीनिरी का प्रयोग और अच्छा हो जाए।

उतर प्रदेश में निर्माण-कार्य

1231. श्री काशी नाथ पांडे : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई तथा शिक्षा कार्यों के लिए किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये 4 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में कौन कौन से निर्माण-कार्य किये जायेंगे ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार निर्माण कार्यों के लिए इस प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करती। कृषि उत्पादन, छोटी सिंचाई और शिक्षा के कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए परिव्यय का निश्चय राज्य सरकारी द्वारा योजना आयोग की सलाह से किया जाता है। अपेक्षित निर्माण कार्य आदि कार्यक्रमो के ब्यौरे की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। केन्द्रीय सहायता का संबंध समस्त कार्यक्रमों से है।

स्वीडन के लिए चिकित्सक तथा गर्भरोधक उपकरण

1232. **श्री काशी नाथ पांडे** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन की सरकार ने उस देश से व्यापक परिवार नियोजन कार्य के लिये भारत सरकार से गर्भरोधक उपकरण तथा चिकित्सक मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में बात-चीत चल रही है।

पश्चिम बंगाल में आदिम जाति लोगों का कल्याण

1233. **श्री समर गुह** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल के बांकुरा तथा पुरुलिया जिलों के आदिम जाति क्षेत्रों में लगभग अकाल की सी स्थिति है ; और

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के निर्धन लोगों के सामाजिक कल्याण के लिये कोई योजना शुरू की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) इन क्षेत्रों के सूखा-ग्रस्त होने के समाचार सामने आये हैं।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी मंगाई जा रही है।

Excise Duty On Dyeing Of Knitting Wool

1234. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether any memorandum has been received by Government from the knitting wool dyeing industry regarding withdrawal of Central Excise duty on dyeing of knitting wool; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

बम्बई में अवैध सोने का पकड़ा जाना

1235. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के मैरिन प्रीवेंटिव डिवीजन के अधिकारियों ने 11 मई, 1967 को बम्बई में तस्कर व्यापारियों के एक गिरोह को डराने तथा 10 लाख रुपये के मूल्य का अवैध माल पकड़ने के लिये गोली चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : 12 मई, 1967 की बड़े सवेरे बम्बई के पश्चिम क्षेत्र में कैंडेल रोड से दूर समुद्र के किनारे पर उतारे गये चोरी छिपे लाये गये कुछ माल को पकड़ने के लिए बम्बई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता कार्यालय के समुद्री तथा निरोधक प्रभाग के अधिकारियों को हवा में गोली चलानी पड़ी थी। चोरी छिपे माल लाने वाले तो भाग निकले, लेकिन कैंडेल रोड पर एक मकान के सामने खड़ी की गयी एम्बेसेडर कार पकड़ ली गयी और उसकी तलाशी लेने पर कार में लगभग 9,50,000 रुपये मूल्य की 8,500 कलाई घड़ियां बरामद हुईं। मकान के आस-पास और समुद्र के किनारे पर और खोज करने पर लगभग 76,000 रुपये मूल्य की सिगरेट की छः पेटियां और लगभग 75,000 रुपये मूल्य की नायलन-सूत की 14 पेटियां पकड़ी गयीं।

(ग) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

साइक्लोसिरीन

1236 डा० संतोषम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साइक्लोसिरीन जैसी कुछ अत्यावश्यक प्राणदायक औषधियां, जो अन्य देशों में उपलब्ध हैं परन्तु भारत में उपलब्ध नहीं हैं, आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री डा० श्री चन्द्रशेखर : (क) और (ख) साइक्लोसेरीन आदि जैसी प्राणरक्षक औषधियां स्वयं आयात करने के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि इस समय दवाइयों के निर्माता तथा आयातक साइक्लोसेरीन अवेष्टित तथा तैयार औषधि के रूप में आयात कर रहे हैं।

इसी प्रकार, अन्य प्राणरक्षक औषधियों के जिनका उत्पादन अभी यहां शुरू नहीं हुआ है, आगे दवाइयां तैयार करने के लिए अवेष्टित रूप में आयात करने की अनुमति दे दी जाती है।

तवा सिंचाई परियोजना

1237. श्री नीति राजसिंह चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तवा सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण कब और किस ने किया था,

(ख) क्या उस समय पक्की चिनाई वाले बांध के स्थान पर पाई गई चट्टान की परीक्षा कर ली गई थी कि वह पक्की चिनाई वाले बांध की नींव के लिये उपयुक्त है या नहीं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो पूना में अब प्रयोग करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पक्की चिनाई वाले बांध का नमूना तैयार हो गया है तथा क्या उसे परियोजना इंजीनियरों को भेज दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

सिचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ला० राव) : (क) इस परियोजना का अनुसंधान केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा 1949-51 में किया गया था। धरातल सर्वेक्षण सर्वे आफ इण्डिया की सहायता से तथा भू वैज्ञानिक अन्वेषण ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया की किए गए। बाद में विस्तृत अभिकल्प बनाने के लिये 1957 के वर्ष में राज्य के जनकार्य विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण तथा अनुसंधान किये गए।

(ख) चट्टान के कुछ नमूनों की उनकी क्रशिंग शक्ति देखने के लिये जांच की गई और ऐसा पता चला कि नदी तल में लगभग 1400 फुट की लम्बाई में चट्टान चिनाई उमड़ मार्ग बनाने के लिये उपयुक्त थी। फिर भी कुछ और जांच की जानी थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जब चिनाई बांध के कुछ भाग के लिये नींव की खुदाई की गई तो पता चला कि नींव के कुछ भाग में चट्टान कमजोर रेतीले पत्थर की है जिसमें कोयले की सिलें हैं। इनके कई नमूनों की क्रशिंग शक्ति जानने के लिये जांच करने से पता चला कि चट्टान स्थल पर अपेक्षित ऊंचाई के चिनाई बांध की नींव के लिये कमजोर थी चूंकि ऐसी बड़ी संरचना के लिये खतरे को नहीं खरीदा जा सकता, इसलिये निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिक विस्तृत अनुसंधान आवश्यक समझा गया। केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना में ढाई-एकश्यल शियर टेस्ट, फोटो-इलास्टिक माडल टेस्ट आदि विस्तृत परीक्षण किए गये हैं, और वैकल्पिक डिजाईन पर कुछ और भी टेस्ट किये जाने हैं पूर्व इसके कि अधिक मितव्ययी तथा सुरक्षित अभिकल्प के बारे में निर्णय किया जाए। ऐसी अतिरिक्त जाँच कोई नई बात नहीं है क्योंकि नींव की खुदाई के समय नई बातें ध्यान में आती हैं।

(ङ) और (च) : सिंचाई व विद्युत उत्पादन के लिये अभिकल्पित 1184 पूर्ण जलाशय स्तर वाले एक बांध के लिये चिनाई तथा मिट्टी के भागों की विशिष्टियों के नक्शे केन्द्रीयजल तथा विद्युत आयोग द्वारा राज्य सरकार को 1963 में दिये गए। किन्तु राज्य सरकार ने फ़ैसला दिया कि मुख्यत: सिंचाई के लिये 1166 पूर्ण जलाशय स्तर का बांध बनाया जाए जिससे कुछ बिजली का उत्पादन भी होगा। कम की गई ऊंचाई के बांध के अभिकरण केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं और जल दाब फोटोइलास्टिक तथा दूसरी जांचों और अध्ययनों, जोकि सुरक्षित बांध को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं,के पूर्ण होने के बाद राज्य सरकारों को भेजे जाएंगे। इस कार्य को लगभग 6 महीने लगने की सम्भावना है।

चण्डीगढ़ में भवनों का किराया

1238. **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पंजाब तथा हरियाना सरकारों द्वारा काम में लाये जाने वाले भवनों के लिए कोई किराया निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकार ने अब तक कितना किराया दिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ख) : जी नहीं। मामला विचाराधीन है।

रिहाण्ड और हीराकुड परियोजनाओं से मध्यप्रदेश के लिए बिजली

1239. **श्री जी० एस० मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरप्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारें क्रमशः रिहाण्ड और हीराकुड परियोजनाओं से मध्यप्रदेश सरकार को सम्मत दरों पर पर्याप्त बिजली दे रही है जैसा कि निर्माण कार्य आरम्भ करते समय समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस मामले में अन्तर्राज्यीय विवाद को हल करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी तक मध्यप्रदेश को रिहन्द अथवा हीराकुड परियोजना से बिजली नहीं दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश दोनों ने यह मान लिया है कि रिहन्द से बेची जाने वाली बिजली का 15% भाग मध्यप्रदेश को दिया जाएगा । इस सप्लाई की दर के बारे में भी समझौता हो गया है । उत्तरप्रदेश/मध्यप्रदेश सीमा से मोर्वा (म०प्र०) तक पारेषण पथ तैयार है । उत्तरप्रदेश में रिहन्द से सीमा तक पारेषण पथ निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है । इस भाग के सितम्बर, 1967 तक पूरा होने की सम्भावना है जब कि मध्यप्रदेश को रिहन्द से बिजली मिलनी आरम्भ हो जायेगी ।

जहां तक हीराकुड से मध्यप्रदेश को बिजली देने का संबंध है, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश की सरकारें 5 मैगावाट बिजली देने को सहमत हो गई हैं । मध्यप्रदेश में उड़ीसा/मध्यप्रदेश सीमा से रामगढ़ तक पारेषण पथ के मार्च, 1968 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । मध्यउड़ीसा में ब्रजराजनगर से सीमा तक पारेषण पथ अभी बनाया जाना है । बिजली सप्लाई की दर के बारे में बातचीत हो रही है और इस सम्बन्ध में शीघ्र फैसला होने की सम्भावना है ।

हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी, मिर्जापुर और मध्यप्रदेश सरकार को दी गई बिजली की दरें

1240. **श्री जी० एस० मिश्र** ; क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरप्रदेश बिजली बोर्ड, मिर्जापुर स्थित हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी को किस दर पर बिजली दे रहा है और मध्यप्रदेश सरकार को किस दर पर बिजली देता है;

(ख) क्या दोनों दरों में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) रिहन्द प्रणाली से हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कार्पोरेशन को निम्नलिखित दरों पर बिजली थोक में सप्लाई की जा रही है ।

(1) प्रथम 55 मैगावाट की अधिकतम मांग के लिए	1.997 पैसे/यूनिट
(2) अगले 45 मैगावाट की अधिकतम मांग के लिए	3·506 पैसे/यूनिट किन्तु कोयले के मूल्य का समायोजन करना होगा।

मध्यप्रदेश को अभी हिन्द प्रणाली से कोई बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चेचक का टीका

1241. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चलाये गये चेचक विरोधी आन्दोलन में सहायता करने के लिए रूस ने चेचक का टीका देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने टीके देने का प्रस्ताव किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) रूस सरकार ने अब चेचक की जमा कर सुखाई गई वैक्सीन की 10 करोड़ मात्राएं प्रति वर्ष देने का प्रस्ताव किया है। चालू वर्ष में 66 लाख मात्राएं अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं। पिछले वर्षों में रूस सरकार ने 25 करोड़, 20 करोड़ तथा 20 करोड़ की तीन किश्तों में 65 करोड़ मात्राएं दी थीं।

ESTATE DUTY

1242. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Finance be pleased to state : (a) the number of major erstwhile princely States from whose successors estate duty is at present due afterthe death of the former rulers;

(b) the number of such rulers after whose death, applications from their successors were received by Government for declaring property left by them as family property;

(c) the amount received by Governmental estate duty from the successor of Maharaja of Gwalior after his death and the amount still outstanding from him as estate duty; and

(d) the amount of recovery at present outstanding from successors, the mode of recovery proposed by Government and the time by which this money would be recovered ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय, ओखला के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1243. **श्री मनोहर लाल सोंधी :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला औद्योगिक बस्ती में स्थित ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय, औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ओखला औद्योगिक बस्ती में स्थित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को सम्पदा निदेशालय (डायरेक्टोरेट आफ ऐस्टेट्स) से क्वार्टर मिलते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि जुलाई, 1962 में सम्पदा निदेशालय ने यह घोषित किया था कि ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारियों को भी भविष्य में क्वार्टर दिये जायेंगे; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारियों को सम्पदा निदेशालय वर्तमान नियमों के अनुसार क्वार्टर क्यों नहीं देता ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उन सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को जिनका दिल्ली में स्थान, वास परामर्शदात्री समिति (एकमोडेशन एडवाइजरी कमेटी) के द्वारा अनुमोदित हो चुका है तथा आवंटन नियमावली के अनुसार जो अन्यथा सामान्य पूल वास के पात्र हैं उन्हें अपनी पारी पर वास आवेटित किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) दिल्ली में ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय का स्थान वास परामर्शदात्री समिति (एकमोडेशन एडवाइजरी कमेटी) के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, जो कि सामान्य पूल वास के आवंटन के पात्र होने की पूर्व-निर्धारित शर्त है।

बांध बनाने के लिए अनुदान

1244. **श्री अगाड़ी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा, तुंगभद्रा, नागार्जुनसागर, ऊपरि कृष्णा और शारावती परियोजनाओं के लिए इनके आरम्भ से लेकर अब तक वर्षवार कितनी धन-राशि ऋण और या अनुदान के रूप में दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। (पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 495/67]

BARRAGE OVER JAMUNA

1245. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whethe Government are aware of the acute scarcity of water in Eastern and Westernr Canals of the Jamuna which is used for irrigation in Haryana and Meerut-Muzaffarpur District of Uttar Pradesh;

(b) if so, whether any scheme to construct a barrage over Jamuna is under consideration; and

(c) it so, the details thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes. There is inadequacy of water for use in East and West Yamuna Canals.

(b) and (c) : A barrage and a storage reservoir are under contemplation but the details will be available only after the investigations are over and Project reports prepared.

मद्रास में अवनाशी नहर योजना

1246 श्री नंजा गौंडर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में अवनाशी नहर योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) मद्रास सरकार ने अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में अवनाशी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के प्रबन्ध के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव रखा था। स्कीम की अनुमित लागत 430.4 लाख रुपये बताई गई थी। परन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

T. B. PATIENTS IN DELHI

1247. **N. S. Sharma** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of T. B. patients in Delhi is about 21,000;

(b) whether it is also a fact that the number of beds for these patients in local hospitals is about 1,5000;

(c) if so, whether Government propose to increase the capacity of these hospitals;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the total number of such patients who are being given O. P. D. treatment for the last six years ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) ; (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

(e) The number of patients given treatment during the last six years is as follows :--

1961	--	7631
1962	--	8702
1963	--	8686
1964	--	10821
1965	--	11431
1966	--	18948
Total :		66,219

RIHAND HYDEL PROJECT

1248. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Irrigarion and power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rihand Hydel project is facing a crisis due to drought in Mirzapur district of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Power generation at Rihand has been adversely affected due to the poor monsoon last year.

(b) Substantial relief has been arranged from the neighbouring DVC power system which has been exporting about 1·5 million units per day on an average to the Rihand power system. Efforts have also been made to generate maximum power output at existing small thermal stations and to expedite commissioning of new thermal installations at Obra and Panki. Cuts on consumption of power by large industrial units have also been imposed.

परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन बोनस

1249. **श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री ओंकार सिंह :**
श्री न० कु० साधी : **श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन दम्पतियों को जो अपने परिवार को अधिक से अधिक दो बच्चों तक सीमित रखने का आश्वासन दें, प्रोत्साहन बोनस देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) (क) और (ख) जी नहीं। सरकार ने केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् के सुझाव पर एक समिति का गठन किया है जिसका नाम लघु परिवार प्रेरणा समिति है। यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को 30 सितम्बर 1967 तक प्रस्तुत कर देगी। उसके बाद इस समिति के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

उर्वरक कारखानों के लिये इटली से ऋण

1250. **श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री प्र० के० देव :**
श्री न० कु० सांघी : **श्री डी० एन० देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री विश्व नाथ पाण्डेय : **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में उर्वरक कारखानों के लिये ऋण लेने के सिलसिले में इटली की सरकार से बातचीत कर रही है;

(ख) क्या अन्तिम रूप से बातचीत हो चुकी है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऋण किन कारखानों के लिये मांगा जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) (क) से (ग) : जी हाँ। बरौनी और नामरूप (विस्तार) उर्वरक परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ऋण प्राप्त करने के लिए, इटलीसरकार के साथ सिद्धान्त रूप में अब करार हो गया है।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रक्रिया)
CALLING ATTENTION NOTICES (PROCEDURE)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री स० मो० बनर्जी अपनी ध्यान दिलाने वाली सूचना के विषय में बोलेंगे। छटनी के बारे में एक सूचना को स्वीकार कर लेने के पश्चात् कल शाम मुझे एक और ध्यान दिलाने वाली सूचना प्राप्त हुई। जिस सूचना को स्वीकार किया गया है वह मुझे दो दिन पहले प्राप्त हुई थी। कल और भी बहुत सी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। शायद डा० मेलकोटे ने यह सूचनाएं दी थीं या किसी और ने दी थीं। क्योंकि इस सूचना को स्वीकार किये हुए दो दिन बीत चुके थे। इसलिये इसमें और नाम नहीं जोड़े जा सके। मेरे विचार में अब वे माननीय सदस्य अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दे सकते हैं। इसके बाद हम मंत्री महोदय से इस बारे में बातचीत करेंगे।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : एक बार जब इसी प्रकार का प्रश्न पहले प्रस्तुत किया गया था तो मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार ही नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है कि यह मंत्री महोदय पर निर्भर करता है कि वह उत्तर दें या न दें। वास्तव में बात इतनी है कि ये सूचनाएं कल शाम को मुझे मिली थीं और इन सदस्यों के नाम इस सूचना में नहीं जोड़े जा सके मैं तो केवल उनकी सहायता के लिये कह रहा हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : आप उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज्ञा दे सकते हैं।

श्री पं० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : अल्प सूचना प्रश्न के स्थान पर आधे घण्टे की चर्चा की आज्ञा दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी नियमों का अध्ययन किया है। आधे घण्टे की चर्चा उस विषय पर होती है जिसके सम्बन्ध में किसी प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका हो इस लिये ध्यान दिलाने वाले विषय पर आधे घण्टे की चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : क्या आप हमें इस विषय में कुछ प्रश्न पूछने की आज्ञा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में पृथक रूप से चर्चा करना ठीक रहेगा।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यदि और प्रश्न पूछे जाने हों तो इसके लिये 2.30 बजे का समय उपयुक्त रहेगा क्योंकि उस समय तक अन्य प्रश्नों से सम्बन्धित सामग्री मुझे उपलब्ध हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना को निपटायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी कानपुर : इस सूचना में मैंने लिखा था कि 2000 व्यक्तियों की नौकरी समाप्त हो रही है। अब तक तो उनकी नौकरी समाप्त हो गई होगी। डा० मेलकोट के लिये मेरे मन में बहुत आदर है परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि यहां किसी प्रकार की द्वेष भावना का जन्म हो। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इण्डियन नेशनल डीफेन्स वर्कर्स फेडरेशन के नाम का उल्लेख कर के एक पक्षीय होने का प्रमाण दिया है। उन्होंने हमारी फेडरेशन का नाम ही नहीं लिया जो वास्तव में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : यह हम पर आरोप लगा रहे हैं। हमारा सम्बन्ध किसी श्रमिक संगठन से नहीं। हम इस सभा के सदस्य हैं और हमें ध्यान दिलाने वाली सूचना द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने का अधिकार है। अतः आप हमारी सूचना पर भी अवश्य ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह सूचना मुझे दो दिन पहले प्राप्त हुई थी और अब इस में और नाम नहीं जोड़े जा सकते। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

प्रतिरक्षा कर्मचारी की प्रस्तावित छंटनी

श्री स० मो. बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

दिल्ली, बंगलौर, पूना और अन्य स्थानों पर स्थित विभिन्न प्रतिरक्षा स्थापनाओं में 1 जून, 1967 से दो हजार से अधिक प्रतिरक्षा श्रमिकों की प्रस्तावित छँटनी"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 1965 में थल सेना हैड क्वार्टर ने थल सेना में गैर लड़ाकू सैनिकों की अधिकृत संख्या शक्ति पर पुनः विचार करने के लिए स्थिति का अध्ययन किया। भारतीय थल सेना के लड़ाकू सैनिकों में अपनी सहायता आप करने की भावना पैदा करने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन–दल ने गैर लड़ाकू सैनिकों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछ सिफारिशें कीं। इस सिफारिशों के प्रकाश में सरकार ने कुछ निर्णय लिए, जिन में अन्य बातें के साथ भिस्तियों के पद समाप्त किए जाने और थल सेना की यूनिटों और विरचनाओं में जमादारों (स्वीपरों) की अधिकृत संख्या को कम करने की बात निहित थी। 13 अगस्त, 1966 को जारी किए गए सरकारी आदेशों में यह निर्णय समाविष्ट थे।

उपर्युक्त निर्णयों के अनुकूल बहुत से गैर–लड़ाकू (बिना भरती किए हुए) सैनिकों की छटनी के विरुद्ध अक्तूबर 1966 में कुछ संसद सदस्यों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए। उन प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने नवम्बर 1966 में यह निर्णय किया कि अगस्त 1966 में जारी किए गए आदेशों को 31 मार्च 1967 तक कार्यान्वित न किया जाय, और विभिन्न रक्षा–प्रतिष्ठानों में मजदूर, चौकीदार आदि जैसे अकुशल श्रमिक श्रेणियों में उपलब्ध रिक्त स्थानों में फालतू कर्मचारियों को खपाने का हर प्रयत्न किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय किया गया कि जिन कर्मचारियों को पहले ही विमुक्त किया गया है उन्हें पुनः नौकरी पर तब बुलाया जाय, अगर वे कहीं और नौकरी पर न लग गए हों या फिर अपने पहले वाले पद पर वापिस आ जाना चाहते हों। इस सम्बन्ध में 24 दिसम्बर 1966 को आवश्यक आदेश जारी किए गए।

28 मार्च, 1967 को रक्षा मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध में आगे हुई बातचीत के परिणाम–स्वरूप, सरकार ने यह निर्णय किया कि उनके अगस्त 1966 के आदेशों को पहली अप्रैल 1967 से और दो महीनों तक कार्यान्वित न किया जाय।

अप्रैल–मई 1967 में थल सेना हैडक्वार्टर के सहयोग में मूल निर्णय का भी पुनरीक्षण किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि अगस्त 1966 में जो कदम उठाये गये थे वे उचित थे और वैसे ही बने रहेंगे।

अगस्त 1966 से 5,683 फालतू कर्मचारियों को वैकल्पिक पदों में यथा सम्भव रूप से पुन. नौकरी पर लगाने के सभी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, 13 मई 1967 की स्थिति के अनुसार पुनः नौकरी पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या घट कर 1,973 थी। जिन व्यक्तियों ने वैकल्पिक रोजगार लेने से इन्कार किया था उन्हें नौकरी से विमुक्त किया गया है।

Shri S. M. Banerjee : The reason for abolition of posts of sweepers and water carriers has been given that it has been done with a view to inculcate the spirit of self help among the Jawans. It has been stated that as a result of extension of period upto Ist April 1967, the number of persons facing retrenchment has been reduced from 5683 to 1973. Whether it is a fact that Ministry of Finance were approached in order to get further extension of time so that rest of the persons are also absorbed ? If so why Ministry of Finance have not issued sanction to this effect as a result of which these persons are being retrenched. Out of 1973 persons on one has got any alternative job.

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस सभा के दोनों ओर के माननीय सदस्य खर्च में कमी करने के बारे में तर्क देते हैं। खर्च में कमी तो तभी हो सकती है यदि फालतू कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाये। प्रतिरक्षा विभाग में यदि कुछ कर्मचारी फालतू होंगे तो उन्हें निकालना ही पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Why not officers ? The number of officers is being increased.

श्री मोरारजी देसाई : यद अधिकारी फालतू होंगे तो उनकी भी छटनी की जानी चाहिये। एक ओर तो मुझे छटनी के लिये कहा जाता है और दूसरी ओर माननीय सदस्य कहते हैं कि इन लोगों को बिना काम के रखा जाये और वेतन दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रतिरक्षा मंत्री इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ कि क्या इन कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरियां मिल गई हैं ? माननीय वित्त मंत्री तो बीच में ही बोल पड़े।

श्री मोरारजी देसाई : यदि माननीय सदस्य ने यह न कहा होता कि वित्त मंत्रालय ने क्यों इनकार किया तो मैं बीच में नहीं बोलता।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अपने वक्तव्य में बताया था कि छंटनी से कितने लोग प्रभावित होंगे। 5683 व्यक्तियों को हमने पेशकश की थी। परन्तु उनमें से कितने व्यक्तियों ने उसे स्वीकार किया है, उनके आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह ध्यान दिलाने वाली सूचना ब्योरे सहित दी गई थी। मंत्री महोदय अब कहते हैं कि यह काम बहुत जल्दी से किया गया था। यह कार्य उनके मंत्रालय में छः महीने तक चलता रहा। मुझे सब पता है क्योंकि मैं आल इन्डिया डीफेंस एम्पलाइज फेडरेशन का प्रधान हूँ। मैं इस सम्बन्ध में आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष महोदय : इसमें विनिर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : यह एक गम्भीर मामला है। 2000 व्यक्तियों को नौकरी से हटाये जाने का प्रश्न है। इसका उत्तर तो दिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : When Gopalaswamy Ayyangar was Defence Minister, there was an agreement signed between labour union and the Government that in case of retrenchment of any worker, alternative job of same standard and in the same scale will be provided. Whether this agreement is going to be declared as invalid, I would also like to know the details of alternative jobs provided to these persons.

श्री स्वर्ण सिंह : जिस इकरारनामे का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। परन्तु इस प्रकार के मामले में उसी स्तर के पद की पेशकश कैसे की जा सकती है। क्योंकि छटनी किये गये बहुत से व्यक्तियों में से तो पानी ढोने वाले हैं और अब ये स्थान फालतू है। अब पानी ढोने वाले व्यक्ति के लिये पानी ढोने वाले पद की खोज करना असंभव है। अन्य वैकल्पिक पद उपलब्ध करवाने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा परन्तु किसी भी प्रशासन के लिये इस प्रकार का वचन देना सम्भव नहीं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की छंटनी होगी उसे उसी वेतन पर कोई अन्य नौकरी मिल जायगी। मुझे खेद है कि मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकता।

Shri Madhu Limaye :The agreement that I mentioned was about alternative jobs and I wanted to know whether such an agreement is in existence or not. If it is there, whether it has been implemented. The Hon'ble Minister says that he has no information about such an agreement. He should collect this information and then inform the House. The other thing that I asked was the number of such retrenched persons who have got the alternative jobs in the same scale of pay and whether their service will be considered as continued service.

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने इस सम्बन्ध में श्री बनर्जी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कितने व्यक्तियों को वैकल्पिक पद की पेशकश की गई उनकी संख्या मुझे मालूम नहीं क्योंकि यह काम सारे देश में हुआ था और थोड़ी सी कालावधि में वह सूचना एकत्रित नहीं की जा सकती। जहां तक सेवा का जारी रहने का सम्बन्ध है, सेवा जारी नहीं रह सकती क्योंकि छटनी के बाद वैकल्पिक नौकरी को प्राप्त करने में समय लगता है।

Shri S. M. Joshi (Poona) : On a point of order, Sir. My friend Shri Madhu Limaye has stated that there was an agreement between labour union and Government. I was General Secretary of the Federation at that time. There is a provision of equivalent job in the agreement. In the past 6,000 persons were retrenched and they were provided with equivalent jobs and where the equivalent jobs could not be provided, pay protection was given. The question of Shri Limaye was that in case a retrenched person has been provided with equivalent job whether his pay remains the same or it starts from the bottom of pay scale.

श्री अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि इस समस्या का मैत्रीपूर्ण ढंग से 10 दिन के अन्दर कोई समाधान नहीं हुआ तो उनके निवास स्थान को घेर लिया जायेगा और उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जायेगा। यह कोई धमकी नहीं। यह सच बात है, हम इसकी व्यवस्था करते जा रहे हैं।

श्री मोरारजी देसाई : क्या 'घेराओ' की अवैध रूप से धमकी देना संसदीय अभिव्यक्ति है ?

श्री स० मो० बनर्जी : सारे देश में पानी ढोने वाले और मेहतर नौकरी से वंचित किये जा रहे हैं। यह उप प्रधान मंत्री क्यों बने हैं ? यह फालतू पद है. इसे समाप्त कर देना चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य को पता नहीं कि उपप्रधान मंत्री इस पद के लिये कोई अतिरिक्त वेतन नहीं पाते।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु उन्हें विशेषाधिकार तो प्राप्त हैं।

श्री हनुमन्तटया (बंगलौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह प्रथा लोकतंत्र के अनुरूप है कि किसी विषय पर तर्क देने की बजाय मंत्री महोदय को धमकी दी जाये। कई बार माननीय सदस्य कहते हैं कि उन पर दबाव डाला जाता है या धमकियां दी जाती हैं और जब वे स्वयं धमकियां देने लगे (व्यवधान)

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हम 'घेराओ' के पक्ष में नहीं क्योंकि हम समझते हैं कि इस प्रकार का सुझाव नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष महोदय : 'घेराओ' शब्द की अभी कोई परिभाषा निर्धारित नहीं की गई। परन्तु कुछ भी हो, सभा मे किसी प्रकार की धमकी देना अनुचित है।

श्री स० मो० बनर्जी : 'घेराओ' शान्तिपूर्ण होगा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हम घेराओ के पक्ष में नहीं। वह अपनी ओर से अथवा अपने दल की ओर से कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आपने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'घेराओ' की परिभाषा अभी निर्धारित नहीं की गई। यदि परिभाषा निर्धारित नहीं हुई हो तो उपप्रधान मंत्री को अवैध नहीं कहना चाहिये, बल्कि उसकी परिभाषा निर्धारित करनी चाहिये।

मंत्री महोदय के वक्तव्य में कहा गया है कि इस बात का निश्चय किया गया था कि जिन व्यक्तियों की छटनी कर दी गई है, यदि वे किसी काम पर पुनः नियुक्त नहीं हुए और वे अपने मूल पदों पर वापिस आने के इच्छुक हैं तो उन्हें वापिस बुलाया जा सकता है और इस विषय में 24 दिसम्बर, 1966 को अनुदेश जारी किये गये थे। इस वक्तव्य के अन्त में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों ने ये वैकल्पिक पद स्वीकार नहीं किये उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 24 दिसम्बर, 1966 वाली पेशकश को वापिस क्यों ले लिया गया और जो लोग मूल पदों पर वापिस आने के लिये इच्छुक है उन्हें क्यों नहीं बुला लिया जाता ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अपने वक्तव्य में बताया था कि सरकार ने नवम्बर के महीने में यह निश्चय किया था कि 24 अगस्त 1966 को जारी किये गये आदेशों की कार्यन्विति 31 मार्च, 1967 तक स्थगित कर दी जाये और विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में अकुशल श्रमिक श्रेणियों में उपलब्ध रिक्त स्थानों में फालतू कर्मचारियों को खपाने का हर संभव प्रयत्न किया जाये। यह भी निर्णय किया गया कि जिन कर्मचारियों को पहले ही विमुक्त किया गया है, उन्हें नौकरी

पर तब बुलाया जाये, यदि वे कहीं और नौकरी पर न लग गये हों या फिर अपने पहले वाले पद पर वापिस आ जाने चाहते हों क्योंकि छटनी का काम कुछ महीनों के लिये अर्थात् 31 मार्च, 1967 तक स्थगित कर दिया था। इसलिये यह रियायत उन व्यक्तियों को उपलब्ध थी जिनकी छटनी उसी कालावधि के दौरान की गई थी। बाद में यह कालावधि 31 मई, 1967 तक बढ़ादी गई थी। वर्तमान स्थिति यह है कि इन पदों को जारी रखने के बारे में कोई आदेश नहीं। अब तो बढ़ी हुई कालावधि का भी अन्त हो गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फालतू व्यक्तियों की संख्या 1973 बताई गई है। वैकल्पिक नौकरियों के मिलने तक उन्हें मूल पदों पर ही क्यों नहीं रखा जाता।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को हम उसी नाम से पुकारते हैं जो ब्रिटेन वालों ने हमें बताये थे। मंत्री महोदय इन पदों के नाम बदल कर हमें बता देते कि वे वास्तव में कौन से कर्त्तव्य विशेष का पालन कर रहे हैं। उससे हमें स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे विचार में नियमों में संशोधन करना चाहिये जिससे सदस्य अव्यवस्था के प्रश्न भी उठा सकें।

अध्यक्ष महोदय : इस पर नियमों सम्बन्धी समिति विचार कर सकती है। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यवस्था के सभी प्रश्नों के उत्तर अध्यक्ष द्वारा दिये जायेंगे, न कि मंत्री द्वारा।

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रतिरक्षा मंत्री की यह बात ठीक नहीं है कि खर्च में कमी के कारण वे छंटनी करते हैं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री अथवा वित्त मंत्री ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या इन प्रशिक्षित लड़ाकू जवानों से मेहतर का काम या पानी ढोने का काम करवाने से कम खर्च होता है अपेक्षाकृत असैनिक व्यक्तियों के

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं।

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : दुर्भाग्यवश जब भी सरकार प्रशासन के खर्च में कमी करने के बारे में सोचती है तो काम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से आरम्भ होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रतिरक्षा अथवा वित्त मंत्री ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या इन व्यक्तियों की छटनी करने से और इनका काम लड़ाकू योद्धाओं से लेने से इन लड़ाकू जवानों की कार्य-कुशलता पर उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता। अम्बाला में अमर परियोजना के अन्तर्गत जब जवानों ने मकानों का निर्माण किया था तो उनकी कार्यकुशलता पर उसका प्रभाव पड़ा था।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक विभाग में 20 वर्ष तक कार्य करने के बिना वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था के पश्चात् इन 7 व्यक्तियों की छटनी क्यों की जा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन सब प्रकार की कठिनाइयों को जानते हुए भी सैनिक अधिकारियों ने इस छटनी की सिफारिश की थी। उनका कहना है कि उन्होंने सेना में अपनी सहायता प्राप्त करने की भावना पैदा करने के लिये यह सिफारिश की है। हमें इस सिफारिश में दोष निकालने की बजाये इसका स्वागत ही करना चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि इन कर्मचारियों ने इतने वर्षों तक सेवा की है इसलिये सरकार उन्हें अन्य दूसरी नौकरियाँ अवश्य दे। सरकार ने इस प्रकार का वचन कभी भी नहीं दिया और यदि ऐसा कोई वचन दिया भी जाये तो उसे पूरा करना बहुत कठिन है।

Shri Buta Singh (Rupar) : Just on a point of order. There is a provision under the Constitution for the employment of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. Now they are being retrenched in large numbers. My request is that they should be absorbed in some other ministries.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : गत मास की 12 तारीख को मैंने अधीनस्थ विधान समिति में छटनी के बारे में एक प्रश्न उठाया था। रक्षा मन्त्री ने समिति को बताया था कि वह छटनी के मामले को स्थगित करने पर विचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : I would like to know whether the hon. Defence Minister requested Finance Minister for retaining the said persons in service even after 31st May and if so, the reply of the Finance Minister there to ?

(श्री स्वर्ण सिंह) : वित्त मंत्री के परामर्श से ही अवधि में दो बार वृद्धि की गई थी अर्थात् एक बार 31 मार्च तक तथा दूसरी बार 31 मई तक।

श्री स. कुण्डू (बलासोर) : क्या यह सच है कि अध्ययन दल ने विशिष्ट मामलों की छंटनी की सिफारिश नहीं की ? क्या यह भी सच है कि वायु सेना तथा नौसेना ने इस छंटनी पर कड़ी आपत्ति की है ? क्या यह सच है कि सरकार छंटनी के प्रतिकर के रूप में कुछ देने वाली नहीं है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक मजदूरों को आमतौर पर मिलता है ? इस बात को देखते हुए कि इन लोगों ने पाकिस्तान तथा चीन के साथ संघर्ष के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया था तथा मानवीय सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री इन लोगों की जो कि अधिकतर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, छटंनी नहीं करेगी।

श्री स्वर्णसिंह : सेना के अधिकारियों की सिफारिश पर ही यह निर्णय किया गया है अध्ययन दल ने विशेषरूप से सिफारिश की थी कि 'पानी ले जाने' वालों के पदों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य बातों की भी सिफारिश की थी।

छंटनी के नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले सभी लाभ उनको दिये जायेंगे।

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : अधिकारियों के मेस में प्रत्येक छः अधिकारियों के लिए चार नौकर हैं जबकि जवानों के लिए प्रत्येक एक सौ जवानों के लिए केवल दो नौकर हैं। यह भेदभावपूर्ण व्यवहार है। सैनिकों को संघ तथा संस्थाएं बनाने की भी मनाही है। उनको संघ बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा सेना अधिनियम के अन्तर्गत उनको सभी लाभ उपलब्ध किये जाने चाहिए। उक्त निर्णय से 10,000 परिवार प्रभावित होंगे अतः सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि इन लोगों की छटनी नहीं की जायेगी।

श्री स्वर्ण सिंह : अध्ययन दल की सिफारिशों पर ही इन लोगों की छंटनी की जा रही है। उनको अन्य नौकरियां दिलाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। मुझे उन लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है, उनको रोजगार दफ्तर में प्राथमिकता दी जायेगी।

[सभापटल पर रखे गये पत्र PAPERS LAID ON THE TABLE]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं:—

(ए) जी० एस० आर० 728 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 729 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 754 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 778 जो दिनांक 25 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 485/67]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 29 वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 730 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 30 वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 731 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जी० एस० आर० 732 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 8 अक्टूबर 1966 की जी० एस० आर० 1557 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 486/67]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 16 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 747 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 486/67]

[कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE]

दूसरा प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से जो सभा में 31 मई, 1967 को उपस्थापित की गई थी, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से जो सभा में 31 मई, 1967 को उपस्थापित की गई थी, सहमत है"

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I would like to request you that the copies of the report may be circulated to the Members. I would also like to know whether the business in the House will be taken strictly according to the schedule mentioned in the report or some changes will be made ?

Dr. Ram Subhag Singh : We will try to stick to the schedule but some changes might be made to the convenience of the Ministers as has been requested by them. Changed dates will be announced in few days.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Whatever changes are intended to be made they may be made immediately so that Members may be able to chalk out their programme accordingly.

The House should not sit on Saturday as has been suggested by some quarters.

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की है कि शनिवार को सभा नहीं बैठेगी। अब प्रश्न यह है

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो सभा में 31 मई 1967 को उपस्थापित की गई थी सहमत है।"

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
THE MOTION WAS ADOPTED]

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे म. प. पुनः समवेत हुई।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT FOURTEEN HOUSE OF THE CLOCK.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair }

रेलवे आय व्ययक 1967-68 सामान्य चर्चा
RAILWAY BUDGET 1967-68 GENERAL DISCUSSION

श्री अ० दीपा (फूलबनी) : चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और उड़ीसा राज्य की इस मामले में पूर्णतया उपेक्षा की गई है।

जैसा कि मुझे बताया गया है राउरकेला और तलचर के बीच रेलवे लाईन नहीं बिछाई जा रही है। 1946-47 में खुदी और बोलनगीर के बीच रेलवे लाईन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था परन्तु इस ओर भी अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं की गई है। रेलवे मंत्रालय का ध्यान फूलबना तथा बरहामपुरे के बीच रेलवे लाईन बिछाने की ओर दिलाया गया था परन्तु मुझे बताया गया है कि रेलवे बोर्ड के पास इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बड़े दुख की बात है कि रेलवे ने अविकसित क्षेत्रों के दावों की उपेक्षा की है।

भारतीय रेलवे फूलवती जिले में कोई रेलवे लाईन बिछाने में असफल रही है। रेलवे लाईन पर पहुँचने के लिए इस जिले के लोगों को सैंकड़ों मील चलना पड़ता है। इस क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी तथा हरिजन लोग रहते हैं। मैंने रेलवे मंत्री को तलचर तथा बरहामपुर के बीच रेलवे लाईन बिछाने के लिए प्रार्थना की है। इसके महत्व को देखते हुए इसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा पाँचवी पंचवर्षीय योजना में इस पर कार्य किया जाना चाहिए।

उड़ीसा राज्य में रेलवे की ब्रांच लाईनों में प्रतीक्षालयों की उचित व्यवस्था नहीं है।

अधिकांश स्टेशनों पर पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। तीसरे दर्जे के यात्रियों की असुविधाओं की कोई सीमा नहीं है। गाड़ियों में बहुत पुराने डिब्बे लगे हुए हैं अतः कई डिब्बों में बिजली का प्रबन्ध भी नहीं है। उड़ीसा में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी उचित तरीके से व्यवहार नहीं करते और वे अपना कर्त्तव्य पालन भी ठीक ढंग से नहीं करते।

वर्तमान बजट में किराये तथा माल भाड़े में वृद्धि की गई है। इससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी। उड़ीया लोगों को रेलवे में उचित अनुपात में भर्ती किया जाना चाहिए।

श्री जे. के. चौधरी (त्रिपुरा-पश्चिम) : त्रिपुरा भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह राज्य तीन ओर से पाकिस्तान के साथ मिलता है। कुल क्षेत्रफल 4116 वर्गमील है जिसमें केवल 25 प्रतिशत क्षेत्र ही मैदानी है। यह राज्य कृषि पर ही निर्भर है। संचार व्यवस्था के अभाव के कारण इस क्षेत्र की औद्योगिक उन्नति नहीं हो सकी है। यद्यपि गत तीन पांच वर्षीय योजनाओं के दौरान इस राज्य में पर्याप्त सड़कें बनाई गई हैं तथापि उद्योगपतियों को अप माल को भारत के भीतरी भाग में लाने से बड़ी कठिनाई होती है। यही कारण है कि उद्यो प्रति त्रिपुरा में धन नहीं लगा रहे हैं। त्रिपुरा के लिए कलकत्ता ही सप्लाई का मुख्य केन्द्र त्रिपुरा से कलकत्ता जाने अथवा कलकत्ता से त्रिपुरा जाने के तीन मार्ग हैं। इनमें से दो जिनमें नदी का मार्ग भी शामिल है 1965 के भारत-पाक संघर्ष के बाद बन्द कर दिये

अब केवल एक ही मार्ग है जो कि बहुत घूमघाम कर पहुंचता है अतः बहुत लम्बा मार्ग है। इसमें कुछ मार्ग सड़क द्वारा तथा आसाम के पास से कुछ मार्ग रेल द्वारा तय करना होता है।

इस मार्ग में बहुत कठिनाइयां होती हैं और लगभग छः बार सवारी बदलनी पड़ती है। रेलगाड़ियों तथा ट्रकों के बदलते रहने से लगभग तीन दिन कलकत्ता पहुंचने में लग जाते हैं। इससे कलकत्ता से आने वाले माल के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। भारत में शायद त्रिपुरा ही सबसे अधिक मंहगा स्थान है। यह ठीक है कि वहां पर हवाई पटरी भी है। परन्तु विमान द्वारा साधारण जनता यात्रा नहीं कर सकती।

त्रिपुरा की जन संख्या लगभग पन्द्रह लाख है जिसमें से लगभग दस लाख लोग कृषि पर निर्भर हैं। त्रिपुरा की जन संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है इसलिये सभी लोगों को कृषि में लगाना सम्भव नहीं है और न ही सब लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं इसलिए हम चाहते हैं कि वहां पर उद्योग स्थापित हो। पता लगा है कि बिड़ला ग्रुप को कागज तथा प्लाइवुड के दो कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस दिये गये थे। परन्तु वह इससे मुकर क्योंकि वहां से माल जाने की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। यहीं रेलवे का प्रश्न भी उत्पन्न होता है।

सुरक्षा को ध्यान रखते हुए भी त्रिपुरा का विकास बहुत आवश्यक है क्योंकि यह राज्य तीन ओर से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। श्री भुट्टो ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर त्रिपुरा पर अपना दावा किया था। पाकिस्तान इस क्षेत्र में पहल कर सकता है यद्यपि बांध बनाया गया है तथापि पाकिस्तान गोलीबारी करता रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा में परिवहन के उचित साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आसाम के बारे में मेरा सुझाव यह है कि बढारपुर से लुमडिंग तक 115 मील के पहाड़ी माग पर या तो गाड़ियां डीजल से चलाई जानी चाहियें या विद्युत चालित इंजनों से। आसाम में उसकी अपनी आवश्यकता के लिए तथा हमारे लिए, जिन्हें आसाम से होकर जाना पड़ता है, अच्छी संचार व्यवस्था की आवश्यकता है। यदि आप यह निर्णय करें कि त्रिपुरा के लोगों के लिए रेलों की अच्छी व्यवस्था हो तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम खतरनाक परिस्थितियों में रहते रहेंगे।

Shri Achal Singh (Agra): The Railways are biggest Government undertaking and there is an investment of Rs. 3,500 crores in them. The very nature of the undertaking is such that the Government should be able to devise good profits from their operation. It is, therefore, particularly disgusting to learn that the railways are going in loss. It is clear that this is due to mismanagement of the railways. The cases of theft on the railways are on very high side. The theft of railway goods and property is carried in a very large scale and that is done with the connivance of the railway staff. If we pay proper attention to this, we can save crores of rupees.

It has been estimated that the railways have to undergo a loss of ten crore rupees annually on account of ticketless travelling. If proper steps are taken to stop ticketless travelling and check different types of leakages, the financial position of the railways will prove substantially. The railway employees are only interested in their pay and they not care about the loss to the nation.

I have been pressing for the last fifteen years for the introduction of a direct train between Agra and Delhi, but no attention was paid to it.

A demand for a flag station between Achnera and Parkham was demanded before the clash with China. There is a long standing need for the same and I hope, you will pay attention to it.

Shri N.S. Sharma (Domarlaganj) : The railways are showing a loss for the first time during the last twenty years. It is possible that deficit may occur out of various facilities being provided to the people, but in fact it is not so. It is neither necessary nor proper to increase the fare and freight rates only because of losses in a single year. It appears that it has been done for the sake of finance minister.

There are several funny aspects of the railway budget. The reason given to increase the rate of platform ticket from 10 to 15 paise is that this will relieve over-crowding on railway platforms, where large number of people gather to see off their friends and relatives. How is it that the minister did not think of extending the platform ticket. Similarly, high cost of printing of railway tickets has been assigned as one of the reasons for increase in fares. The cost of printing a ticket has been shown to be 3·5 paise. But the railway can issue paper tickets for short distances. The other reason of rounding off the fares due to shortage of change with the booking clerks is very ridiculous. Why should the fares be rounded off to the higher side like unscrupulous traders ?

Another curious thing said by the Minister is that "considering the expenditure on the railways and the general price level in the last two years, I hope, the House will agree that this increase is moderate." The Minister should not increase the fares on the pretext of increase of prices.

The railway porters have been ignored. They have to pay Rs. 500 to 1,000 to the station master in order to secure the licences No facilities, such as living quarters, are provided to them. The Minister should look to the difficulties of the porters and try to fixed Class IV grades for them.

Basti district is very backward. A person travelling from Usha Bazar, a town on the Nepal border, has to spend two days to travel to Basti, which is only at a distance of 60 miles. Lumbini is the place of birth of Lord Buddha. A railway line connecting Rudauli, Bansi, Navgarh, Birdpur, Lumbini and Usha would be very remunerative and may also earn foreign exchange for us.

Shri Sheo Narain (Basti) ; In the matter of railway lines and amenities, the district of Basti has been totally neglected.

There was a first class waiting room at the Basti railway station during the British regime, but now it has been converted into second class railway station. The late running of trains in India has become a common practice. The trains reaching at Basti railway station from Lucknow generally come late by about two hours.

The railway line between Lucknow and Siliguri is an important line from strategic point of view. This line passes through Basti district. This is a single line and may not be quite useful at the hour of need. We should, therefore, have a double line.

The Members of Parliament should be allowed to travel in airconditioned class by paying one third of the first class fare. The railways will stand to gain thereby

Catering arrangements on the railway are not satisfactory at all. No care is taken in the matter of cleanliness and freshness of things served. In spite of that they are said to be going in a losst, it would be better to hand over the catering work to private contractors.

The people of Basti have been demanding for an overbridge since a very long time. No proper arrangements for the traffic at the level crossing at Basti exist. At the time of arrival of trains, the gate is closed and the traffic is held up for a long time. The demand for overbridge should, therefore, be accepted.

The railway platforms are very over-crowded in Delhi. Proper arrangements for the stationing of trains at the platforms in Delhi should be accepted. The Railway Board is serving no useful purpose. It should be done away with.

A deluxe train should be introduced on the Lucknow-Delhi. There should also be a train for Lucknow in the morning from Delhi. More attention should be paid to the passenger facilities in the third class. There should be no increase in the third class fare.

Shri Kamble (Latur): Railway have provided a fast means of communication to the nation. Previously, it took weeks to reach from one place to the other. The railways are a means of emotional and cultural integration.

The hon. Minister has said that the return on goods traffic on the railways has not increased. It is due to the preferenee to the road transport as compared with the transport by the railways. They think the road transport to be safer than the railways.

Railway catering is most unsatisfactory, especially for passengers travelling in the third class. They cannot get down at platforms to get food. The food they get is neither neat nor fresh. The catering arrangements should be improved.

Narrow gauge lines, which pass through commercial centres, should be converted into broad gauge or metre gauge. This will provide facility to the public and also add to the railway income.

The state of affairs on the Lattur-Miraj line is very disgusting. The trains running on Vikarabad-Parli Section has four bogies of all the three classes. As a result the compartments are over-crowded. It takes 10 hours to cover the distance on this section which is not much. No water is available on the railways. Trains stop to take water in the villages and this provides a chance to the ticketless travellers to get down. The bogies are not cleaned. The trains lack the facility of water and light.

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : रेलवे प्रशासन ने रेलों की हालत बहुत खराब कर दी है। ऐसी स्थिति में रेलवे की सराहना नहीं कर सकते। फिर इसके साथ-साथ उन्होंने माल भाड़े और किराये में भी वृद्धि कर दी है। मैं इस वृद्धि का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। यात्री भाड़ा बढ़ाने से गरीब जनता पर और बोझ पड़ जाएगा और माल भाड़े की वृद्धि के कारण वस्तुओं के पहले बढ़े हुए मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। मेरे विचार में रेलवे की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी का कारण यात्रियों की संख्या में कमी नहीं बल्कि रेलवे प्रशासन की कार्यक्षमता में त्रुटियां हैं। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जहां माल भेजने में विलम्ब होता है और वह किसी कारण के बिना होता है। डिब्बों को ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार रेलवे बहुत अधिक आय से वंचित हो जाती है। यह स्थिति समूचे भारत में है। इसलिये मेरी सरकार से

अनुरोध है कि पहले अपनी कार्य प्रणाली को ठीक करे और उसके बाद किराये और भाड़े की वृद्धि के बारे में सोचे। माननीय मंत्री को अधिकारियों पर अधिक निर्भर नहीं करना चाहिये।

सड़क परिवहन तथा रेलों के बीच मुकाबले की बात कही गई है। मैं समझ नहीं सकता कि ट्रकों वाले इतने बड़े उपक्रम अर्थात रेलवे से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि रेलों में कोई त्रुटि है। इसलिये सरकार को इस विषय की तह तक जाना चाहिये और वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि को रोकना चाहिये। आज वस्तुएं निरन्तर मंहगी होती जा रही हैं। समझ नहीं आता कि स्थिति क्या होगा ? अतः सरकार की ओर से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये जिससे मूल्यों में वृद्धि हो।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि रेलवे के विभागों में कर्मचारियों की संख्या अधिक है। इसलिये उनकी संख्या में कमी की जायेगी। कुप्पक के स्थान पर जो दुघर्टना हुई है वह गाड़ी की ब्रेकें खराब हो जाने के कारण हुई है। उन ब्रेकों का ठीक प्रकार से निरीक्षण नहीं हुआ था। उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं हैं। अतः निरीक्षण कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। मितव्ययता के नाम पर कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। परन्तु इसी कमी के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा मेरा विचार है। मंत्री महोदय को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के धोखे में नहीं आना चाहिये। मैं जानता हूं कि कुछ रेल कर्मचारियों को 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। यह तथ्य है।

रेलवे मंत्री (श्री चे. मु. पुनाचा) : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सभी स्थानों पर कार्य का समय निर्धारित हुआ है। यदि कहीं किसी को अधिक समय के कार्य पर लगाया जाता है तो उसे उसके बदले अतिरिक्त भत्ता मिलता है।

श्री नम्बियार : मैं जानता हूँ कि ड्राइवरों आदि को बारह बारह घंटे तक काम करना पड़ता है और जब वे लोग आराम करने के लिये अर्जी देते हैं तो उनको अनुशासनात्मक कार्यवाही की धमकी दी जाती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन लोगों की सेवा की शर्तों में सुधार होना चाहिये।

रेलवे की वर्तमान डिवीजन व्यवस्था पर पुनः विचार होना चाहिये। इसमें कर्मचारियों को बहुत कठिनाई है। डिवीजन के मुख्यालय के दूर होने के कारण उनकी शिकायतों की ओर उचित ध्यान नहीं जा पाता। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को भी सम्बन्द्ध होना चाहिये। रेलवे कर्मचारियों के उस संघ को मान्यता दी जानी चाहिये जिसमें कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है।

त्रिवेन्द्रम को रेलवे लाइन द्वारा कन्याकुमारी से मिलाने के लिए एक लाइन बनायी जानी चाहिये।

Shri Ganpat Sahai (Sultanpur) : Sir, District Sultanpur is very important District. This District played an important role in the first war of independence in 1857. It is also is place of tourist attraction. The only railway line which passes through my District is Allahabad-Faizabad line. No express train runs on this line. This line was laid about 50 years back. The stations on this line are without basic amenities. like water

and lighting. The catering arrangements are almost nil. The result is that no industry has developed there. The Railway authorities have been neglecting this area. One workshop was proposed to be established there but it did not materialise. I would like the hon. Minister to look into this. I suggest that trains going to Calcutta should be run from Lucknow via Sultanpur. It would be a short route. It would result in saving for railway administration and would be helpful to people also. A direct link from Delhi should be provided for Sultanpur. There vast tracts of land lying vacant along the railway lines. It should be used for agricultural purposes. It would fetch land revenue and help in increasing our food production.

The student community is guilty of ticketless travel. The Ministry should see to this.

The unused land lying along the railway tracks should be given to the farmers. It will add to the railway income also.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Railways in India are the only means of travel and transport for the poor people. By increasing the fares we are actually depriving them of this facility.

As compared to the first-class and second class travellers, contribution of the third class passengers to the revenues is the highest. They contribute two arabs of rupees whereas first and second class passengers contribute only twentyfive crores of rupees. Hence it becomes the duty of the railways to provide more facilities to these poor people who contribute the largest share to the revenues. But these people are treated as inferior citizens. There is a lot of discrimination amongst various categories of people. But such a thing is against the idea of socialism. There is overcrowding in the third class railway compartments, This over-crowding should be avoided and more amenities should be provided to the third class passengers.

Proposed increase in the freight rates should be withdrawn. It will put more burden on the poor section of the society as well as on the farmers. Fodder, foodgrains, cement, iron and steel are the things which are generally transported by the railways. If freight rates of these things are increased then prices of these commodities will automatically go up thus putting the burden on the users. These things are generally used by the farmers. Deficit should be made good by reducing the establishment expenditure. Lakhs of acres of land lying unused along the railway track should also be utilized for the purpose. Services of the surplus staff can be utilized in the food army suggested by Dr. Lohia.

Rohtak and Panipat in Haryana should be connected with each other by rail. During the British period there was a raillink which was demolished afterwards. Some interested parties and contractors are pressurising the railway officers with bribe not to open the rail link again. I would request you to pay the attention on this and provide the rail link which is most essential in this undeveloped State.

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : No member from our group has been called to speak on the railway budget. Some procedure must be followed in calling the Members from the opposition parties.

उपाध्यक्ष महोदय : उनके ग्रुप को केवल आठ मिनट दिये गये हैं। जब उनका नम्बर आयेगा तो उनको अवश्य बुलाया जायेगा।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही बजट पर विचार किया जाना चाहिए। इस समय देश की आर्थिक स्थिति यह है कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है, उत्पादन तथा निर्यात कम हो रहा है और उद्योग की विशेषकर इन्जीनियरींग उद्योग की बहुत सी क्षमता बेकार पड़ी है। इसलिए रेलवे मंत्री से यह आशा की जाती थी कि वह स्थिति के अनुसार ही बजट बनायेंगे। वास्तव में वर्तमान रेलवे बजट हिसाब के एक आसान परन्तु खतरनाक प्रश्न की भांति है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इस बजट में कार्य कुशलता को बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। गत बीस अथवा तीस वर्षों में प्रथम बार रेलवे को घाटा हुआ है। पिछले कई वर्षों से मालगाड़ियों के डिब्बों के प्रयोग में कमी हुई है। डिब्बों के कम प्रयोग के कारण माल की ढुलाई में भी कमी हुई है। इसी प्रकार बड़ी तथा छोटी लाइनों पर इंजनों के प्रयोग में भी कमी हुई है। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। परन्तु यदि रेलवे के माल डिब्बों के निर्माण में कमी की जाती है तो यह और भी बुरी बात होगी।

रेलवे के पास पर्याप्त जनशक्ति है जिसका उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। रेलवे अधिकारी अदक्ष व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए डरते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं वे स्वयं किसी कठिनाई में न पड़ जायें। पर्यवेक्षण कर्मचारियों का अधिकतर समय रेलवे के कार्यों में व्यतीत नहीं होता बल्कि रिपोर्ट आदि को तैयार करने में व्यतीत होता है। इसलिये मैं निवेदन यह है कि मंत्री महोदय को अधिक जनशक्ति तथा उसके उपयोग की समस्या, कम उत्पादिता अनुशासनहीनता तथा अधिकारियों को तुरन्त कार्यवाही करने की शक्ति देने जैसी बातों पर ध्यान देना चाहिये।

रेलवे भाड़ों के बारे में पुरानी पद्धति, कि जितना भार लोग सहन कर सकते हैं उन पर डाला जाये, अब कार्य नहीं कर सकती। अब इस बात को देखना है किराया तथा भाड़ा बढ़ाने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु भाड़ा में वृद्धि से हमारे उद्योगों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जायेगी। परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे। उद्योगपतियों को मूल्यों को स्थिर रखने के लिए कहना बेकार है क्योंकि बढ़ते हुए मूल्यों से उनको हानि ही हो रही है। उनको अपनी वस्तुओं के लिए कम आर्डर प्राप्त हो रहे हैं। उद्योगों को 'कोई मुनाफा नहीं' के आधार पर भी नहीं चलाया जा सकता। इस बजट का निर्यात व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

रेलवे में गैर-जरूरी वस्तुओं पर अधिक धन व्यय किया जा रहा है। एक ओर तो स्टेशन पर माल डिब्बे बेकार पड़े हैं जबकि वास्तव में उनकी समूचे देश में कमी है तथा परिवहन में गतिरोध है परन्तु दूसरी ओर सरकार नैनी इस्पात फाउण्डरी लगा रही है। निर्मित इस्पात की निर्धारित क्षमता वास्तव मांग से पहले ही $2\frac{1}{2}$ गुणा है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : श्री दाण्डेकर को रेलवे में सुधार करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव देने चाहिए थे। श्री नम्बियार का रेलवे से काफी सम्बन्ध रहा है और वह इसकी समस्याओं को भली प्रकार जानते हैं। विभिन्न हड़तालों आन्दोलन तथा बन्दों द्वारा रेलवे को लगभग 3,0,3,08,458 रुपये की क्षति हुई है। आंध्र में इस्पात संयत्र के आन्दोलन में रेलवे को

लगभग 1,52,60,000 रुपये की क्षति हुई है । इस प्रकार के विनाशकारी तरीकों से कांग्रेस शासन समाप्त नहीं होगा बल्कि देश में लोकतन्त्र का आधार ही समाप्त हो जायेगा । 'घिराव' का एक नया चक्कर चल निकला है । इससे रेलवे के अनुशासन को भारी क्षति पहुंचा है । अनुशासनहीनता के कारण ही रेलवे की सेवाओं में बिगाड़ आया है । रेलवे राष्ट्रीय सम्पत्ति है इसलिए इसको क्षति पहुंचाना उचित नहीं है ।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा रेलवे के पूर्णरूप से नवीकरण की आवश्यकता है । मैं स्वयं चाहती हूं कि रेलवे मंत्री रेलवे के कार्य की जांच करें तथा इसका पूर्णरूप से नवीकरण करें । रेलवे मंत्री को यह महसूस करना चाहिए कि यह एक वाणिज्यिक उपक्रम है और इसको उन्हीं आधारों पर चलाया जाना चाहिए । कोई ऐसी प्रणाली बनाई जानी चाहिए जिससे पता लगा सके कि कौनसी लाइन व्यापारिक आधार पर तथा कौनसी लाइन साम्प्रदायिक कल्याण के आधार पर चलती है । रेलवे मंत्री को इस बारे में जांच कर लाभ और हानि के क्षेत्रों को निर्धारित करना चाहिए । इस प्रकार की गणना प्रणाली ब्रिटेन में प्रचलित है और हमें भी इस उपयोग में लाना चाहिए । कुछ देशों को छोड़ ब्रिटेन राहित सभी देशों में रेलवे घाटे पर चलती है ।

रेलवे को प्रतिकर के रूप में बहुत धनराशि देनी पड़ती है । इस क्षति को रोकने के लिए ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए ।

प्राक्कलन समिति ने अपने 26 वें प्रतिवेदन में यातायात अधिकारियों के चयन तथा प्रशिक्षण पर बहुत महत्त्व दिया था । सरकार को इस ओर उचित कार्यवाही करनी चाहिए । ऑपरेशन तथा इन्जीनियरिंग विभागों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

दुर्भाग्य से भारतीय रेलवे में कोई अनुसंधान विभाग नहीं है यदि कोई है तो वह इतना छोटा है कि उसका कोई लाभ नहीं है । रेलवे में यातायात बढ़ गया है और परिवहन लागत में भी वृद्धि हो गई है । इन सभी बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि रेलवे में एक शक्तिशाली अनुसंधान विंग स्थापित किया जाये तो अन्य बातों के अतिरिक्त लागत लेखा की जांच भी करें ।

श्री सिक्वीरा (गोवा, दमन तथा दीव) : रेलवे के बजट में केवल 31 करोड़ अर्थात् 3·7 प्रतिशत का अन्तर था जिसको संगठन के अन्दर से ही पूरा किया जा सकता था । परन्तु ऐसा न कर गरीब व्यक्तियों पर अधिक बोझ डाल दिया गया है ।

तीसरी योजना के अन्त में रेलवे की उपयोगिता क्षमता 270 लाख टन की थी । इस वर्ष 85 लाख टन क्षमता का उपयोग करेंगे । इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष 160 लाख टन की क्षमता बेकार जायेगी । परिवहन पर रेलवे का एकाधिकार नहीं है । उनको ट्रकों, जहाजों तथा कुछ मामलों में विमानों से भी स्पर्धा करनी होती है । माल डिब्बों के बेकार पड़े रहने का एक कारण यह है कि रेलवे में माल के रख रखाव पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता । इस कारण लोग ट्रकों द्वारा माल भेजना ठीक समझते हैं । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए । किराया बढ़ाने से पूर्व रेलवे मंत्री को कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए । यह ठीक है कि मजूरी पर रेलवे मंत्री का कोई नियन्त्रण नहीं है तथापि रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं का उचित उपयोग किया जा सकता

हूं। वर्कशापों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार पर्याप्त मितव्ययता की जा सकती है।

सभी जानते हैं कि रेलवे में भ्रष्टाचार बहुत है। यथासम्भव शीघ्र ही भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिये।

जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है मेरा सुझाव है कि प्रति तीन महीने के बाद आंकड़े तैयार किये जाने चाहिये। टेलीप्रिंटरों को आंकड़े प्रेषित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

खर्चे की मदें प्रति यात्री किलोमीटर प्रति टन किलोमीटर और प्रति इंजन या माल डिब्बा अथवा यात्री डिब्बा किलोमीटर की रुपया लागत के रूप में बताई जानी चाहिये। इस प्रकार यह पता लगाना आसान होगा कि रुपया किस प्रकार व्यय किया जा रहा है तथा इस पर किस प्रकार काबू पा सकता है।

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : It is surprising that railway has shown a deficit of 29 crores of rupees in its budget this year. I oppose this budget, because there is not justification whatsoever for a deficit budget and for increase in fares and freight. I also disagree with Smt. Tarkeshwari Sinha who has put all the blame on the opposition.

The deficit could have been made good by effecting economy in the various spheres of the railway itself.

A huge amount is being spent on the Railway Board. In my view work done by the railway is not commensurate with the expenditure incurred on it. The House should be told about the precise functions of the Railway Board. I have been informed that a Financial Commissioner of the Railway Board spent lakhs of rupees in a marriage and he made use of all the Governmental sources at his command. I hope, the hon. Minister will look into the matter. I would request the hon. Minister that the allegations made by the Members should be looked into; only then corruption would be checked. Keeping in view the prevailing conditions in the country where the people are starving the strength of the Railway Board should be considerarbly reduced.

Salaries of the high officers are too high whereas the lower staff is too poorly paid. Salaries of these officers should be reduced. Saloon services for the high officials should be done away with. Amenities should be provided to the Third Class passengers. Discontentment among the lower staff is also one of the causes for large number of railway accidents.

Use of the imported machines from Russia should not be encouraged. We have no dearth of manpower. Proper avenues of promotion should be opened for lower staff. Catering arrangements on the railway should be improved. One will not mind paying high fares if proper amenities are provided. Although the fares are being increased but no attention is paid to the amenities.

I have personally written many letters to the hon. Minister against the Medical Officer, Banaras. I was told on the enquiry being made that the Vigilance Commissioner is looking into the charges. Three years have passed but nothing has been done in this regard. All allelgations levelled against him should be investigated. Charges levelled against the Station Superintendent and D. L. W. should also be looked into.

Manpower of the railways should be properly utilised. There have been instances where persons employed as water carriers work in the houses of Station Masters. All cases of this type of corruption should also be investigated and guilty persons should be punished.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): The opposition Members cirticising the Railways for its shortcomings should not overlook the good work done by this organisation. During the Indo China and Indo Pak conflicts railway have done commendable jobs. This should not be forgotten that it is also doing relief work in the drought stricken areas of the country.

At present there are 7,000 railway stations in our country. About 10,000 trains are running daily and about 57 lakh persons travel in these trains.

I have no relation with the Chairman of the Railway Board but I would say that he has risen to this post with his ability.

At present there are three different systems of Railways viz. broad gauge, mete gauge and narrow gauge. In my opinion there should be a single uniform line. Of course it will take time to do so but you should prepare a phased programme for this purpose. All the sections of this House are of the opinion that the increase in the fares for Third Class passengers is unreasonabie. In case the increase in the fares is considered to be unavoidable, you should at least be prepared to make some alterations in this proposal. It has been stated by several Hon'ble Members that the major income of Railways is from the fares paid by passengers travelling in 3rd Class but you have nowhere mentioned this fact. In order provide facilities to passengers travelling in 3rd Class, you should run more trains, to-day the passenger is not sure whether he will be in a position to get into the train or not after purchasing a ticket. At least you should make some arrangement to ensure a seat to the passengers travelling in third class in order to justify the increase in the fares. Instead of increasing the fares you should have adopted economy measures. The passengers travelling without a ticket should be properly checked. The corruption in Railways should be removed. Railways have to pay crores of rupees because of theft in the goods. In the socialist pattern of society, it does not seem to be fair to have 900 to 1000 saloons. In fact they should be converted into 3rd Class bogies.

I may point out that 62% of the accidents are due to the negligence of the duties of the railway employees. The passengers do not feel secured while travelling.

It has been pointed out by several members that catering arrangement of Railways is far from satisfactory. You should take steps to improve the same.

There has been constant demand from Eastern U. P. that Railways should construct a broad gauge line from Banaras to Bhatni but we are told that Railways do not have resources to construct the same. This line is essential for this area and it should, therefore, be constructed. Another line from Madras to Banaras is also essential as large number of people are coming from Madras to Banaras. There is one Bhagalpur bridge and I want that it should be converted into rail-cum-road bridge.

श्री कुबेलर* **(वेल्लोर)** : यदि रेलवे विभाग द्वारा कुछ सावधानी बरती जाती तो घाटे के आयव्ययक से बचा जा सकता था। निरीक्षण में कमी लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी, के कारण रेलवे को अनावश्यक खर्च करना पड़ा है जिसके फलस्वरूप आयव्ययक में इन सभी कठि-

*मूल तामिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित
English Translation of Speech Delivered in Tamil.

नाइयों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण स्वरूप मद्रास में रेलवे द्वारा एक समाहरण यार्ड बनाया जा रहा है इसके लिये वाशरमेनपेटट और टोण्डियारपेट जंक्शनों के बीच में अत्यधिक भूमि अर्जित की गई और वहां बहुत सी मशीनरी लगाई गई जिस पर बहुत अधिक खर्च हुआ। रेलवे विभाग द्वारा उसी प्रकार के रेलवे के डिब्बे नजदीक की किसी कोच फेक्ट्री से कम मूल्य पर मंगवाये जा सकते थे। इसके अतिरिक्त यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वर्कशाप को हुबली में बदल दिया गया। बिना किसी कारण के सारी मशीनरी और कर्मचारियों को वहां भेज दिया गया जिसके फलस्वरूप इतना बड़ा अनावश्यक खर्च किया गया।

इस तब्दीली के लिये हमारे विचार में कोई कारण नहीं है। यह रेलवे का एक असाधारण व्यय भी है। मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें कि त्रिची सैक्शन पर जिन कर्मचारियों की छटनी की गई है उस स्थान पर नये कर्मचारी भर्ती न किये जायें।

रेलवे अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को विशेषाधिकार नहीं दिये जा रहे हैं जोकि उनके लिये संविधान में रखे गये हैं। यद्यपि इन लोगों के प्रशिक्षण के दिये छः सप्ताह लगाये जाते हैं। परन्तु उनको उपयुक्त पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है। यदि उन लोगों को प्रशिक्षण के पश्चात् उक्त पदों पर नहीं लगाया जाता है तो प्रशिक्षण पर व्यय करने का कोई लाभ नहीं है। मंत्री महोदय को इस मामले पर भी ध्यान देना चाहिये। मद्रास से दिल्ली तथा दिल्ली से मद्रास जाते समय हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी में बहुत कूड़ा कर्कट होता है जिस कारण रोग आदि लगने का भय रहता है।

माननीय सदस्यों की पहले दर्जे के यात्रियों वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने की सुविधा दी जानी चाहिये। पहले दर्जे के यात्रियों को इतनी कठिनाई होती है तो तीसरे दर्जे के यात्रियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। अतः उन्हें आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहियें : त्रिची और रेनिगुन्टा के बीच अधिक रेल के डिब्बे चलाये जाने चाहियें। चिदाम्बरम से परम्बलूर को होती हुई त्रिची तक एक नई रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये तथा अरियलम से सेलम तक भी एक नई रेल्वे लाइन बिछायी जानी चाहिये। कटपड़ी रेलवे स्टेशन पर सुधार किया जाना चाहिये।

रेलवे के किरायों में जो वृद्धि हुई है, उस पर भी मैं खेद प्रकट करता हूँ। रेलवे यातायात का आम जनता के लिये एक सबसे सस्ता साधन समझा जाता था परन्तु अब यह भी दिन पर दिन मंहगा होता जा रहा है। सड़क परिवहन से रेल की तुलना करने पर मालूम होता है कि उसकी अपेक्षा रेलवे की सेवा अब अधिक मंहगी और असंतोषजनक है। अतः इस ओर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिये और पहले 50 मील पर किराये की दर घटा देनी चाहिये जिससे रेल्वे अधिक कमा सके और जनसाधारण तथा गरीब के लिये उपयोगी बन सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि 80 किलोमीटर तक के दूसरी श्रेणी के किराये में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे हमारी आय में कोई वृद्धि होने की बजाये दूसरी श्रेणी के यात्री मोटर गाड़ी से यात्रा करने लगेंगे। प्लेटफार्म की टिकट में वृद्धि नहीं होनी चाहिये। विज्ञापन और लाकर्ज के किराये में वृद्धि की गुंजाइश है। अन्त में अधिकारियों और कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि वे रेलवे का काम ध्यानपूर्वक करें।

रबड़ का आयात*

IMPORT OF RUBBER

श्री अब्राहम (कोहमा) : आज रबड़ के उत्पादकों में भारी असंतोष है। रबड़ का आयात बन्द करने, आयात के लिए लाईसेन्स रद्द करने, रबड़ का उचित मूल्य नियत करने और 28,000 टन एकत्रित रबड़ को खरीदने के लिये केरल राज्य में सत्याग्रह चल रहा है।

आयात के कारण देशी रबड़ का मूल्य बहुत कम हो गया है। केरल के उत्पादकों पर इसका सब से अधिक प्रभाव पड़ा है क्योंकि देश में रबड़ का जितना उत्पादन होता है उसका 95 प्रतिशत उत्पादन केरल में ही होता है। केरल सरकार को रबड़ के बागान में भी पर्याप्त हानि हुई है और इसके कर राजस्व में भी काफी कमी हो गई है।

रबड़ के मूल्य का प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हजारों छोटे उत्पादकों और श्रमिकों की आजीविका केवल रबड़ के उत्पादन पर ही निर्भर करती है। मूल्यों में कमी और उसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा है। भारत में रबड़ का निर्माण सम्बन्धी उद्योग विदेशी एकाधिकार के नियन्त्रण में है। जब रबड़ का मूल्य 7½ रुपये हो गया तो इन निर्माताओं ने रबड़ के आयात को बढ़ाने के लिये भारत सरकार को कहा। यह कहना कि रबड़ का उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम है, बिल्कुल निराधार बात है। यह मुनाफाखोर निर्माताओं द्वारा बनाई हुई झूठी बात है, सामान्य तौर पर हम दो महीने के स्टाक के आधार पर आवश्यकताओं का अनुमान लगायें तो रबड़ पर्याप्त होगा परन्तु कृत्रिम कमी को दिखाने के उद्देश्य से वे तीन महीने का स्टाक लेते हैं। यदि यह भी मान लिया जाये कि कुछ अन्तर है तो इस कमी को आन्तरिक उत्पादन द्वारा पूरा किया जा सकता है। योजना आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इसलिये यह कहना उचित नहीं कि यह कमी केवल आयात द्वारा ही पूरी की जा सकती है। रबड़ के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का ध्यान करना ही नहीं चाहिये क्योंकि इसका नियन्त्रण बड़े एकाधिकारी संगठनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। वर्ष 1939 से 1960 तक रबड़ का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से बहुत कम रहा है। केवल वर्ष 1959-60 में ही रबड़ उत्पादकों को 12 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। रबड़ एक कृषिजन्य पदार्थ है, इसके उत्पादन की लागत निर्धारित करते समय भूमि के मूल्य का भी ध्यान रखना चाहिये जो 5000 रु० प्रति एकड़ है। इसी प्रकार अन्य पहलुओं का भी ध्यान करके ही रबड़ का मूल्य नियत करना चाहिये ताकि उत्पादकों को अपने रबड़ के बागान को घाटे पर न बेचना पड़े।

रबड़ के निर्माताओं की प्रार्थना पर प्रशुल्क आयोग से रबड़ के मूल्यों में वृद्धि के कारणों को जांच करने के लिये कहा गया था। जांच पूरी हो गई है और आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र ही मिल जायेगा। सरकार को केरल राज्य की सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं करना चाहिये। प्रशुल्क आयोग द्वारा केवल कच्चे रबड़ की उत्पादन लागत की जांच करना ही काफी नहीं है अपितु उन्हें रबड़ निर्माण के समस्त ढांचे की जांच करनी चाहिये। जहां तक रबड़ के आयात का सम्बन्ध है, सरकार रबड़ निर्माताओं के दबाव की चाल के आगे झुक गई है हालांकि देश में रबड़

*आधे घन्टे की चर्चा
Half an hour Discussion

की कमी नहीं है। सरकार का इस सम्बन्ध में यह तर्क है कि भारत में रबड़ का स्टाक नहीं है यह अनुचित तर्क है। इससे तो रबड़ के एकाधिकार रखने वालों को और अधिक लाभ होगा। आयात का निश्चय ऐसे समय में किया गया जब देश में विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। इससे समस्त अर्थव्यवस्था को धक्का तो लगा ही है, रबड़ के हजारों कर्मचारियों को भी हानि हुई है। यदि सरकार तदर्थ मूल्यों पर रबड़ खरीदने के लिए तैयार हो तो दो दिन के भीतर 23000 टन संचित रबड़ उपलब्ध हो सकता है। वाणिज्य मंत्री से जब हम मिले तो उन्होंने बताया कि तदर्थ मूल्य 410 रु० प्रति किलोग्राम है। सरकार रबड़ उत्पादकों का ध्यान रखते हुए इस दर पर सारा रबड़ क्यों नहीं खरीद लेती। परन्तु प्रश्न यह है कि निर्माता वर्ग इस दर पर रबड़ खरीदने के लिये तैयार नहीं क्योंकि रबड़ का मूल्य बहुत कम हो गया है। सरकार को चाहिये कि वह रबड़ का आयात बन्द कर दे और आयात लाइसेंस रद्द कर दिये जाने चाहिये। सरकार को बाजार में संचित स्टाक को तदर्थ मूल्यों पर बिकवा देने की व्यवस्था करनी चाहिये और रबड़ की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए रबड़ के उचित मूल्य नियत करने चाहिये।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : सरकार एक ओर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का नारा लगाती है और दूसरी ओर देश में रबड़ का इतना भण्डार होते हुये भी रबड़ के आयात के लिये 10 या 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करती है। सरकार ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें कहा गया है कि देश में रबड़ का संचित स्टाक नहीं है। हम इस बात को गलत प्रमाणित कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रबड़ बोर्ड के आंकड़े हैं जो पूर्ण रूप से अधिकृत माने जाते हैं। रबड़ बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश में 23000 टन रबड़ का संचित स्टाक है। हम चौबीस घण्टे के भीतर सरकार को 25000 टन रबड़ बेच सकते हैं।

सरकार ने 3 करोड़ रुपये की लागत के रबड़ के आयात के लिये लाइसेंस दिये हैं। प्रशुल्क आयोग की स्थापना रबड़ के मूल्य में कमी करने के लिये ही की गई थी। आज मंत्री महोदय के आश्वासन के बावजूद कोई समवाय पर्याप्त मात्रा में रबड़ खरीदने के लिए तैयार नहीं। सरकार द्वारा नियत तदर्थ मूल्य पर रबड़ उत्पादक रबड़ बेचने के लिये कई बार पेशकश कर चुके हैं। तदर्थ मूल्य नियत करते समय भी रबड़ उत्पादकों से बिल्कुल परामर्श नहीं किया गया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रबड़ के आयात के सम्बन्ध में निर्णय करते समय रबड़ बोर्ड, रबड़ उत्पादक और केरल सरकार से परामर्श करेगी कि रबड़ की वास्तविक रूप में कितनी कमी है। रबड़ बोर्ड के अनुसार 1000 टन का अन्तर है। इसलिये हमारे विचार में रबड़ के आयात की कोई आवश्यकता नहीं।

यदि प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है तो उसकी सिफारिशें कौन कौन सी हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार रबड़ के समस्त संचित भण्डार को तदर्थ मूल्य पर बिकवा देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री नायनार (पालघाट) : क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी अधिकारियों को 296½ करोड़ रुपये की लागत का कृत्रिम रबड़ आयात करने की अनुमति दी है ? वास्तव में रबड़

के पांच एकाधिकारी हैं —डनलप, गुड इयर, फायर स्टोन, सीयट और मद्रास रबड़ फैक्टरी जो पश्चिम जर्मनी के सहयोग से चल रही है। रबड़ का 15 प्रतिशत उत्पादन केरल में होता है। हम एक ओर स्वदेशी का प्रचार करते है दूसरी ओर विदेशी अधिकारियों को प्रोत्साहन देते हैं। केरल में 20,000 टन रबड़ इकट्ठा हो जाने के कारण वहां के 75,000 छोटे उत्पादकों को हानि हो रही है। सितम्बर 1966 से जनवरी 1967 तक 16,876 टन रबड़ का आयात किया गया। परन्तु इसके साथ ही केरल के रबड़ का दर कम हो गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार विदेशी अधिकारियों द्वारा कृत्रिम रबड़ के आयात के प्रश्न पर पुन: विचार करेगी और केरल के रबड़ उत्पादकों की सहायता करेगी ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I want to know whether the Government take into account all the factors pertaining to production and consumption of rubber at the time of taking a decision regarding its import. Whether the Government would maintain a stock of imported rubber and will release the same when there will be rise in prices ? May I know the steps being taken by the Government to check the present policy of import of rubber.

श्री श्रीधरन (बडागरा): माननीय सदस्यों ने बताया है कि केरल में 23000 मीटरी टन रबड़ का संचित भण्डार है। मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि रबड़ की भारी कमी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उस समय तक रबड़ का आयात बन्द कर देगी जब तक केरल में संचित भण्डार बिक नहीं जाता।

क्या सरकार रबड़ की खेती करने वालों, रबड़ बोर्ड के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सलाहकार बोर्ड बनाएगी और आयात की मात्रा निश्चित करते समय उनसे परामर्श लेगी ? सरकार रबड़ के बारे में आत्मनिर्भर होने के लिये केरल में रबड़ के खेतीकारों को किस प्रकार के प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है जिससे रबड़ का उत्पादन बढ़ जाये और देश में रबड़ की कमी दूर हो जाये ?

श्री एस्थोस (मुवत्तुपुजा): कृत्रिम और प्राकृतिक रबड़ के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है। क्या सरकार रबड़ के जमा स्टाक को निकालने और उसे उचित दामों पर यथाशीघ्र बेचने के लिये कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शफी कुरेशी): देश में प्राकृतिक और कृत्रिम रबड़ का जितना उत्पादन होता है वह रबड़ की वस्तुओं के निर्माण सम्बन्धी उद्योग के लिये अपर्याप्त है। प्रत्येक वर्ष रबड़ का आयात उतना ही किया जाता है, जितना आवश्यक होता है। वर्ष 1965–66 के दौरान विदेशी मुद्रा की भारी कमी के कारण उस वर्ष रबड़ के आयात पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया गया था। इसी कारण देश में रबड़ की कमी हो गई। जिस फ़ैक्टरी में कृत्रिम रबड़ तैयार होता है, उसमें आग लग जाने के कारण रबड़ की स्थिति और भी बिगड़ गई। वर्ष 1965 के मध्य से सितम्बर 1966 तक देशी रबड़ के मूल्य में भारी वृद्धि हुई। इस वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं पर भी पड़ा। इस स्थिति को सुधारने के लिये अच्छी प्रकार से विचार-विमर्श करके अनुमान लगाने के पश्चात् सरकार ने वर्ष 1966–67 में लगभग 30,000 मीटरी टन रबड़ आयात करने के लाइसेंस जारी करने का निश्चय किया। 1966–67 के दौरान

सरकार द्वारा रबड़ के आयात की अनुमति दी जाने के कारण देशी कच्चे रबड़ का मूल्य गिर गया।

पिछले डेढ़ महीने से रबड़ का आयात करने के लिये कोई नया लाइसेंस नहीं दिया गया। इसी अवधि में रबड़ का आयात करने के पुराने लाइसेंसों को फिर से मान्यता नहीं दी गई है। रबड़ का उचित मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया है। मुझे आशा है कि आयोग का प्रतिवेदन थोड़े दिनों में ही प्रस्तुत किया जायेगा। सरकार देश की अर्थव्यवस्था में रबड़ तथा रबड़ की वस्तुओं के महत्व को भली भांति समझती है। रबड़ के मूल्य को ऐसे स्तर पर तय किया जाना चाहिये जो उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों दोनों के लिये उचित हो। हम पुराने लाइसेंसों को नये सिरे से मान्यता नहीं दे रहे। सरकार जानबूझ कर यह कार्यवाही कर रही है ताकि निर्माता देश में उपलब्ध रबड़ को शीघ्र उठा सकें।

यदि मूल्य ऊँचे रहें तो केरल का रबड़ उद्योग समाप्त हो जायेगा। पुराने अलाभदायक और अनुपयोगी क्षेत्रों में कमी नहीं की जायेगी और उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा। हमें अपने मूल्यों को प्रतियोगात्मक बनाना चाहिये ताकि हमारा सामान विदेशी बाजारों में बिक सके। रबड़ की कीमतों को उचित स्तर पर कायम रखने से ही यह सम्भव होगा। इस उद्योग के विकास के लिये कम मूल्य भी ठीक नहीं है। तब उत्पादकों को अधिक रबड़ पैदा करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसलिये हमें ऊँचे और नीचे दामों के बीच का मार्ग अपनाना होगा। ऐसी कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिये कि सरकार किसी एकाधिकार या एकाधिकारी के आदेश पर चलेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्पादक को उचित मूल्य मिले। दूसरा हमारा उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर तैयार वस्तु मिल सके। जब तक मांग और पूर्ति मे यह अन्तर बना रहता है, तब तक हमें आयात करना ही पड़ेगा। हम उद्योग में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। यदि माननीय सदस्य यह सिद्ध करने के लिये प्रमाण दे सकें कि देश में मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक है तो सरकार इस विषय में सोचेगी। हमारी नीति यह है कि अधिक से अधिक देशी रबड़ उपलब्ध किया जाये और आयात में कटौती की जाये।

यदि और कोई कठिनाई हो या कोई सुझाव हो तो सरकार उन पर विचार करेगी।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 2 जून, 1967। 12 ज्येष्ठ, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday June 2, 1967/Jyaistha 12, 1889 (Saka).